खण्ड-191, अंक-9
शुक्रवार, 2 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(21 फरवरी, 1958 ई0)

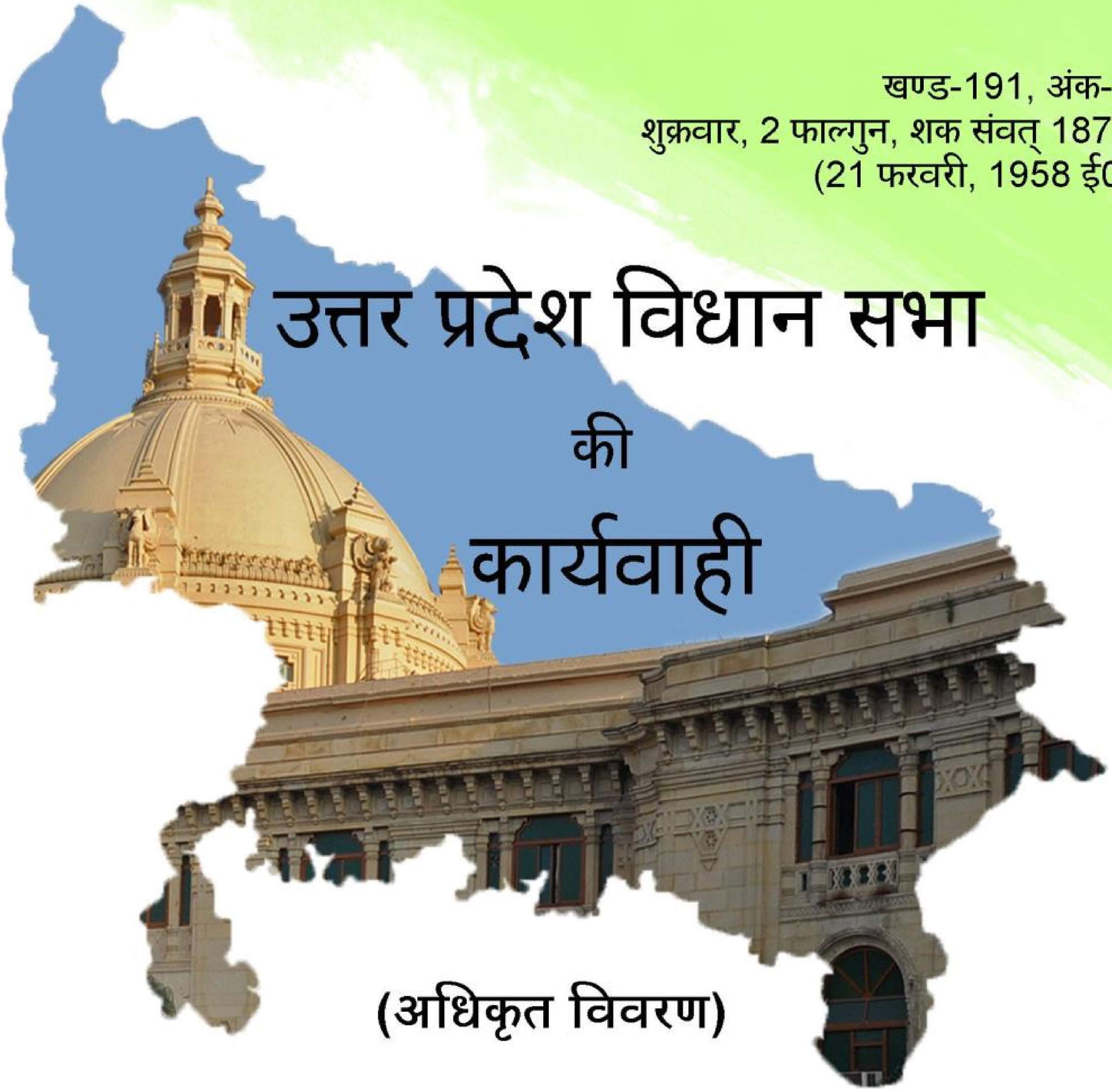

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गजन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्णआजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुलाकीराम, श्री
बुजबासीलाल, श्री
बुजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूर्मसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुखामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुगीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्थापित करने का विचार

**१.—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना करने का है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां ।

**२—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बोर्ड की स्थापना में कितना व्यय होगा और इसका सृजन किस प्रकार होगा और उसमें कितने-कितने और कौन-कौन सदस्य होंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—फिलहाल यह मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार इस एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर, श्री चक्रवर्त्ती, जो नवम्बर में रिटायर होने वाले हैं उनकी सेवायें भी तलब करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि उत्तर में कहा गया यह सब मामले विचाराधीन हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का मसला सन् १९४८ से विचाराधीन है और दस वर्ष हो चुके हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—बोर्ड बनाने का मसला तो अब विचाराधीन है नहीं, लेकिन कैसे बनेगा, क्या होगा, यह विचाराधीन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैंने यह पूछा कि क्या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाने का मसला जब एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९४८ में बना तब से विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं तो पहले ही सदन में अर्ज कर चुका हूं कि विचाराधीन यही था कि बोर्ड बनाया जाय या नहीं । अब यह तो तय हो गया कि बनाया जाय । अब उसकी तफसील क्या हो, यह विचाराधीन है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब यह मसला, उसकी तफसील क्या होगी, कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जब तक, हुजूर, इस पर गौर करने की जरूरत रहेगी

अल्मोड़ा जिले में सिंचाई की योजना चालू करने की प्रार्थना

**३—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सूचना मन्त्री बतलायेंगे कि भारत सरकार के प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रगाढ़ सिंचाई का प्रबन्ध करने का सुझाव सरकार के पास भेजा है ? अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय में क्या योजना बनाई है ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है ऐसे कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं ।

सिंचाई विभाग ने प्रगाढ़ सिंचाई के सम्बन्ध में अभी कोई योजना नहीं बनायी है

**४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या उक्त योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा जिले में कोई योजना सिंचाई की बनी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसका ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि सूचना मन्त्री को जवाब देना था लेकिन सिंचाई मन्त्री ने जवाब दिया है । यह सवाल खाद्यान्नों के बढ़ाने के सिलसिले में है । अगर कोई खाद्यान्नों से सम्बन्धित अन्य मन्त्री इसका उत्तर दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के वचन की मर्यादा को रखने और खाद्यान्न बढ़ाने हेतु वह कोई योजना बनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५ करोड़ १७ लाख की धनराशि सिंचाई बढ़ाने के लिये रखी गई है जिससे कि १६,२२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मन्त्री से प्रदेश में छोटे-छोटे सिंचन कार्यों को प्राथमिकता देने के लिये कोई आदेश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस सिलसिले में क्या योजना बनाई गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

वाराणसी जिले में धानापुर नहर को चालू करने की जानकारी

**५—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि धानापुर नहर, वाराणसी द्वारा सिंचाई कब तक शुरू हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—धानापुर नहर द्वारा सिंचाई १९५९ की खरीफ से शुरू हो जाने की आशा है ।

**६—श्री लोकनाथसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत परगना महुवारी व परगना महाइच, वाराणसी के किनारे के गांवों का कटाव जो गंगा नदी द्वारा हो रहा है उसके रुकाव की व्यवस्था है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई योजना व व्यवस्था नहीं है ।

श्री लोकनाथसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि सन् १९५९ के किस महीने से सिंचाई शुरू हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने जैसा कहा खरीफ से यह प्रारम्भ हो जायगी । जो पानी का प्रबन्ध है वह जरगो बांध से किया जा रहा है । ऐसे तो अगर अहरौरा बांध में अधिक पानी बच गया तो १९५८ से ही सिंचाई हो सकेगी ।

श्री लोकनाथसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री जी बतायेंगे कि कौन सी वह बाढ़ नियन्त्रित योजना परगना बरह, महुआरी और महाइच के किनारे के कटाव को रोकने के लिये है ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न का तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है ।

दहेज निषेध कानून बनाने का सुझाव

**७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार जनमत को देखते हुए कोई दहेज विरोधी कानून को बनाने पर विचार कर रही है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी नहीं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय न्याय मन्त्री जी बतायेंगे कि समाज से इस कुप्रथा को मिटाने के लिए कानून न बनाने या उस पर न विचार करने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—इस पर कई दफा विचार किया गया। लेकिन इसमें दो कठिनाई मालूम होती हैं। पहली चीज तो यह है अगर कोई इस तरह का कानून बने तो पूरे देश के लिए होना चाहिये, खाली किसी एक सूबे के लिए ठीक नहीं होगा। दूसरी कठिनाई यह भी है, समझा यह जाता है कि कोई भी कानून बनेगा तो उसको लागू करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां उठेंगी और अगर पब्लिक ओपीनियन इसके लिए तैयार हो जाय और खुद उसकी तरफ से यह चीजें रोकी जायं तो ज्यादा बेहतर होगा।

खाद्यान्नों के अभाव में दावतों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

**८—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या खाद्यान्नों के अभाव के कारण वह दावतों पर कोई प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी को यह विदित है कि देहली में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। अखबारों के जरिये से कुछ ऐसी इत्तला तो मिली।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसी दावतों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाने का कारण क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—कारण यह है कि इस वक्त जहां तक कीमतों का जो ट्रेन्ड है वह सस्ती की ओर है। कोई खास कठिनाई खाने के मामले में हमारे सूबे में इस वक्त नहीं है। जो-जो तरीके अख्तियार किये गये कि जिसकी वजह से हमारे यहां की कीमतें जो बढ़ रही थीं वह रुकें, उसमें काफी कामयाबी हो चुकी है। तो यह समझा जाता है कि अगर इस किस्म का कोई प्रतिबन्ध लगाया जायगा ऐसे मौके पर तो बजाय इसके कि जो ट्रेन्ड इस वक्त है, बिला वजह लोगों में डर हो जायगा और मुमकिन है कि इसका असर प्राइसेज पर उल्टा पड़े। तो ऐसे मौके पर कोई पाबन्दी लगाना जरूरी नहीं समझा जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कब दावतों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जिस जमाने में यहां कंट्रोल था, उस जमाने में कुछ दिनों लिये लगाया गया था। लेकिन जब कंट्रोल खत्म हुआ तो वह पाबन्दी भी खत्म हो गई।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतायेगी कि जिस समय दावतों पर कंट्रोल था उस समय गल्ले की क्या कीमत थी ?

श्री अध्यक्ष---क्या उन्हें इतना याद रह सकता है ?

श्री राजनारायण ---होना चाहिये उस विभाग को चला रहे हैं ।

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, मालूम नहीं किस गल्ले की आप पूछ रहे हैं, मुझे याद नहीं है ।

इलाहाबाद जिले के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में कारखाने खोलने के लिये दिया गया ऋण

**९---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्री एरिया में कौन-कौन से कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से लोन लेकर अभी तक कारखाने नहीं चलाये ?

श्री रऊफ जाफरी---सहायता तथा पुनर्वास विभाग द्वारा स्थापित नैनी इन्डस्ट्रियल एरिया में सर्वश्री आर० पी० भाटिया, मंगल सेन नारंग, मेऊ मल, तेज भानु बली, वी० पी० भंडारी तथा प्यारे लाल गुप्ता ने इस विभाग से ऋण लेकर अभी तक कारखाने नहीं चलाये हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों को कितना-कितना ऋण दिया गया और किन कामों के लिये दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---इन लोगों को जो रुपया दिया गया है उसकी वापसी के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यवाही कर रहे हैं और इनकी सूचना इस वक्त मौजूद नहीं है कि किन-किन तारीखों को दिया गया ।

अल्प बचत योजनान्तर्गत मुजफ्फरनगर जिले में एकत्रित धन

**१०---श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक तथा १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक पृथक-पृथक कितना धन अल्पबचत योजना में प्रदेश में एकत्रित हुआ तथा मुजफ्फरनगर जिले में कितना-कितना हुआ ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---प्रदेश में क्रमशः १०,५१,३२,२१९ रु० तथा ७,३०,९९,३१८ रु० और मुजफ्फरनगर जिले में क्रमशः १७,५५,७८८ रु० तथा ६,६२,३७३ रु० ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में और जिला मुजफ्फरनगर में किन कारणों से यह विशेष कमी अल्पबचत योजना में हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसका कोई विशेष कारण तो नहीं कहा जा सकता है। शायद लोगों के पास रुपया कम रहा हो।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या यह सही है कि मुजफ्फरनगर जिले में गन्ना किसानों की पिछले दो वर्षों में जो कटौती हुई है उसके सर्टीफिकेट्स अभी तक नहीं बने हैं और रुपयों की वापसी में बड़ी दिक्कत होती है इसलिये कठिनाई हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह मैं नहीं कह सकता कि इसका कारण क्या है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६–५७ में क्रमशः जो लगभग १० करोड़ और ७ करोड़ रुपया जमा हुआ है उसमें से उन्हीं सालों के अन्दर कितनी रकम वापस हो गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—असल में १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५६ तक ग्रौस इंवेस्टमेंट ३८,३८,५२,६६७ रुपये हुआ था और उसमें से २७,८७,२०,४४८ रुपया विदड्राल हुआ। इसलिये १०,५१,३२,२१९ रुपया बाकी रह गया। १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक ग्रौस इंवेस्टमेंट ३८,९६,३६,५३६ रुपया हुआ और ३१,६५,३७,२१८ रुपया विदड्राल हुआ। इसलिये ७,३०,९९,३१८ रुपया बाकी रह गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इन रुपयों को इकट्ठा करने में जो कठिनाई हो रही है, उसका पता लगाने की कोशिश सरकार करती है और अगर नहीं तो अब ऐसी कोशिश करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कठिनाई तो नहीं हो रही है क्योंकि हमारे प्रदेश में ३८ करोड़ रुपये का जमा होना कठिनाई का कारण नहीं बतलाता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये इस योजना की सफलता के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो आपको विदित ही है कि हर एक माननीय सदस्य और जनता से अपील की गई है कि वह इसमें कंट्रीब्यूशन्स करायें।

पलिया, जिला खीरी में नई कालोनी बसाने के लिये पुराने किसानों की जमीन लेने की शिकायत

**११—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पलिया, जिला खीरी में नई कालोनी बनाने के लिए पहले से बसे हुये हजारों परिवारों के घरों को उजाड़कर उनके खेतों को भी छीना जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रश्न का उत्तर 'जी नहीं' दिया गया है तो क्या वहां जांच करा सकते हैं कि किन-किन लोगों की जमीन ली गई ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि हजारों परिवारों को निकाला गया है और उनकी जमीनें ले ली गई हैं यह बात गलत है, इसलिये नहीं में जवाब दिया गया है।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरदार खम्मन सिंह और सरदार निरंजन सिंह की दरख्वास्तें उनके पास इसी आशय की आयी थीं कि उनकी जमीनें छीनी गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जमीनें कायदे से एक्वायर की गयी हैं। बहुत से काश्तकार ऐसे थे जो बिला अख्तियार काबिज थे। यह ऐसे लोगों का ही झगड़ा पैदा किया हुआ है।

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार को मालूम है कि ये लोग ९–९, १०–१० वर्ष पहले से उन जमीनों पर काबिज थे और पाकिस्तान से आ कर हजारों रुपया उस पर लगाया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो जमीनें काश्तकारों से ली जाती हैं या तो उनको दूसरी जमीनें दी गयी हैं या उनको मुआवजा दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों का परिवार उजाड़ा गया है और कितने व्यक्तियों की जमीन छीनी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ लोगों की जमीनें ली गयी हैं, घर किसी का नहीं उजाड़ा गया।

राज्य में कोढ़ के उपचार के लिये योजना

**१२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोढ़ (leprosy) रोग के उपचार हेतु क्या योजना बनाई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—इस संबंध में एक संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३४ पर।)

कानपुर मेडिकल कालेज में क्षय रोग विभाग के रीडर की योग्यता

**१३—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज में क्षय रोग विभाग के रीडर की नियुक्ति के लिये क्या योग्यता फरवरी, १९५७ में रखी गई थी और क्या योग्यता फरवरी, १९५८ में रखी गई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—फरवरी, १९५७ में निम्नलिखित योग्यता निर्धारित की गई थी:—

एम० डी० (मेडिसिन या ट्यूबरकुलोसिस)

या

ट्यूबरकुलोसिस एक विशेष विषय के साथ एम०आर०सी०पी० फरवरी, १९५८ में उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त यह और योग्यता निर्धारित की गई।

या ट्यूबरकुलोसिस में पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता तथा सर्जरी में अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता या मेजर थोरेसिक सर्जरी का अनुभव।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जन की अस्थायी नियुक्ति फरवरी, १९५७ के बाद की गयी उनमें उस समय की निर्धारित योग्यता नहीं थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इसके लिये नोटिस चाहूंगा। संभवतः उस वक्त की योग्यता उनमें थी।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह तीसरी योग्यता जो अब जोड़ी गयी इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह मुनासिब समझा गया कि थोरेसिक सर्जरी भी होनी चाहिये क्योंकि यहां किसी मेडिकल कालेज में यह होती नहीं थी। इसलिये उसको जोड़ दिया गया।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सज्जन इस समय इस स्थान पर काम कर रहे हैं उनको वह ही योग्यता प्राप्त है जो तीसरी शर्त में लिखी हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये मैंने पहले ही कहा कि नोटिस की आवश्यकता होगी। वैसे अब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने यह मामला है। जो इस शर्त को पूरा करते होंगे वे लिये जायेंगे और जो नहीं पूरा करते होंगे वे नहीं लिये जायेंगे।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के खजाने से गबन की शिकायत

**१४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ के खजाने से ३।। हजार रुपया फरवरी, सन् १९५८ के प्रथम पक्ष में गायब हो गया है जो गजटेड अधिकारियों की जानकारी में है? यदि हां, तो कौनसी कार्यवाही की गई?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार को अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतएव कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सूचना मंगाने की कोशिश क्यों नहीं की?

श्री रऊफ जाफरी—सूचना तो तब मंगाई जाती जब कोई इत्तला होती कि वहां गबन हुआ है। इसकी कोई इत्तला हुई नहीं इसलिये सूचना किस बात की मांगी जाय?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय सूचना क्यों नहीं मंगाई गयी?

श्री रऊफ जाफरी—जब यह सवाल आया तो सूचना मांगी गयी लेकिन अभी तक वह आयी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार की यह जानकारी में है कि जिस व्यक्ति ने यह गबन किया है वह यहां से भागकर पाकिस्तान चला गया है?

श्री रऊफ जाफरी—जैसा कि जवाब में कहा गया है कि इसकी सूचना पहले नहीं थी। सवाल यह किया गया था कि क्या सरकार को इसकी खबर है तो जवाब दिया गया कि "नहीं है"। अब इसके मुताल्लिक उनसे पूछा गया है। अभी उनसे जवाब नहीं मिला है। इसलिये अभी कोई बात बतलाई नहीं जा सकती।

नगरपालिकाओं में परिवर्तित नोटीफाइड एरियाज

**१५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने प्रांत में नोटीफाइड एरियाओं को जो हाल में नगरपालिकाओं में परिवर्तन किया है उनके नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा उनकी जन-संख्या जो इस इस समय है बतायेगी?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—सूचना नीचे रखी तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३५ पर।)

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन नगरपालिकाओं के लिये यह नियम नहीं है कि जिनकी जनसंख्या १० हजार से अधिक हो वह नोटीफाइड एरिया नगरपालिका में परिवर्तित कर दिये जायं?

श्री रामस्वरूप यादव—नियम यह है कि जिन नोटिफाइड एरिया की आमदनी ४० हजार रुपये से ज्यादा हो वह नगरपालिका में परिवर्तित की जा सकती है।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या जनसंख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है?

श्री रामस्वरूप यादव—४० हजार से आमदनी बढ़ जाय तो जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन नोटीफाइड एरियाज को उन्होंने म्युनिसिपैलिटी में तब्दील किया है उनका चुनाव कब तक कराने का उनका इरादा है।

श्री रामस्वरूप यादव—कांस्टीट्युएंसी के बारे में जिलों से सूची मांगी गई है, वह स्वीकार हो जाय तो उसके बाद चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री महोदय सदस्यों की जानकारी के लिये उस तालिका को पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—खातौली, जिला मुजफ्फरनगर, रामनगर, नैनीताल, सांडी, हरदोई, मुहम्मदी, जिला खीरी, गंगोह, जिला सहारनपुर, पौड़ी, जिला गढ़वाल, नीमसार, जिला सीतापुर, बिलसी, जिला बदायूं।

मिर्जापुर जिले में खुलने वाले एलम्युनियम कारखाने की योजना पर विचार

**१६—राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर जिले में पब्लिक सेक्टर में जो एलम्युनियम के कारखाने की बनाने की योजना थी वह प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया?

श्री रऊफ जाफरी—यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है और अभी उनका कोई अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

**१७—राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—यदि हां, तो किस उद्योगपति को यह कारखाना बनाने की आज्ञा दी है और किन शर्तों पर?

श्री रऊफ जाफरी—यह प्रश्न नहीं उठता।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—अभी बजट भाषण में माननीय मंत्री ने कहा था कि एलम्युनियम फैक्ट्री बिड़ला जी को दी जा रही है और इस उत्तर में यह कहा गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। इन दोनों बातों में कौन-सी ठीक है क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी, दोनों बातें सही हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया दोनों बातों को एक्जामिन कर रही है। बिड़ला जी से उन्होंने कहा है कि तुम भी देखभाल कर लो और बहुत मुमकिन है कि हम तुम्हारा केस मंजूर कर लें लेकिन वह हमसे भी बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया इन दोनों बातों को देख समझकर तय करेगी कि यह फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---गवर्नमेंट आफ इंडिया के फैसले के पहले ही क्या यू० पी० सरकार ने यह फसला कर लिया है कि यह बिड़ला जी को दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---न इसमें ही यह लिखा है और न यह फैसला किया है।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार के सामने यह विचार भी विचाराधीन है कि एलम्युनियम फैक्ट्री में ज्यादा शेयर सरकार के रहें और बाकी शेयर प्राइवेट सेक्टर को दिये जायं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---शेयर्स का इसमें कोई सवाल आया नहीं। वह या तो प्राइवेट सेक्टर के होंगे या पब्लिक सेक्टर के। या तो गवर्नमेंट सारा रुपया लगायेगी या प्राइवेट सेक्टर।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस विषय में केंद्रीय सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश सरकार की राय पूछी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हम से यह नहीं पूछा कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर को दें या पब्लिक सेक्टर को।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि बिड़ला साहब ने उत्तर प्रदेश की सरकार को यह लिखा कि हमको रिहन्द से बिजली सस्ते दामों पर दी जाय और उसके उत्तर में सरकार ने यह कहा कि हम ४० परसेंट कंसेशनल रेट्स पर बिजली देने के लिये तैयार हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह दोनों बातें बिलकुल गलत हैं। न उन्होंने लिखा न हमने कहा।

प्रतापगढ़ जिले से कुछ ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण

**१८---श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या योजना मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अभी हाल ही में प्रतापगढ़ से एक दर्जन से ज्यादा ग्राम साथियों का तबादला उनके निकटवर्ती जिलों से दूर के जिलों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---प्रतापगढ़ जिले के १२ ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण, प्रशासन की सुविधा के लिये फैजाबाद कमिश्नरी के ही अन्य निकटवर्ती जिलों को कर दिया गया है। ये जिले फैजाबाद, बाराबंकी व बहराइच के जिले हैं।

**१९---श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)---क्या योजना मंत्री संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि उनका तबादला दूर के जिलों के बजाय उनके निकटवर्ती जिलों में ही कर दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि तबादला दूर के जिलों को नहीं किया गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

कपड़े तथा सूत पर से लाइसेंस हटाने के लिये फुटकर वस्त्र व्यापारी संघ, लखनऊ का स्मृति-पत्र

**२०---श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कपड़ा कण्ट्रोल आर्डर, १९५२ के हट जाने के बाद भी लाइसेंस प्रणाली उत्तर प्रदेश में क्यों चालू है ?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९५२ ई० में कपड़ा तथा सूत के मूल्य तथा वितरण पर नियंत्रण हटाने के समय मिलों के पास स्टाक घटते हुए मालूम पड़े। इस विचार से कि कपड़े की कमी तथा उसकी कीमत के बढ़ने पर सरकार फिर नियंत्रण लगा सके तथा टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई द्वारा मांगे गये आंकड़े इकट्ठा करने में कोई कठिनाई न हो, सरकार ने कपड़ा तथा सूत के व्यापार पर लाइसेंस प्रथा जारी रक्खी है लेकिन लाइसेंस फी कम कर दी गई है।

**२१—श्री पब्बरराम—क्या इस संबंध में सरकार को फुटकर वस्त्र व्यवसायी संघ, लखनऊ ने कोई स्मृति-पत्र भेजा है? यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाई की है?

श्री रऊफ जाफरी—फुटकर वस्त्र व्यवसायी संघ ने अगस्त, १९५७ में स्मृति-पत्र भेजा था जिसमें लाइसेंस प्रणाली खत्म करने तथा लाइसेंस के नवीकरण तथा फीस जमा करने की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने लाइसेंस प्रणाली खत्म करने को उचित नहीं समझा लेकिन लाइसेंस के नवीकरण की मियाद जो ३१ अगस्त, १९५७ को खत्म हो रही थी ३१ अक्टूबर, १९५७ तक बढ़ा दी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बाजार में कपड़े की बढ़ती को देखकर इस लाइसेंस को हटाने की कृपा करेगी?

श्री रऊफ जाफरी—यह प्रश्न सोचा जा सकता है।

श्री पब्बरराम—जब परमिट व्यवस्था खत्म कर दी गई है तब भी इम्पोर्टर्स, होल-सेलर्स, रिटेलर और हाकर की लाइसेंस व्यवस्था रखने का क्या प्रयोजन है?

श्री रऊफ जाफरी—जवाब दे दिया गया है कि जो आंकड़े मंगाये जाते हैं उनके जमा करने में आसानी होती है जब लाइसेंस दिया रहता है, इसी वजह से यह जारी रखा गया है।

श्री पब्बरराम—अब अन्य प्रांतों, बम्बई, दिल्ली, आंध्र और पंजाब में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तो यू० पी० की सरकार के सामने इसको खत्म करने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष—उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो टैक्सटाइल के सेंट्रल कंट्रोलर हैं उन्होंने भी यू०पी० सरकार से यह सिफारिश की है कि यह व्यवस्था खत्म कर दी जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो कम से कम इसे सुना नहीं। किसी जमाने में उनकी तरफ से यह बात आई हो साल दो साल पहले तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मेरा खयाल है, यह मैंने नयी बात सुनी है। मुमकिन है ऐसा हो।

आगरा जिले की खैरागढ़ तहसील में चकबन्दी का काम

**२२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खैरागढ़, जिला आगरा में चकबन्दी कब तक समाप्त हो जायगी और उसके बाद आगरा जिले में कहां-कहां चकबन्दी होगी?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह कार्य संभवतः अक्तूबर, १९५८ तक समाप्त हो जायेगा। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि इसके पश्चात् आगरा जिले में कहां चकबन्दी होगी।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खैरागढ़ तहसील में चकबन्दी कब शुरू हुई और वहां अधिक समय लगने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—ठीक तारीख तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन अधिक समय यों नहीं कहा जा सकता कि इसके साथ जो और तहसीलें ली गई थीं उनमें भी अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतावेगी कि जब किसी एक जिले में चकबन्दी खत्म हो जाती है तो दूसरा जिला लेने के लिये वह किसकी राय पर गौर करके फैसला करती है ?

श्री चरणसिंह—कलेक्टर से पूछा जाता है और वह प्लानिंग कमेटी की राय से डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन को लिखते हैं जो सरकार से पूछता है।

फैजाबाद जिले में उफरौली के भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध घूसखोरी का मुकदमा

**२३—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—क्या माल मन्त्री दिनांक १२ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और ९६ के क्रम में कृपया यह बतायेंगे कि क्या अब सम्बन्धित आवश्यक सूचना एकत्र हो चुकी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। परगनाधीश को परताल के समय यह मालूम हुआ कि ग्राम उफरौली के भूतपूर्व प्रधान ने जमीन उठाने तथा कुयें के बारे में रुपये लेने में गड़बड़ी की है। इस प्रधान ने ५१ बीघा १६ बिस्वा १५ धुर जमीन ५९ आदमियों को खिलाफ कानून १,७१० रु० रिश्वत लेकर उठाई। प्रधान के ऊपर रिश्वत का मुकदमा स्पेशल जज के यहां चल रहा है और जिलाधीश को हिदायत की गई है कि वह खिलाफ कानून दिये हुये पट्टों को मंसूख करादें।

कुयें के बारे में धोखा दे कर प्रधान ने ३५० रु० विकास विभाग से लिये। इसकी जांच वैभागिक अधिकारी कर रहे हैं।

खरीफ़ तथा रबी की फसलों की क्षति के संबंध में कलेक्टरों द्वारा लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर को भेजी गई रिपोर्टों की नकल की मांग

**२४—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १७० के अनुसार पन्द्रह रोजा रिपोर्ट कलेक्टरों की लैंड रिफार्म्स कमिश्नर को कोई आई। यदि हां, तो अन्तिम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां, रिपोर्ट आई हैं वह कार्यालय में देखी जा सकती है।

**२५—श्री गेंदासिंह—१३६५ फसली की खरीफ और १३६४ फसली की रबी की बर्बादी की रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १७४ के अनुसार कलेक्टरों की रिपोर्ट राज्य सरकार को पहुंची या नहीं ? यदि पहुंची, तो क्या उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ? यदि नहीं पहुंची, तो क्यों नहीं पहुंची ?

श्री चरणसिंह—ये रिपोर्ट भी आई हैं और ये कार्यालय में देखी जा सकती हैं। इनकी प्रतिलिपि तैयार कराने में जो समय तथा श्रम व्यय होगा वह इससे होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा।

**२६—श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के यहां रेवेन्यू मैनुअल के पैरा १७५ के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई? यदि हां, तो खरीफ १३६५ फसली के सम्बन्ध में राज्य सरकार को लैंड रिफार्म्स कमिश्नर की रिपोर्टें क्या और कब आईं और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। कार्यवाही नियम के अनुसार हुई है। सरकार के पास जो रिपोर्टें आई हैं वे कार्यालय में देखी जा सकती हैं उनकी प्रतिलिपि तैयार करने में जो समय तथा श्रम व्यय होगा वह इससे होने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। सरकार ने उन पर नियमानुसार कार्यवाही की है।

श्री गेंदासिंह—इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है जो नहीं रखी गई?

श्री चरणसिंह—प्रश्न २४, २५ और २६ में जितनी प्रतिलिपियां मांगी गई हैं उनमें एक ही कठिनाई है और वह यह है कि प्रतिलिपियां दी जावें तो १५० दी जावें किसी मेम्बर को और हरेक की कई कापी करानी पड़ती हैं। तो आठ ड्यौढ़े बारह सौ कापी होगी जिनके लिये कई खास राज्य कर्मचारी लगाने होंगे। यदि माननीय सदस्य को तकलीफ हो तो मैं उनके पास हाजिर हो जाऊं।

श्री गेंदासिंह—जो १५ रोजा रिपोर्ट खरीफ की आई है, सरकार उसका सारांश बताने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हुकुम तो दे दिया उत्तर देने का, लेकिन ५१ जिलों की रिपोर्ट का सारांश मैं कैसे बता सकूंगा?

केन डेवलपमेंट बिल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर, जिला बलिया के संबंध में जानकारी

**२७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन डेवलपमेंट बिल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर, जिला बलिया का रजिस्ट्रेशन कब हुआ है?

**२८—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन सेल सोसाइटी, बलिया के "आफर" को पद्मपत मोती लाल शुगर मिल, भटनी, जिला देवरिया ने क्यों नहीं स्वीकार किया तथा केन सेल सोसाइटी, बलिया ने कितने वर्षों तक बिल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर में गन्ना विक्रय का कार्य किया है?

श्री रऊफ जाफरी—इन प्रश्नों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २७ नम्बर सवाल के जवाब में जो उन्होंने बताया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इसकी सूचना केन कमिश्नर के आफिस से मिलेगी या कहीं और से?

श्री रऊफ जाफरी—केन कमिश्नर के कार्यालय में यदि सूचना होती तो आ ही जाती। इसे वहां से मंगाना पड़ेगा।

शुगर मिल्स खलीलाबाद, जिला बस्ती को बाहरी स्टेशनों से गन्ना न मिलने की शिकायत

**२९—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शुगर मिल्स खलीलाबाद, जिला बस्ती को बाहरी स्टेशनों का गन्ना इस वर्ष नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

**३०—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खलीलाबाद तहसील, परगना महुली, जिला बस्ती के कुछ गांवों के किसानों ने यह मांग की है कि उनके गांव गन्ना देने के लिये स्टेशन खलीलाबाद में लगाये जायं, मुन्देखां के स्टेशन पर नहीं क्योंकि उनके लिये रास्ता नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी—इन प्रश्नों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री धनुषधारी पांडेय—मेरा निवेदन है कि सूचना आने तक इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—जब सूचना आ जावेगी तो जवाब आपको मिल ही जावेगा।

अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों में विद्यार्थियों के साथ फीस में रिआयत करने की प्रार्थना

**३१—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ पूर्वीय जिलों में फसल की खराबी से विद्यार्थियों को फीस की छूट से विद्यालयों को जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—पूर्वी ९ जिलों में अक्तूबर, ५७ से मार्च, ५८ तक के लिये शिक्षा शुल्क की रियायत दी गई है। इसके कारण शिक्षा संस्थाओं को होने वाली हानि की प्रति-पूर्ति नियमित रूप से बराबर की जा रही है।

**३२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुछ पूर्वीय जिलों में खरीफ १३६५ की फसल खराब होने के कारण विद्यार्थियों की फीस में अप्रैल, १९५८ से जून, १९५८ तक की माफी की आज्ञा न देने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—इन जिलों में १३६५ की खरीफ फसल से क्षति पहुंचने के कारण मार्च, ५८ तक शिक्षा शुल्क में रियायत देने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। मार्च, १९५८ के बाद इस रियायत को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। खरीफ की क्षति की वजह से अप्रैल से जून तक फीस में रियायत देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन आराजियात की खरीफ की फसल बरबाद हो गई है जिस कारण फीस में रिआयत की गई, उनमें मार्च के कब्ल कोई ऐसी फसल पैदा हो जावेगी जिससे इस रिआयत की जरूरत नहीं है ?

श्री चरणसिंह—एक तो रबी पैदा हो जावेगी। २८ फरवरी और पहली मार्च को पूरब के कुछ जिलों में फसल कटना शुरू हो जाती है और १५ मार्च तक तो इन ९ जिलों में पूर्णतया कट जावेगी सिवाय १०, ५ खेतों को छोड़ कर।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो लड़के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में इस साल शामिल हो रहे हैं उनकी ५ महीने की फ़ीस १५ फरवरी को वसूल कर ली जाती है ?

श्री चरणसिंह—मुझे तारीख तो नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक मालूम है, कुछ पहले ले ली जाती है।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि इन ९ जिलों में जिन विद्यार्थियों से ५ महीने की फीस वसूल कर ली गई है उनकी फीस माफ हो सकेगी?

श्री चरणसिंह—बिलकुल नहीं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतावेगी कि रबी की फसल स्वतः खराब है तो आगे की भी फीस माफ करने की सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री चरणसिंह—मैं रबी की फ़सल ऐसी खराब मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं गोरखपुर और देवरिया जाकर देख आया हूं। देवरिया में तो बिलकुल नारमल कही जा सकती है।

आजमगढ़ जिले के अमिला रेलवे स्टेशन से ईख का कांटा हटाना

**३३—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—गत ११ फरवरी ५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के अमिला रेलवे स्टेशन पर कांटा ईख सप्लाई के लिये गड़ कर एक सप्ताह में ही क्यों उखड़ गया ?

**३४—क्या सरकार बतायेगी कि अमिला-घोसी-दोहरी क्षेत्र के लाखों मन गन्ने की खपत के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—इन प्रश्नों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

खड्डा, शिशवा तथा घुघली मिल क्षेत्रों में कांटे की व्यवस्था के लिये प्रार्थना

**३५—श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड्डा मिल व शिशवा मिल व घुघली मिल जोन के अन्तर्गत १२ ग्रामों के किसानों की गन्ना सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रख कर सरकार ने कांटे की तत्काल व्यवस्था की थी ?

**३६—यदि हां, तो सरकारी आदेश को कार्यान्वित करने में अब तक क्यों देरी की गयी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन प्रश्नों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

इंडिया कोल्ड स्टोरेज ऐंड आइस कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ पर ऋण

**३७—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की वह कौन सी कोल्ड स्टोरेज और आइस कम्पनी है जिसे सन् १९४९ में दो लाख पांच हजार रुपया ऋण स्वरूप दिया गया था जो आज तक वसूल नहीं हो सका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन्डिया कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ।

**३८—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उस कम्पनी के कितने शेयर होल्डर हैं और उसके डाइरेक्टरों के क्या नाम हैं और उसका रजिस्टर्ड आफिस कहां है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त कम्पनी के ५१ शेयर होल्डर हैं। डाइरेक्टरों के नाम निम्नलिखित हैं:—

१—राजा विश्वेश्वर दयाल सेठ
२—राजा श्रीराम सेठ
३—नवाब सैयद एजाज रसूल, सदस्य, विधान सभा
४—राजा हेमेनशुधर सिंह
५—चौधरी नौनिहाल सिंह
६—कुमार नरेश्वर दयाल सेठ।

कम्पनी का रजिस्टर्ड आफिस नम्बर ३, कैसर बाग, लखनऊ में है।

**३९--श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि क्या वह कोल्ड स्टोरेज और आइस कम्पनी बन कर व्यापार करने लगी है ? यदि हां, तो कब से और कहां पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। १९ सितम्बर, १९५७ से कम्पनी अपने रजिस्टर्ड स्थान पर व्यापार कर रही है।

प्रदेशीय तथा केंद्रीय सरकारों के चपरासियों का समान वेतन करने के संबंध में जानकारी

**४०--श्री पब्बरराम--क्या सरकार केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार के चपरासियों के वेतन में वर्तमान वैषम्य को दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं।

श्री पब्बरराम-- इसका क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी--धनाभाव।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि फरवरी, सन् १९५६ में केन्द्रीय सरकार ने एक पत्र और एक टेलीग्राम दोनों राज्य सरकार के पास भेजे थे कि जो ६० रुपये तक या कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनके इतने रुपये किये जावें और इसका दो-तिहाई केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- इसके मुताल्लिक़ बिलकुल निश्चित कहने के लिये नोटिस की जरूरत है। आप नोटिस दीजिये, मैं जवाब दे दूंगा।

काशीपुर क्षेत्र का गन्ना नियमित रूप से न लेने के कारण धामपुर चीनी मिल के विरुद्ध कार्यवाही

**४१--श्री नारायणदत्त तिवारी-- क्या सरकार को सूचना है कि काशीपुर क्षेत्र का लगभग ३६६ ट्रक गन्ना पिछले सीजन धामपुर चीनी मिल में पेरे जाने हेतु गन्ना विभाग द्वारा भेजा गया और क्या यह सच है कि इस गन्ने की तौल, कीमत आदि की पर्ची किसी को नहीं दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी-- जी हां, यह सही है कि १९५६-५७ सीजन में काशीपुर क्षेत्र से ३६६ ट्रक गन्ना क्रश करने के लिये धामपुर चीनी मिल भेजा गया था और इस मिल द्वारा किसानों को गन्ने की तौल, कीमत आदि की पर्ची नहीं दी गई थी।

**४२--श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि हां, तो उक्त फैक्टरी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रऊफ जाफरी--इस मिल के विरुद्ध यू० पी० (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई ऐण्ड परचेज) रूल्स, १९५४ की धारा १२० के अन्तर्गत उचित कार्यवाही हो रही है।

**४३--श्री नारायणदत्त तिवारी-- क्या यह सही है कि उक्त ३६६ ट्रकों का किराया भी अभी तक गन्ना विभाग द्वारा अदा नहीं किया जा सका है ?

श्री रऊफ जाफरी-- जी नहीं, केन सोसाइटी ने इस मिल में गन्ना शीघ्र भिजवाने के लिये इन ट्रकों का प्रबन्ध किया था जिसके किराये की अदायगी किसानों द्वारा होना था। इस फैक्टरी से अब गन्ने की कीमत का रुपया मिल गया है और किसान इन ट्रकों का किराया अदा कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी— क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब गन्ने की तौल ही नहीं हुई थी और गन्ने की पर्चियां ही नहीं दी गई थीं तो फिर किस को किस रेट से, और किस तौल से पैसा पेमेन्ट किया गया ?

श्री रऊफ जाफरी— यह तो नहीं कहा गया कि तौल नहीं हुई। कहा यह गया कि पर्चियां नहीं दी गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी— क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ये पर्चियां क्यों नहीं दी गयीं और फिर वहां पर जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रऊफ जाफरी— जो कुछ कार्यवाही की गई वह तो बतला दी गयी कि इसी सिलसिले में उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री गेंदासिंह— क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जो कीमत का पर्चा होता है उस पर वजन भी लिखा होता है तो क्या वजन के साथ-साथ कीमत की पर्ची भी मिली या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी— उत्तर में कहा गया है कि पर्चियां नहीं दी गयीं।

राज्य में खुलने वाले डिप्लोमा पोलीटेक्निक

**४४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार का विचार प्रदेश में कुछ इंजीनियरिंग कालेज तथा पोलिटेक्निक स्कूल खोलने का है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक तथा उन पर पृथक-पृथक कितना धन व्यय होगा ?

श्री रऊफ जाफरी— इंजीनियरिंग कालेज के बारे में अभी कुछ निश्चित नहीं है किन्तु तीन डिप्लोमा पोलीटेक्निक, एक बरेली में दूसरा झांसी में, तथा तीसरा खुर्जा में खोलने का विचार है। यह पोलीटेक्निक सम्भवतः अगले वर्ष से कार्य आरम्भ कर देंगे। इनमें से पंचवर्षीय योजना में पहले तथा दूसरे पर २१-२१ लाख रुपया और तीसरे पर २० लाख रुपया का व्यय होगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी— क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज खुलने के बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ, या केवल स्थान के बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी— स्थान के बारे में भी निश्चय नहीं हुआ है और यह भी निश्चय नहीं है कि कालेज खुलेगा ही, लेकिन उम्मीद है कि खुलेगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या जो पोलिटेक्निक स्कूल खुलने वाले हैं, उनकी इमारत के लिये भूमि का कोई प्रबन्ध हो चुका है ? यदि हां, तो झांसी में कौन सा स्थान चुना गया है ?

श्री रऊफ जाफरी— इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्ध के लिये कथित आफिशियल रिसीवर

**४५—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे इस बात की सूचना है कि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन का प्रबन्ध करने के लिये कोई आफीशियल रिसीवर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

रऊफ जाफरी—इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी उस सूचना को ही सदन को बताने का कष्ट करेंगे जो उनके पास इस सम्बन्ध में आयी है ?

श्री रऊफ जाफरी—चूंकि इस वक्त सूचना नहीं है, इसलिये सदन के सामने रखना मुनासिब नहीं है।

[१४ फरवरी, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न]

* * *

विमको फैक्ट्री बरेली की कथित हड़ताल

*१७—श्री त्रिलोकी सिंह—क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विमको फैक्टरी, बरेली में कुछ समय से हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उसके समाप्त करने के क्या प्रयत्न किये गये ?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं।

* * *

प्रदेश की मिलों के लेबर आफिसर्स

*२१—डाक्टर तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की मिलों में जितने भी लेबर आफिसर हैं क्या उनके ऊपर सरकार का कोई नियन्त्रण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्टरी वेलफेयर आफीसर्स रूल्स की धारा ३ के अन्तर्गत प्रत्येक फैक्टरी को जिसमें ५०० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, एक वेलफेयर आफीसर रखना चाहिए। कुछ फैक्टरियां इसके अतिरिक्त लेबर आफीसर भी नियुक्त करती हैं। इस दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये हैं। वेलफेयर आफिसर्स की योग्यतायें, कार्यक्षेत्र की रूपरेखा, सेवा की शर्तें, तनख्वाहें इत्यादि फैक्टरी वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ में विधिवत् निर्धारित की गई हैं, समय-समय पर सरकार द्वारा प्रख्यापित आदेशों द्वारा प्रबन्धकारियों को इस बात से रोका गया है कि वे बिना श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति के निहित कार्यों के अतिरिक्त इन अधिकारियों से कोई अन्य कार्य न लें। नियमानुकूल नियुक्त वेलफेयर आफिसर को श्रमायुक्त की अनुमति के बिना दोषवेचन (सेन्सर) के अतिरिक्त कोई अन्य दन्ड नहीं दिया जा सकता।

डाक्टर तारादेवी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन वेलफेयर आफिसरों की योग्यता क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इसमें तीन किस्म के वेलफेयर आफिसर्स हैं जो इन फैक्टरियों के लिये होते हैं और उनका मजदूरों की संख्या से सम्बन्ध रहता है। जहां मजदूरों की संख्या ५०० तक है वहां के लिये कुछ व्यक्ति हैं। जहां ५०० से ऊपर हैं, तो उनके लिये कुछ और हैं। जहां २,५०० या उससे ऊपर हैं, उनके लिये कुछ और हैं। यदि आप कहें तो मैं उनके क्वालिफिकेशंस को पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—काशी विद्यापीठ का डिप्लोमा हो या किसी यूनिवर्सिटी का इकनामिक्स और सोशल साइंस में ग्रेजुएट हो या बम्बई के ताता स्कूल का सोशल साइंस में ग्रेजुएट हो, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का सोशल साइंस में डिप्लोमा हो, या कोई ऐसा आदमी हो जिसको ट्रेड यूनियन के कार्यों और श्रमिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों में काफी रुचि रही हो और काफी उसका प्रेक्टिकल एक्सपीरिएंस भी हो। ऐसे लोगों को उसमें लेने के लिय सरकार ने योग्यता निर्धारित की है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय श्रम मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन मिलों में जो लेबर आफिसर हैं, उनकी योग्यता की जांच उन्होंने करा ली है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—लेबर आफिसर्स की योग्यता की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य का मतलब लेबर वेलफयर आफिसर्स से है, तो हमने बराबर जांच करायी है और वे ठीक हैं।

डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी आगरा के सदस्य

*२२—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी, आगरा के आजकल कौन-कौन व्यक्ति सदस्य हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी आगरा के वर्तमान सदस्यों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३६ पर।)

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गयी है, वह सूची अधूरी है या पूरी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मुझे आशा है कि जो माननीय सदस्य को सूची मिली है उसमें १६ मेम्बर हैं। यदि १६ मेम्बरों वाली सूची है तो वह पूरी सूची है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वलफेयर एडवाइजरी कमेटी में कुछ अन्य सदस्य, उदाहरण के तौर पर श्री इसरारुल हक, भूतपूर्व एम० एल० ए० और श्री गंगाधर जाटव भूतपूर्व एम० एल० ए० का नाम भी है जो इस सूची में दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी नहीं, ऐसे सदस्य नहीं हैं। वे उस वक्त उस कमेटी के सदस्य थे जिस वक्त कि उस एरिया से एम० एल० ए० थे। अब उनके स्थान पर दूसरे माननीय सदस्य उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस माननीय सदन में आ गये हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मंत्री महोदय को पता है कि सितम्बर मास में एडीशनल सेक्रेटरी ने श्री इसरारुल हक साहब को इस कमेटी का सदस्य मनोनीत किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

डिस्ट्रिक्ट लेबर कालोनी एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी आगरा तथा लेबर कालोनी फिरोजाबाद की एडहाक एलाटमेंट कमेटी के सदस्य

*२३—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेबर कालोनी एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी आगरा तथा लेबर कालोनी, फिरोजाबाद की एडहाक एलाटमेंट कमेटी का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ? क्या श्रम मन्त्री वर्तमान कमेटियों के सदस्यों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—इन कमेटियों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हैं। इनका निर्माण एडहाक बेसिस पर किया जाता है।

जी हां, एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३७ पर।)

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद लेबर कालोनी एडहाक कमेटी में फिरोजाबाद के रहने वाले विधायकों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, वह किसी खास बेसिस पर नहीं बनाये जाते जिनको सलाहकार कमेटी के लिये उचित समझा गया उनको रखा गया।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार को पता है कि इस कमेटी में श्री आदिराम सिंहल, एक्स एम०एल०ए० को सम्मिलित किया गया है जब कि फिरोजाबाद के विधायकों को सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह ठीक है कि श्री सिंघल उसमें हैं लेकिन यह बुशवारी कभी-कभी होती है कि अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। एक कमेटी के लिये हम श्री लहरी को ही चाहते थे लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। कभी-कभी ऐसी दिक्कत होती है इसलिये ऐसा हो जाता है।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैंने जिस कमेटी का सदस्य होने से इन्कार किया है वह लेबर वलफेयर एडवाइजरी कमेटी थी और उसकी सूचना मेरे निर्वाचन के दस मास बाद मुझे दी गई इसलिये मैंने इन्कार कर दिया था।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं है, यह आप सफाई दे रहे हैं।

* * *

आश्रयहीन अंध और अपाहिजों के रहन-सहन के प्रबन्ध के लिये प्रार्थना

*२८---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आश्रयहीन अन्धे और अपाहिजों की संख्या इस राज्य में कितनी है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---इस राज्य में आश्रयहीन अन्धे और अपाहिजों की संख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं आ है। अतः उनकी संख्या देना सम्भव नहीं है।

*२९---श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार ने इनके रहने और खाने का प्रबन्ध करने की कोई योजना बनाई है और वह क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर---सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न योजनायें ऐसे व्यक्तियों की सुविधा के लिये बनाई हैं:---

(१) दो अंध विद्यालय, गोरखपुर तथा लखनऊ में,
(२) एक मूक वधिर विद्यालय आगरा में,
(३) एक भिक्षु गृह हरिद्वार में, तथा
(४) एक भिक्षु गृह इलाहाबाद में (जो १९५८-५९ में स्थापित किया जायगा)।

नान-प्लान के अन्तर्गत एक सरकारी मूक-बधिर विद्यालय बरेली में शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाता था। इस विद्यालय को हाल ही में समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राइवेट मूक वधिर तथा अंध विद्यालयों तथा विद्यार्थियों को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आश्रयहीन, अन्धे और अपाहिजों की इस सूबे में कितनी संख्या है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री टीकाराम पुजारी---सरकार ने उनकी जांच अभी तक क्यों नहीं कराई ?

आचार्य जुगलकिशोर---ऐसा खयाल किया गया कि उसमें जितना खर्चा होगा उतना उससे लाभ नहीं पहुंच सकेगा इसलिये उस खर्चे का करना मुनासिब नहीं समझा गया।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार उनके लिये रहने, खाने और कपड़े का प्रबन्ध अपनी योजना में करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्यों नहीं मुनासिब समझा जाता कि इन आश्रयहीन अन्धे आदि लोगों का सर्वेक्षण करा लिया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैंने अभी जवाब दिया कि गवर्नमेंट नहीं समझती कि इससे कुछ ज्यादा लाभ होगा कि हम संख्या की गणना में पैसा खर्च करें और उसके बाद उनका प्रबन्ध न कर सकें । इसलिये जहां तक हो सकता है सरकार की ओर से ऐसे आश्रमों को अनुदान देकर सहायता दी जाती है ।

* * *

राज्य में बेकारी

*५३---श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस प्रदेश में बेरोजगार स्त्रियों और पुरुषों की संख्या काम दिलाने वाले कार्यालयों के अनुसार कितनी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---दिसम्बर, १९५७ ई० के अन्त तक काम दिलाने वाले कार्यालयों में बेरोजगार स्त्रियों की संख्या २,३०२ तथा पुरुषों की १,३६,००५ थी ।

*५४---श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार बतायेगी कि १९५६-५७ में कितने व्यक्तियों को काम दिलाने वाले कार्यालयों द्वारा रोजगार मिला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---१९५६ में ३३,९३७ को तथा १९५७ में ३४,४४२ को ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार यह बताने की मेहरबानी करेगी कि स्त्रियों की इतनी कम तादाद की वजह क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---स्त्रियों की तादाद बढ़ाना घटाना हम लोगों के हाथ में नहीं है । जो आती हैं उनका नाम लिख लिया जाता है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन २,३०२ स्त्रियों ने एप्लाई किया उसमें से कितनों को काम मिला ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलग-अलग सूचना इस वक्त नहीं है । इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर, १९५६ से दिसम्बर, १९५७ में बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसके कोई कारण मैं स्पष्ट तौर से नहीं कह सकता । बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बेकारों की संख्या में कितने टेक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति थे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अलग अलग इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है । इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या श्रम मंत्री महोदय को जानकारी है कि यह पुरुषों और स्त्रियों की जो संख्या बतायी गयी है इसमें अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं । ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है जो कि कुली, चपरासी, खलासी आदि अन-स्किल्ड लेबर के लिए आते हैं ।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत वेज बोर्ड के नियमों से चलने वाले समाचार-पत्र

*६५—श्री झारखंडेराय—प्रदेश में कितने समाचार-पत्र हैं जिन पर श्रमजीवी पत्रकार अधिनयम के अन्तर्गत बने वेज (मजदूरी) बोर्ड का निर्णय लागू होना है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेश में १३० समाचार पत्र प्रतिष्ठान हैं। अभी तक ३३ समाचार-पत्रों पर श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत बने वेज बोर्ड का निर्णय लागू है और श्रमायुक्त द्वारा जांच की जा रही है कि कितने और समाचार-पत्रों पर यह निर्णय लागू होगा।

*६६—श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि वर्किंग जरनलिस्ट वेज बोर्ड की सिफारिश से कितने श्रमजीवी पत्रकार प्रभावित होंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कितने क्लेम्स पेटीशन इस विषय में आये हैं जिनमें कहा गया है कि वेज बोर्ड के अनुसार वेतन गलत दिया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस वक्त, मान्यवर, जो मेरे पास फाइल है इसे देखने से लगता है कि कोई क्लेम्स नहीं आये हैं। इसलिये इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन समाचार-पत्रों के प्रतिष्ठान ने इस विषय में आवश्यक सूचना नहीं भेजी है उनके बारे में सरकार क्या करने का विचार रखती है या उसने अब तक क्या किया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जेंटिल प्रेशर।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब तक सरकार ने वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार कितने इंस्पेक्टर नियुक्त किये हैं ? उन्होंने क्या काम किया है और कितने पत्रकारों पर वह इसका फैसला लागू करा सकें हैं या वेतन दिलवा सके हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जितने हमारे रीजनल कंसीलिएशन आफिसर्स हैं वह सब-इंसपेक्टर्स हैं। उनके अंडर में जितने इंसपेक्टर्स हैं उनको भी हमने अथारिटी दे रखी है, लेकिन यह सारा मामला उलझा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ज्यों ही वहां से फैसला होगा उसके बाद कोई सही तस्वीर निकल पावेगी।

इंडियन इम्प्लीमेंट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी अलीगढ़ में मजदूरों की छटनी

*६७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इण्डियन इम्पलीमेंट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, अलीगढ़ के मालिकों ने २३-११-५७ को कम्पनी के लगभग ८५ मजदूरों की छटनी कर दी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मालिकों से कोई पत्र-व्यवहार किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

१—जी हां। २३-११-५७ को मिल मालिकों ने कच्चे माल तथा आर्डर की कमी के कारण ८६ श्रमिकों की छटनी की थी।

नोट—स्थगित तारांकित प्रश्न ६६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

२—नहीं। लेकिन सेवायोजकों की अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी आगरा से बात चीत हुई। सेवायोजकों ने कहा है कि यदि काम होगा तो श्रमिकों को ज्येष्ठता (senioriy) के अनुसार काम पर वापस ले लिया जायगा। अतः यदि श्रमिक दूसरे कामों के लिये उपयुक्त पाये गये तो वे उन्हें अपने और कारखानों में काम पर लेने की कोशिश करेंगे।

× × × ×

प्रेम स्पिनिंग मिल्स, उझानी के मजदूरों का एवार्ड का रुपया

*६९—श्री श्री कृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रेम स्पिनिंग मिल्स, उझानी ने मजदूरों को १९५५ के एवार्ड का रुपया अभी तक नहीं दिया है और इसी सिलसिले में ८ मजदूरों ने ३० सितम्बर, १९५७ से १८ दिन तक भूख हड़ताल की थी? यदि हां, तो सरकार इसमें क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगल किशोर—१९५५ के एवार्ड का २१,००० रुपया सेवायोजकों की ओर से हाई कोर्ट इलाहाबाद के पास जमा है। शेष ३४,००० रुपया बदायूं पोस्ट आफिस में जमा है। दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट को एक सम्मिलित आवेदन-पत्र रुपया निकालने के लिये दिया है। दोनों पक्षों के मध्य २ फरवरी, १९५८ को एक समझौता हो गया है। इस समझौते के अनुसार १३ जनवरी, १९५८ से प्रत्येक श्रमिक को रेवाइज्ड ब्लाक वेज (Revised block wage) मिलेगा और बकाया (Arrear) हाईकोर्ट से रुपया वापस मिलने पर शीघ्र से शीघ्र बांट दिया जायगा।

इस सिलसिले में ३० सितम्बर, १९५७ को मजदूरों ने जो भूख हड़ताल की थी वह श्रम-अधिकारियों के प्रयत्न से १९ अक्तूबर, १९५७ को समाप्त हो गई।

× × × ×

फैक्टरियों और उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव

*७४—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या राज्य सरकार के पास केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव आया है जिसमें फैक्ट्रियों और उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने की बात कही गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

*७५—राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—राज्य सरकार कौन-कौन से सरकारी अथवा असरकारी उद्योगों में इसे लागू करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—असरकारी प्रतिष्ठानों के बारे में केंद्रीय सरकार सेवायोजक संघों से स्वयं पत्र व्यवहार कर रही है और इस योजना को सरकारी प्रतिष्ठानों में लागू करने का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

[२१ फरवरी, १९५८ के लिये निर्धारित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१—२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ७८—७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मथुरा में एम० वी० एस० सी० की भर्ती के लिये वेटेरिनरी कालेज, साक्षात्कार

*३—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वेटेरिनरी कालेज, मथुरा में एम०वी०एस०सी० (M.V. S. C.) का साक्षात्कार १३ जुलाई व १४ जुलाई, १९५७ को हुआ था जिसके लिये पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश में सरक्यूलर भेजा था कि इस वर्ष केवल तीन उम्मीदवार लिये जायेंगे किन्तु ऐसा न करके चार व्यक्ति लिये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*४—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पशु चिकित्सकों (वेटिरिनरियन) की कमी को शीघ्र पूरा करने के विचार और उपलब्ध सुविधाओं से अधिकतम लाभ उठाने के उद्देश्य से चार अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया ।

*५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन चारों व्यक्तियों की क्रमशः क्या क्या योग्यतायें (qualifications) थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना संलग्न-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३८ पर ।)

खीरी जिले की कथित कुक्कुटशालायें

*६—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खीरी जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी कुक्कुट शालायें खोली गईं और उनमें कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में खीरी जिले में कोई कुक्कुट शाला नहीं खोली गई और न इस संबंध में कोई व्यय ही हुआ।

*७—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो कुक्कुट शालायें खोली गईं वह सभी चल रही हैं या कुछ बन्द हो गई हैं ? यदि बन्द हो गईं, तो इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न ही नहीं उठता।

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गृह निर्माणार्थ सहायता के लिये सीतापुर हरिजन विभाग में प्रार्थना-पत्र

*९—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष हरिजन विभाग, सीतापुर में ऐसे कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आये जिसमें आग लग जाने से घर बर्बाद हो जाने के कारण मकान बनाने के लिये सहायता मांगी गई ?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—४१ ।

*१०—श्री गनेशीलाल चौधरी—उनमें से कितनों को सहायता दी गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—२९ को।

बलिया जिले में हैजे की रोकथाम के काम

*११—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया की प्रत्येक तहसील में गत ५ मास के अन्दर कितने व्यक्ति हैजे से पीड़ित हुये तथा उनमें से कितने मरे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—बलिया जिला की प्रत्येक तहसील में गत ५ मास के अंदर हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से बीमार पड़ने तथा मरने वालों की संख्या इस प्रकार है:—

तहसील	बीमारों की संख्या	मृत्यु संख्या
सदर	३१९	१६०
रसरा	३४३	१२८
बांसडीह	१४७	६८

*१२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हैजे की रोकथाम के लिये बलिया में सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जिले के समस्त ग्रसित ग्रामों तथा पास-पड़ोस के ग्रामों में अधिकाधिक हैजा रोग निवारक टीके लगाये गये जिनकी कुल संख्या ३०५,१०३ है। सभी ग्रामों के समस्त ग्रसित घरों तथा २०,१३० कुओं का निःसंक्रामीकरण किया गया, जहां आवश्यकता समझी गयी उन ग्रामों में मक्खियों को कम करने के हेतु दवा का छिड़काव किया गया, बीमारी को रोकने के लिये जिले के स्वास्थ्य विभाग का समस्त स्टाफ पूर्णतया सक्रिय रहा। जिले में २६ अक्तूबर से उक्त बीमारी से कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है।

हरिद्वार में भिक्षुक गृह की स्थापना

*१३—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में भिखारियों के लिये अब तक क्या किया है?

आचार्य जुगलकिशोर—समाज कल्याण विभाग ने हरिद्वार में एक भिक्षुक-गृह स्थापित किया है। गत वर्ष विभाग ने भिक्षुकों के लिये एक अशासकीय संस्था खोलने के लिये पंचपुरी सेवा सदन, कनखल को १४,५०० रुपये का अनुदान दिया था। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति उन्मूलन समिति, कानपुर द्वारा संचालित भिक्षुक-गृह को १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में क्रमानुसार ८,००० रुपये तथा २०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था।

इटावा जिले की विधूना तहसील में हैजे की रोकथाम के काम

*१४—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५७ में विधूना तहसील, जिला इटावा में हैजे के कितने केस हुये और कितनी मौतें हुईं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जून, ५७ में विधूना तहसील, जिला इटावा में हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) से ४१ व्यक्ति बीमार पड़े जिनमें से १२ की मृत्यु हुई।

*१५—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त स्थान में हैजे की रोकथाम के लिये कौन से कदम उठाये गये?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उक्त स्थान में हैजा (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) की रोकथाम के लिये २५४५ हैजा निवारक टीके लगाये गये तथा १६४ कुओं एवं ६० ग्रसित घरों का निःसंक्रामीकरण किया गया। मेडिकल आफिसर इंचार्ज विधूना तथा सेनिटरी इंसपेक्टर विधूना के अतिरिक्त १ एपीडेमिक असिस्टेंट, २ इनाकुलेटर्स, अछलदा के वैद्य इंचार्ज, १ सैनिटरी जमादार तथा ६ कुलियों की नियुक्ति विधूना तहसील में और की गई जिन्होंने उक्त कार्य के अतिरिक्त सुचारु रूप से मरीजों को विलग कर उनकी समुचित चिकित्सा की।

[illegible] अस्पतालों में आपरेशन थियेटर के सम्बन्ध में जानकारी

*१६—डाक्टर तारा देवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों के महिला अस्पतालों में आपरेशन थियेटर हैं और किन-किन में नहीं है? जिनमें नहीं हैं, उनमें कब तक बनवाने की योजना है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जिला बिजनौर, हमीरपुर, झांसी, नैनीताल, रामपुर तथा जौनपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के अन्य सब जिला महिला अस्पतालों में आपरेशन थियेटर हैं।

जिन-जिन स्थानों पर महिला चिकित्सालयों में आपरेशन थियेटर नहीं हैं वहां फिलहाल आपरेशन थियेटर बनाने की कोई योजना नहीं है।

मड़ियाहूं जिला जौनपुर में जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*१७—डाक्टर तारा देवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह मड़ियाहूं तहसील, जिला जौनपुर में जनाना अस्पताल कब तक खोलने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जौनपुर में टी०बी० अस्पताल

*१८—डाक्टर तारा देवी—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर में जो टी० बी० अस्पताल बन रहा है उसमें सरकार कुछ अनुदान दे रही है या नहीं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सरकार इस अस्पताल को स्वयं चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

मोदीनगर, जिला मेरठ में कथित हड़ताल

*१९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोदीनगर (मेरठ) में जनरल हड़ताल और सत्याग्रह चल रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*२०—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पूरा प्रकाश सदन में डालने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

विमको मैच फैक्टरी, जिला बरेली में नई मशीनें लगना

*२१—श्री [illegible] पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली जिले की विमको मैच फैक्ट्री के मैनेजमेंट द्वारा मिल में नई मशीनें चालू वर्ष में लगाये जाने के कारण कितने व्यक्ति बेकार होंगे तथा क्या इसकी स्वीकृति सरकार दे चुकी है?

आचार्य जुगलकिशोर—कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं हुआ, सरकार की अनुमति लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्थायी सहायक कृषि निरीक्षकों को स्थायी करने की प्रार्थना

*२२—श्री बालेश्वरप्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने सहायक कृषि निरीक्षक जिनकी सेवायें दस वर्ष से अधिक हैं अब भी अपने उक्त पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—४०० ऐसे सहायक कृषि निरीक्षक हैं जिनकी सेवायें १० वर्ष से ऊपर की हो गई हैं परन्तु वे अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं।

*२३—श्री बालेश्वरप्रसाद सिंह—सरकार कब तक उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जैसे ही सहायक कृषि निरीक्षकों की ग्रेडेशन लिस्ट अंतिम रूप से तैयार हो जायगी इनको तुरन्त स्थायी कर दिया जायगा।

*२४–२६—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिले में चेचक से मृत्युएं

*२७—श्री लोकनाथ सिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में चेचक के प्रकोप से सन् १९५७ में अब तक कितनों की मृत्यु हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वाराणसी जिले में चेचक के प्रकोप से सन् ५७ में १६४ मृत्युयें हुईं।

*२८—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरे की सी० आर० तेल मिल की हड़ताल में गिरफ्तारियां

*३०—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरे की सी० आर० तेल मिल के संबंध में कितने दिन से धरना चलता रहा है और उसमें कितने श्रमिक गिरफ्तार किये गये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—श्रमिकों ने ३०,३१ अक्तूबर, १९५७ की आधी रात से हड़ताल की जो १४ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त हो गई। इस संबंध में ६४ श्रमिक गिरफ्तार किये गये थे।

*३१—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने छूट गये और कितने अभी बन्दीगृह में बन्द हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—सभी श्रमिक जेल से छूट गये हैं।

*३२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या इस संबंध में मालिक और मेहनतियों में कोई समझौता हुआ है? यदि हां, तो उसके अनुसार कितने मेहनतियों को निकाला गया है और कितनों को रखा गया है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। समझौते के अनुसार १४ श्रमिकों को कार्य से पृथक किया गया है और एक श्रमिक को छोड़ कर औरों को समझौते के अनुसार मुआवजा दिया गया है।

श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के हिसाब-किताब में गबन

*३३—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के हिसाब-किताब में एक बड़े गबन का पता चला है? यदि हां, तो कितनी रकम गबन हुई और कौन-कौन लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—श्री बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के हिसाब-किताब में गबन की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जांच हो चुकी है। रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

*३४—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मन्दिर के कुछ स्वर्ण आभूषण बम्बई में मिले हैं? उक्त आभूषणों को वहां किनके द्वारा किस उद्देश्य से ले जाया गया?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं, सरकार को ऐसी कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है कि मंदिर के कुछ स्वर्ण आभूषण बम्बई में मिले हैं। इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दैनिक "वीर अर्जुन" दिल्ली, दिनांक जनवरी २४, १९५८ से सरकार को प्राप्त हुई है। इसकी अभी कोई जांच नहीं की गई है।

एटा सरकारी अस्पताल के क्वार्टरों में बिजली देने का विचार

*३५---श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा सरकारी अस्पताल में कम्पाउण्डरों तथा छोटे कर्मचारियों के क्वार्टरों में बिजली देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---जी हां।

रुदौली, जिला बाराबंकी में जनाने अस्पताल की आवश्यकता

*३६---श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बारांबकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में रुदौली, जिला बारांबकी के जनाना अस्पताल के लिये भवन बनवाने का प्रबन्ध करेगी ? अगर हां, तो क्या उसमें जच्चा-बच्चा के लिये शय्याओं का भी प्रबन्ध होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रुदौली, जिला बारांबकी के जनाना अस्पताल के भवन निर्माण के विषय में अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

*३७ —श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल---[बारहवें गुरुवार में प्रश्न संख्या ७५ से स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ में सदर अस्पताल का भवन बनवाने तथा जनाना अस्पताल खोलने का विचार

*३८---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह आजमगढ़ सदर अस्पताल के लिये कब तक नया भवन बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---योजना विचाराधीन है। समय के सम्बन्ध में अभी बताना सम्भव नहीं है।

*३९---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---क्या सरकार आजमगढ़ में एक महिला अस्पताल बनवाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह योजना भी सदर अस्पताल की योजना से सम्बद्ध है।

मझवारा अस्पताल, जिला आजमगढ़ के भवन निर्माण पर व्यय

*४०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री मझवारा अस्पताल, जिला आजमगढ़ के विषय में २०-१२-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल के भवन के निर्माण में कुल कितना रुपया व्यय हुआ है तथा स्थानीय जनता की ओर से कितनी मदद मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस अस्पताल के भवन निर्माण में कुल २४,००० रुपये व्यय हुआ जिसमें से ७,००० रुपये मझवारा और लुधई की ग्राम सभाओं ने दिया था।

*४१---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल में कब तक चिकित्सक एवं औषधियां भेजी जायेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न विचाराधीन है।

*४२—श्री विश्वनाथराय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया।]

ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा खाने खोलने की योजना

*४३—श्री भूमिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जच्चा खाने प्रदेश के देहातों में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने और कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १२७ केन्द्र खोले गये हैं और अगले तीन वर्षों में ४०० केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

बाराबंकी जिले में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*४४—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी में समाज कल्याण विभाग की ओर से १९५५-५६ में कौन-कौन कार्य, कहां-कहां सम्पादित हुये और उन पर पृथक-पृथक कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९५५-५६ में समाज कल्याण विभाग की ओर से महिला मंगल योजना के अन्तर्गत जिले में निम्नलिखित ६ महिला मंगल केन्द्र चलाये गये।

१—मलौली
२—भयारा
३—मसौली
४—भेलसर
५—अमौली कलां
६—सुरबारी

जिनके अन्तर्गत १२ गांवों में योजना का कार्य हुआ और जो कार्य किया गया वह इस प्रकार है :

१—बालवाड़ी छात्रों की संख्या जिन्हें शिक्षा दी गई ३५०।
२—प्रौढ़ कक्षा में महिलाओं की संख्या जिन्हें शिक्षा दी गई २००।
३—लड़कियों और स्त्रियों की संख्या जिनको शिल्पकला में शिक्षा दी गई १८०।
४—शिल्पकला कार्य में तैयार की गयी वस्तुओं की संख्या १४५।
५—प्रदर्शित चर्खा तथा तकलियों की संख्या १४०।
६—उपरोक्त चर्खा तथा तकलियों से तैयार किये गये सूत की गुण्डियों की संख्या २५०।
७—रोगियों की संख्या जिनकी चिकित्सा की गई ३००।
८—स्त्रियों की संख्या जिनको प्रसव के पूर्व तथा पश्चात् आवश्यक शिक्षा दी गई १९।
९—शारीरिक शिक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या १५०।
१०—मनोविनोद तथा अन्य कार्यों में भाग लेने वाली स्त्रियों की संख्या १५०।
११—देखे गये घरों की संख्या ३००।

इसके अतिरिक्त मसौली महिला मंगल केन्द्र में ग्रामीण महिला शिविर और रामनगर ब्लाक में ग्राम लक्ष्मियों का एक शिविर भी चलाया गया।

उपर्युक्त कार्यों के सम्पादन में जो व्यय एक जिला संयोजिका व उसके चपरासी, एक शिल्प शिक्षिका, ६ ग्राम सेविकाओं और १२ ग्राम लक्ष्मियों पर हुआ वह करीब १०,३३० रुपये था।

इसके अतिरिक्त कुछ अनाथों के दाहसंस्कार किये गये, जिनमें १२ रुपये व्यय हुये।

गाजीपुर जिले में राजकीय औषधालय के भवनों का किराया

*४५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के राजकीय औषधालयों में से कितने सरकारी भवनों में हैं तथा कितने किराये के भवनों में हैं तथा सरकार का प्रतिमास किराये में कितना पैसा खर्च होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गाजीपुर जिले के राजकीय औषधालयों में से ५ सरकारी भवनों में, ९ किराये के भवनों में तथा ४ निःशुल्क भवनों में हैं। सरकार का प्रतिमास इन भवनों के किराये पर २२६ रुपये खर्च होता है।

*४६—श्री यमुना सिंह—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें

*४७—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या मेडिकल सुविधायें दी जाती हैं ? क्या यह सुविधायें केवल सदस्यों तक ही सीमित हैं अथवा उनके बाल-बच्चों को भी प्राप्त हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह सब सुविधायें जो प्रदेश के क्लास १ के अधिकारियों को प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी नियमों में दी हुई हैं।

जी हां, वे केवल सदस्यों तक सीमित हैं, उनके परिवार को प्राप्त नहीं हैं।

लखनऊ तथा आस-पास के जिलों में हैजे की रोकथाम के काम

*४८—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अगस्त, १९५७ में लखनऊ तथा आस-पास के जिलों में कालरा जोरों से चल रहा था ? यदि हां, तो उसकी रोक-थाम का क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। बीमारी को रोकने के हेतु लखनऊ तथा आस-पास के जिलों के समस्त ग्रामों में अधिकाधिक हैजा निवारक टीके लगाये गये। रोगियों को अलग करने तथा उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध अस्पतालों में या उनके घरों में यथासंभव किया गया। उन्नाव जिले में जहां रोग का प्रकोप विशेष था वैधानिक रूप से टीकों का लगाया जाना अनिवार्य कराया गया। जिलों के समस्त घरों में जहां रोगी रोग से ग्रसित थे सफाई करायी गयी तथा कुओं में दवा छोड़वाकर उनका निःसंक्रामीकरण कराया गया। आवश्यकतानुसार रोग ग्रसित जगहों में मक्खियों को कम करने हेतु डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया तथा चिकित्सा के लिये अस्थाई छुतहे अस्पताल खोले गये। उक्त कार्यों के लिये लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर तथा उन्नाव जिलों को पर्याप्त मात्रा में औषधियां तथा कालरा वैक्सीन भी दी गईं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया।

१९५७ में हैजे तथा गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मृत्यु

*४९—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस प्रदेश में कितने व्यक्ति इस वर्ष (१९५७) में हैजे के रोग से पीड़ित हुये और उनमें से कितने की मृत्यु हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रदेश में सन् १९५७ में निम्नलिखित संख्या में लोग हैजा, गैस्ट्रोइण्ट्राइटिस से पीड़ित हुये तथा मृत्युयें हुई हैं :

रोग		संख्या पीड़ित व्यक्तियों की	संख्या मृत व्यक्तियों की
हैजा	..	१,९५१	६७६
गैस्ट्रोइण्ट्राइटिस	..	४६,५५७	१८,५४८
योग	..	४८,५०८	१९,२२४

महिला मंगल समाज की संयोजिकायें

*५०—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अन्तर्गत कितनी संयोजिकायें महिला मंगल समाज में हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत ३१ संयोजिकायें हैं जो अब चेयरमैन कहलाती हैं।

*५१—श्री जंगबहादुर वर्मा—उनमें कितनी संयोजिकायें कांग्रेस एम० एल० ए० हैं और कितनों को जीप सरकार द्वारा प्राप्त हो गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—उनमें से तीन संयोजिकायें कांग्रेस एम० एल० ए० हैं। राज्य सरकार ने किसी को जीप गाड़ी नहीं दी है।

इलाहाबाद में मलाका जेल पर बनने वाले अस्पताल पर व्यय तथा राज्य में मेल नर्सों के ट्रेनिंग सेंटर

*५२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अस्पताल मलाका जेल पर बन रहा है उसमें अब तक कितना धन व्यय हुआ है और कितना धन व्यय करने की स्कीम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अस्पताल की योजना २९.४४ लाख रुपये की है। अब तक ६,४५,६७७ रुपये का व्यय हुआ है।

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में मेल नर्स की ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा, कानपुर तथा इलाहाबाद जिलों में मेल नर्स की ट्रेनिंग दी जाती है।

लखनऊ में स्टाकमैनों के चुनाव में लिये गये हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार

*५४—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डायरेक्टर, पशु-पालन विभाग, यू० पी० के यहां हर जिले से कितने-कितने स्टाकमैन माह अक्तूबर, सन् १९५७ में सेलेक्ट होकर आये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला स्तर पर प्रारम्भिक रूप से कुल २३७ अभ्यार्थी चुने गये थे जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३९–८४१ पर।)

*५५—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सेलेक्टेड उमीदवारों में कितने हरिजन व कितने बैकवर्ड हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अभ्यर्थियों में से ३४ हरिजन तथा ७ पिछड़ी जातियों के थे।

*५६—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह दिसम्बर, १९५७ में जो चुनाव स्टाफमैनों का लखनऊ में हुआ है उसमें कितने व्यक्ति जिलेवार लिये गये ? उसमें कितने हरिजन व कितने बैकवर्ड थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३९–८४१ पर।)

रानीगंज में सरकारी अस्पताल खोलने के लिये सिविल सर्जन प्रतापगढ़ की सिफारिश

*५७—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सिविल सर्जन, प्रतापगढ़ ने रानीगंज, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में किसी सरकारी अस्पताल खोलने के बारे में लिखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सिविल सर्जन, प्रतापगढ़ द्वारा रानीगंज में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग आई थी।

*५८—श्री हरकेशबहादुर—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परिवर्तित योजना के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई नये ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालय नहीं खोले जायेंगे। बल्कि अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे जिनके लिये स्थानों का निर्णय जिला नियोजन समिति की राय लेकर किया जाता है। जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ के सम्मुख रानीगंज में एक ऐसा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचारार्थ रक्खा गया था किन्तु स्वीकार नहीं हुआ। अतः अब वहां पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का सुझाव विचाराधीन है।

*५९—श्री हरकेश बहादुर—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ के १० मील के अन्दर कोई सरकारी अस्पताल अभी तक नहीं खोला गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*६०—श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में अस्पताल की आवश्यकता

*६१—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में जो अस्पताल बनाने की योजना थी उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार के चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मोदीनगर मिल्स के मजदूरों और मालिकों के बीच इकरारनामा

*६२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोदीनगर मिल्स के मजदूरों और मिल मालिक के बीच में झगड़े निपटाने के लिये एक विशेष इकरारनामा लागू होने के क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--संराधन समिति विवाद संख्या १०६/५३ में दोनों पक्षों में एक इकरारनामा हुआ कि भविष्य में इस मिल के समस्त औद्योगिक विवाद जो श्रमिकों तथा सेवायोजकों की पारस्परिक वार्त्ता से तय न हो सकें उन्हें आपसी समझौते के अनुसार, एक विशेष साधन (machinery) द्वारा तय किया जायगा और दोनों पक्षों ने इस इकरारनामे को लागू करने की प्रार्थना की। अतः सरकार ने श्रमिकों और सेवायोजकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उसे लागू किया।

*६३--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह इकरारनामा किन-किन पक्षों के बीच में हुआ था और उससे सरकार के कर्त्तव्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आचार्य जुगलकिशोर--यह इकरारनामा मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कर्मचारी यूनियन, मोदीनगर तथा मोदीनगर स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मोदीनगर के बीच हुआ था। प्रश्न का दूसरा भाग अस्पष्ट और अनिश्चित है।

जालौन जिले के कोंच कस्बे में चेचक का प्रकोप

*६४--श्री बिसरीसिंह निरंजन (जिला जालौन)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय जिला जालौन विशेष कर कोंच कस्बे में चेचक का बड़ा प्रकोप है और उसके कारण सैकड़ों मृत्युयें हो गई हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। सरकार को यह भली प्रकार ज्ञात है कि कोंच नगरपालिका, जिला जालौन में नवम्बर सन् १९५७ से चेचक का प्रकोप प्रारम्भ हुआ। किन्तु रोकथाम के लिये विशेष साधन प्रयोग में लाये जाने के कारण महामारी काबू में आ गई है। १७ जनवरी के बाद केवल एक ही केस होने की सूचना मिली है। जिले के अन्य भागों में बीमारी बहुत ही कम फैली है।

*६५--श्री बिसरीसिंह निरंजन--यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र को epidemic क्षेत्र करार देकर शीघ्र समुचित प्रबन्ध करने की विशेष कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट और रेगुलेशन्स समस्त उत्तर प्रदेश में पहले से ही व्यवहारित हैं। चूंकि कोंच नगर की जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा है और इस समय रोग की स्थिति पूर्ण रूप से काबू में है अतएव पुनः टीका लगाने की योजना का अवलम्ब आवश्यक नहीं है।

*६६--श्री बिसरीसिंह निरंजन--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कस्बा कोंच में जून, १९५७ से अब तक कितनी मौतें हुईं और किस-किस रोग से?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जून सन् १९५७ से दिसम्बर तक कुल मिला कर नगरपालिका कोंच में समस्त रोगों से १५० मृत्युयें रजिस्टर हुई हैं। विभिन्न रोगों से मृत्युओं की संख्या निम्न है--

ज्वर	५३
स्वास सम्बन्धी रोग	१९
चेचक	६६
अन्य रोग	१२

*६७--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन सहायक निधि से बिजनौर जिले में कूपों का निर्माण

*६८—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बिजनौर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक हरिजन सहायक निधि से कितने हरिजनों के कुयें बने तथा कितनों की मरम्मत हुई और कितना धन व्यय हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—५३ नये कुएं बने और १८ कुओं की मरम्मत हुई। इन पर (५ हैंड पम्पों को मिलाकर) २१,२४१ रुपये की धनराशि व्यय हुई।

महावीर जूट मिल सहजनवां, जिला गोरखपुर के मजदूरों की बर्खास्तगी

*६९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि महावीर जूट मिल, सहजनवां, जिला गोरखपुर के मिल मालिकों ने तालाबन्दी के बाद करीब एक हजार मजदूरों को बर्खास्त कर दिया और सरकार ने इन मजदूरों के मामले को Adjudication में भेजने से भी इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

(क) जी हां।

(ख) जी हां। क्योंकि यह विवाद तथ्यहीन समझा गया।

*७०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जूट मिल मजदूर सभा, सहजनवा ने जनवरी, १९५२ से अब तक कौन-कौन से मामले गोरखपुर कंसिलिएशन बोर्ड में भेजे उनमें से कौन-कौन से दाखिल दफ्तर हो गये और कौन-कौन से एडजुडिकेशन में भेजे गये ? क्या श्रम मन्त्री इसकी पूरी तालिका सदन की मेज पर रखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मामलों में मुख्य विवाद क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस सभा ने १५ मुकदमें दाखिल किये। इनमें ८ दाखिल दफ्तर किये गये और तीन एडजुडिकेशन के लिये भेजे गये। इन मामलों में मुख्य विवाद के सिलसिले में तालिका मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४२–८४५ पर)

*७१—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में बहादुरगंज व बाराचंवर में अस्पताल खोलने का विचार

*७२—श्री रघुबीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहादुरगंज व बाराचंवर, जिला गाजीपुर में अस्पताल बनाने की कोई योजना है ?

*७३—यदि हां, तो वह अस्पताल कब तक बनाने का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाराचंवर इस वर्ष प्राइमरी हेल्थ यूनिट के लिये स्वीकृत हुआ है जिसके अन्तर्गत वहां पर अस्पताल खुलेगा। बहादुरगंज के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं हुआ है। भवन निर्माण का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*७४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

करनैलगंज, जिला गोंडा में राजकीय महिला औषधालय खोलने का विचार

*७५—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि करनैलगंज (गोंडा) में राजकीय महिला औषधालय खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न विचाराधीन है।

सआदतगंज तथा बदोसराय जिला बाराबंकी में राजकीय औषधालयों की आवश्यकता

*७६—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बाराबंकी जिले में तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम सआदतगंज और बदोसराय में राजकीय औषधालय खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई व्यवस्था अभी विचाराधीन नहीं है।

शिक्षित हरिजनों की बेकारी दूर करने के लिये सूची तैयार करने का आदेश

*७७—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री प्रदेश के प्रत्येक जिले के हरिजन कल्याण अधिकारियों द्वारा कक्षा ८ से बी० ए० उत्तीर्ण तक बेकार हरिजन उम्मीदवारों की सूची तैयार कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां। इस आशय के उचित आदेश पहले ही से जारी हो चुके हैं।

*७८—श्री बादामसिंह—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत हरिजन कर्मचारी

*७९—श्री बादामसिंह—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हरिजन कल्याण विभाग में कुल कितने छोटे बड़े कर्मचारी कार्य करते हैं और उनमें हरिजनों की कितनी संख्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद—कुल कर्मचारी ५०७ हैं, उनमें हरिजनों की संख्या २३१ है।

*८०-८१—श्री सुधाभा प्रसाद गोस्वामी—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*८२-८४—श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले के जनाना अस्पताल

*८५—श्री मुकुटविहारी लाल अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने जनाने अस्पताल हैं और उनमें से किन-किन के पास सरकारी इमारतें हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाराबंकी जिले में दो जनाने अस्पताल हैं। इनमें से एक सरकारी इमारत में है।

*८६-८७—श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल—[हटा दिये गये।]

*८८—श्री बुलाकीराम—[हटा दिया गया]

जैन ग्लास वर्क्स, हिरनगऊ, फिरोजाबाद से मजदूरों का अलग किया जाना

*८९—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन ग्लास वर्क्स, हिरनगऊ (फिरोजाबाद) के मालिकों द्वारा १-१-५७ से लेकर १५-९-५७ तक कितने मजदूरों को काम से अलहदा कर दिया गया है तथा जिन्हें काम चालू होने पर भी दुबारा काम नहीं दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त समय के बीच सेवा योजकों ने कुल २५९ श्रमिकों को कार्य से पृथक किया। काम चालू होने पर २२७ श्रमिक कार्य पर वापस ले लिये गये। शेष

आवश्यकता न होने के कारण कार्य पर नहीं लिये गये और उनकी छटनी कर दी गई। इस छटनी के विरुद्ध अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है।

*९०—श्री जगन्नाथ लहरी—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन वनास वर्क्स, हिरनगऊ में १-१-५७ से लेकर १-९-५७ तक कितने दिन का प्ले आफ रहा और उसका असर कितने मजदूरों पर पड़ा है तथा इस प्ले आफ के कारण उन मजदूरों को जिन्हें काम पर नहीं बुलाया है कितना रुपया मजदूरी के रूप में अदा किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त समय के बीच २८ दिन प्ले आफ रहा, कुल ३३६६ श्रमिक प्रभावित हुये। सेवा योजकों ने प्ले आफ का पैसा अभी तक नहीं बांटा है क्योंकि उन्होंने बैठकी के दौरान में कुछ श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरी देने का वचन (alternative employment offer) दिया था। श्रमिकों ने इस सम्बन्ध में एक विवाद उठाया है जो संराधन समिति के विचाराधीन है।

*९१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—[सातवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९२—श्री प्रतापसिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २८ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९३—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

ट्रैक्टर वर्कशाप, लखनऊ में लोक सेवा आयोग से कथित अस्वीकृत व्यक्ति

*९४—श्री गौरीशंकर राय—क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विभागीय ट्रैक्टर वर्कशाप में कितने ऐसे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ट्रैक्टर वर्कशाप, लखनऊ, में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कार्य कर है, जो लोक सेवा आयोग द्वारा अस्वीकृत हो चुका हो।

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में घेघे की बीमारी

*९५—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला देवरिया की पडरौना तहसील के उत्तरी-पूर्वी भाग में घेघे की बीमारी का जोर है और क्या सरकार इसकी जांच करा कर उसे दूर करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। सरकार को ज्ञात है कि पडरौना तहसील के उत्तरी-पूर्वी भाग में घेघे की बीमारी है। पर वहां पर इसका कोई जोर नहीं है। किस भाग में कितनी बीमारी है इसकी जांच के लिये आदेश दे दिया गया है। जांच होने पर उसको दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी।

कृषि में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियों को अमरीका भेजना

*९६—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या काश्तकारी आदि का अनुभव रखने वाले कुछ व्यक्तियों को विकास, कृषि फार्म, सहकारिता आदि कार्यों का अध्ययन करने के लिये सरकारी तौर पर प्रान्त से अमरीका भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तथा कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केन्द्रीय सरकार पूरे भारत से २० ऐसे व्यक्तियों को अमरीका भेजने का विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के लिये कोई संख्या निश्चित नहीं है। चुने हुए व्यक्तियों को मार्च के अन्त तक जाना होगा।

*९७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त व्यक्तियों की क्या योग्यता होगी और उनको वहां कितने दिनों तक रहना पड़ेगा तथा उनका मार्ग-व्यय आदि कौन बर्दाश्त करेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त व्यक्ति प्रतिष्ठित, उद्यमी कृषक, किसी कृषक संगठन के नेता, अथवा कर्मचारी ग्राम सहकारिता के नेता या ऐसा व्यक्ति हो जो ग्राम सुधार का कार्य कर सके। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी तथा ३० से ५० वर्ष के बीच की आयु होना अनिवार्य है। उनको १-४-५८ से तीन महीने तक अमरीका में रहना होगा। देश के भीतर सफर का समस्त व्यय उसे स्वयं देना पड़ेगा और देश से बाहर का आवश्यक व्यय अमरीका सरकार की ओर से मिलेगा।

*९८—श्री बुलाकीराम—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*९९-१००—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—[दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ११३-११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१०१-१०२—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०३-१०४—श्री नारायणदत्त तिवारी—[७ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले की किच्छा तहसील में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बसाने की योजना

*१०५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल जिले की किच्छा तहसील में पूर्वी बंगाल से आये कुछ अन्य शरणार्थियों को बसाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी कोई रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४६ पर)

वनस्पति तेल में रंग मिलाने के लिये नमूने तथा सुझाव

*१०६—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके पास वनस्पति तेल में ऐसा रंग मिलाने के जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हों और जिससे वेजिटेबिल आयल की मिलावट की पहचान हो सके गत दो वर्षों में कितने सुझाव आये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—५६ सुझाव व नमूने आम जनता की ओर से पब्लिक ऐनालिस्ट टू गवर्नमेंट यू० पी० लखनऊ को १-१-५६ से लेकर ३१-१२-५७ के अन्तर्गत भेजे गये।

*१०७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस पुरस्कार के देने की उसने घोषणा की थी क्या वह किसी को दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५५ में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने २५,००० रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देने के लिये घोषणा की थी, जो ऐसा रंग बतलायेगा जिसका वनस्पति या डालडा में मिलाना हानिकारक न हो, तथा जिसके

मिलाने से उसकी पहचान भी हो जाय। चूंकि अभी तक कोई भी ऐसा रंग पब्लिक ऐनालिस्ट टू गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश ने वनस्पति आइल में मिलाने के लिये उचित नहीं पाया, इसलिये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है।

*१०८—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि घी में बेजिटेबिल आयल की मिलावट को रोकने के लिये क्या सरकार कोई नया कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वेजीटेबिल आइल में मिलाने के लिये उचित रंगों की खोज जोकि हानिकारक न हों बराबर जारी है।

कृषि अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा सरकारी रुपये के दुरुपयोग की शिकायत

*१०९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि अधिकारी मिर्जापुर के विरुद्ध १० मार्च, १९५६ को स्थानीय जनता ने जिलाधीश मिर्जापुर के पास सरकारी रुपये के दुरुपयोग की शिकायत की थी और गुप्तचर विभाग ने भी इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्थानीय जनता ने ऐसी कोई शिकायत जिलाधीश से नहीं की थी।

हां, स्थानीय गुप्तचर विभाग ने अवश्य एक रिपोर्ट इस आशय की की थी कि जिला कृषि अधिकारी ने दरी तथा कुछ अन्य सामान की खरीदारी में धन का दुरुपयोग किया है।

विकास आयुक्त के कार्यालय के लेखा परीक्षक दल (Audit party) के निरीक्षण किये जाने पर पता चला कि सरकारी रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया।

*११०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध जनता की शिकायत पर १३ दिसम्बर, १९५६ को उप-कृषि संचालक हेड क्वार्टर जांच के निमित्त मिर्जापुर गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१३ दिसम्बर, १९५६ को उप-संचालक कृषि, मिर्जापुर अवश्य गये थे किन्तु कृषि अधिकारी के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच करने के लिये नहीं।

*१११—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि १० अप्रैल, १९५७ को सरकारी रुपये के दुरुपयोग की शिकायत पर जिलाधीश मिर्जापुर ने जिला कृषि कार्यालय मिर्जापुर की कैशबुक, कैश व वाउचर सील मुहर किये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—किसी व्यक्ति की मौखिक शिकायत पर जिलाधीश ने जिला कृषि अधिकारी की कैशबुक व वाउचर सील मुहर कराये थे किन्तु निरीक्षण किये जाने पर शिकायत निराधार सिद्ध हुई। अतः कोई और कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जिले के पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष का आवेदन-पत्र

*११२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास जिला अल्मोड़ा के पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष द्वारा अगस्त, १९५७ में कोई आवेदन-पत्र आया है ? वह क्या है ? सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां। आवेदन-पत्र आया था।

कथित पत्र में कुमायूं प्रदेश के भोटिया, बोरा, कारकी, थारू, भोक्सा, माछी, आदिवासी आदि जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मलित करके विधान के अनुसार उनको सहायता प्रदान किये जाने का तथा विशेषतः उनको निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन है।

यह मामला विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ विकास खंडों को दिया गया धन

*११३—श्री राममुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों में वित्तीय वर्ष १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में हरिजन कालोनी एवं हरिजन कुओं के निर्माण के हेतु अलग-अलग कितना-कितना धन दिया गया?

श्री मंगलाप्रसाद—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय कृषि फार्मों की उपज पर व्यय

*११४—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों पर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों को देखते हुये नीचे लिखी फसलों के बारे में क्या औसत पैदावार प्रति एकड़ रही और प्रतिमन फसल पैदा करने में क्या व्यय पड़ा:

(क) गन्ना, (ख) गेहूं, (ग) धान, (घ) चना, (ङ) मटर?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना संलग्न तालिका (१) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८४७ पर)

*११५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में राजकीय कृषि फार्मों पर प्रति एकड़ के हिसाब से उक्त फसलों पर क्या आमदनी और खर्च पड़ा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना संलग्न तालिका (२) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८४८ पर)

कानपुर जिले में हरिजनों के लिये कूप बनवाने के लिये अनुदान

*११६—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में नये नलकूपों के खुदाने के लिये गत ३ वर्षों के हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है व उनके लिये (अ) पक्के कुयें, (ब) कच्चे कुयें अथवा पानी पीने के कुओं के लिये गत ३ वर्षों में दी गयी सहायता कितनी है?

श्री मंगलाप्रसाद—कानपुर जिले में गत तीन वर्षों में नलकूपों के खुदाने के लिये हरिजनों से कोई प्रार्थना-पत्र जिला नियोजन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये।

इस विभाग द्वारा सिंचाई हेतु कुयें खोदने के लिये अनुदान देने की योजना नहीं है, केवल पानी पीने के कुयें बनवाने के लिये अनुदान दिया जाता है।

गत तीन वर्षों में कानपुर जिले में हरिजनों के पानी पीने के कुयें बनाने के लिये लगभग ६१,००० रुपये अनुदान स्वीकृत हो चुका है।

राष्ट्रीय हरिजन छात्रावास, जंघई, जिला इलाहाबाद तथा जौनपुर में हरिजन कर्मचारियों को वेतन न मिलना

*११७—श्री भाताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जातीय छात्रावास जंघई, जिला इलाहाबाद तथा परिगणित जातीय छात्रावास, जौनपुर में कार्य करन वाल हरिजन कर्मचारियों का वतन कितन दिनों से नहीं दिया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—हरिजन छात्रावास, जौनपुर के कर्मचारियों के वेतन के अनुदान का भुगतान नवम्बर, १९५७ तक कर दिया गया ह।

राष्ट्रीय हरिजन छात्रावास, जंघई, इलाहाबाद के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के कुछ ग्रामों में हरिजनों को पेय-जल-कष्ट

*११८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ क गांव चमरियांव, बेला सुल्तानपुर बरोहा, अहिरुपुर की हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुएं नहीं हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद—ग्राम चमरियांव की दो हरिजन बस्तियों में से एक में पानी पीने का कुआं है, दूसरी में नहीं है।

ग्राम बेला सुल्तानपुर की दो हरिजन बस्तियों में से एक में पानी पीने का कुआं है दूसरी में नहीं है,

ग्राम अहिरुपुर की दो हरिजन बस्तियों में से एक में पानी पीने का कुआं है दूसरी में नहीं है,

ग्राम बरोहा की हरिजन बस्ती में पानी पीने का कोई कुआं अभी तक नहीं बना है।

दियोरिया डिस्पेंसरी, जिला पीलीभीत में स्त्री-चिकित्सा का प्रबन्ध करने की प्रार्थना

*११९—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह दियोरिया डिस्पेंन्सरी, जिला पीलीभीत में स्त्रियों सम्बन्धी इलाज के लिये क्या व्यवस्था कर रही ह ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—चिकित्सालय के लिये जो नया भवन निर्माण किय जा रहा है उसमें चार शैय्याओं का जो इन्डोर वार्ड होगा उसमें से दो शय्या स्त्री रोगियों के लिये सुरक्षित रहेंगी।

*१२०—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार उक्त डिस्पेंसरी में मरीजों के रहने के लिये इन्डोर वार्ड बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नये भवन में चार शय्याओं का एक इन्डोर वार्ड होगा।

जौनपुर जिले की हरिजन पाठशाला फरीदाबाद के अध्यापकों का वेतन न मिलने की शिकायत

*१२१—श्री माताप्रसाद—क्या हरिजन सहायक मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील की हरिजन पाठशाला फरीदाबाद और मथुरा (मतरी) तथा केराकत तहसील की हरिजन पाठशाला सिझवारा के अध्यापकों का वेतन कितने दिनों से नहीं दिया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—हरिजन पाठशाला मथुरा (मतरी) के अध्यापकों के वेतन के अनुदान का भुगतान नवम्बर, १९५७ तक कर दिया गया है।

केराकत तहसील में सिझवारा में इस समय ऐसी कोई हरिजन पाठशाला नहीं है जिसको विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

हरिजन पाठशाला फरीदाबाद के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

मोदीनगर मिल्स के मजदूरों और मालिकों के बीच इकरारनामा

*१२२—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर मास में कुछ समय तक मोदीनगर के कपड़े के कारखाने के बन्द होने का क्या कारण था ?

आचार्य जुगलकिशोर—६ अक्तूबर, १९५७ दिन के १ बजे से २४ अक्तूबर, १९५७ तक मिल में तालाबन्दी रही इसका कारण यह था कि ६ अक्तूबर, १९५७ से श्रमिक बिना नोटिस के काम रोको हड़ताल पर थे।

*१२३—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच के झगड़े तय करने के लिये कोई विशेष इकरारनामा लागू है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच के झगड़े तय करने के लिये एक विशेष इकरारनामा ३० मई, १९५३ को लागू हुआ था जो कि सरकार द्वारा लागू किया गया है और अब भी सरकारी आदेश संख्या ४४०-टी०-डी० ।३६-ए—४८-टी० डी०-१९५३, दिनांक ६ सितम्बर, १९५७ द्वारा ९ सितम्बर, १९५८ तक लागू है।

विक्रम काटन मिल, लखनऊ पर मजदूरों का बकाया वेतन तथा प्राविडेंट फंड का रुपया

*१२४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्रम काटन मिल, लखनऊ के मजदूरों का सन् १९५३ का कितना वेतन बकाया है और प्राविडण्ट फंड के मद में उक्त मिल के मजदूरों का कितना रुपया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक बकाया वेतन का सम्बन्ध है जांच पर मालूम हुआ कि इस मिल के सम्बन्धित कागजात हाई कोर्ट में दाखिल हैं, फिर भी जो सूचना उपलब्ध है उससे मालूम होता है कि बकाया वेतन ८२,९७२ रुपये है।

प्राविडेण्ट फण्ड के रुपये का विवरण इस प्रकार है—

	रु०	आ०	पा०
मजदूरों का अंशदान	६१,५७४	९	०
मिल मालिक का अंशदान	६१,५७४	९	०

					रु०	आ०	पा०
प्रशासन व्यय	३	..	..	..	२,६७२	५	०
हर्जाना	२५	..	..	..	३१,४५५	६	०
				योग ..	१,५७,२७६	१३	०

फण्ड आगनाइजेशन को अभी तक कुल ६२,९१०–१२–० रुपये की प्राप्ति हुई है।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में अस्पताल खोलने की योजना

१—श्री ब्रजनारायण तिवारी— क्या सरकार बतायेगी कि जिला देवरिया, तहसील पड़रौना में इस वर्ष नये अस्पताल कहां-कहां खोलने की योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील पडरौना में फाजिलनगर में इस वर्ष एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर स्थापित किया जा रहा है और किसी नये अस्पताल खोलने की योजना नहीं है ।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को अनुदान

२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में कितने मेडिकल कालेज होमियोपैथी के हैं तथा उनको सरकार द्वारा गत ३ वर्षों में कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक ज्ञात है राज्य में ६ मेडिकल कालेज होम्योपैथी के हैं । इनमें से केवल दो (१) होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा (२)होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् (U. P. Board of Homoeopathic Medicine) से सम्बद्ध (affiliated) हैं । इनको गत ३ वर्षों में निम्नलिखित अनुदान दिया गया—

वर्ष	(१) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा हास्पिटल, लखनऊ	(२) इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, इलाहाबाद
१	२	३
	रु०	रु०
१९५५–५६ ..	४०,०००	..
१९५६–५७ ..	३,३५,०००	११,०००
१९५७–५८ ..	लगभग ८०,००० देने का विचार है	११,०००

३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार इन कालेजों की विद्यार्थी संख्या, शिक्षा स्तर, उपकरण उपलब्धि, बिल्डिंग तथा साधन सम्पन्नता का विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन— इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८४९–८५० पर ।)

आगरा जिले के हेल्थ विभाग के क्लर्क

४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के हेल्थ विभाग में कुल कितने क्लर्क हैं ? उनमें क्रमशः कितने पिछड़े व परिगणित वर्ग के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा जिले के हेल्थ विभाग के सब कार्यालयों में कुल १८ क्लर्क हैं जिनमें कोई भी पिछड़ी तथा परिगणित जाति का नहीं है ।

५—श्री बंशीधर शुक्ल—[हटा दिया गया ।]

इटावा जिले में सेउपर के लोधों तथा चमोरा के काछियों को कथित पंचायती दंड

६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सच है कि मौजा सेउपर, तहसील विधूना, जिला इटावा के लोधियों को एक बरात के सिलसिले में चमारों के यहां पानी पीकर मई, १९५७ में पंचायत देनी पड़ी ?

श्री मंगलाप्रसाद—उपलब्ध सूचनानुसार यह बात निराधार है ।

७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सच है कि चमोरा, तहसील विधूना, जिला इटावा के काछियों ने गल्ला मड़ाई के समय माह मई में धोके से भंगी के बाल्टी से पानी पी लेने पर बिरादरी को दण्ड दिया ?

श्री मंगलाप्रसाद —पानी पीने तथा बिरादरी को खाना खिलाने की बात सही है । किन्तु काछियों का कहना है कि उन्होंने बिरादरी को खाना अपनी खुशी से खिलाया था, पंचायत दंड के रूप में नहीं ।

८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि इसकी जानकारी जिला हरिजन सहायक आफिसर को पिछड़े वर्ग के मंत्री जिला इटावा द्वारा करायी गयी मगर उन्होंने आज तक क्षेत्र के सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह सही नहीं है कि जिला इटावा के पिछड़े वर्ग संघ के मंत्री ने इस मामले की जानकारी जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को करायी थी ।

वस्तुतः बाद में घटना का पता चल जाने पर हरिजन कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में पूंछताछ की तथा उसके फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही के लिये मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है ।

जिला हरिजन कल्याण अधिकारी इस क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये यथोचित कार्यवाही कर रहे हैं ।

९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[हटा दिये गये ।]

दुर्गानारायण आदित्यकुमारी कालेज, तिर्वा, जिला फर्रुखाबाद के छात्रावास में हरिजनों के साथ अस्पृश्यता के व्यवहार की शिकायत

१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुर्गानारायण आदित्य कुमारी कालेज, तिर्वा (जिला फर्रुखाबाद) के बोर्डिंग हाउस में परिगणित जातियों को बोर्डिंग हाउस के चौके में उच्च हिन्दुओं की भांति भोजन नहीं करने दिया जाता ?

श्री मंगलाप्रसाद—उपलब्ध सूचनानुसार ऐसा नहीं है ।

माल मंत्री द्वारा दिये गये एक प्रश्न के उत्तर के संबंध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय गेंदासिंह के प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री ने नियमों का उल्लंघन किया है। वह नियम, श्रीमन्, २३ उपनियम (१) है जिसका उल्लंघन माल मंत्री जी ने किया है। मैं इसकी सूचना आप को दे रहा हूं और लिखित रूप में विशेषाधिकार का प्रश्न आप के यहां प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्नों के अन्तरिम उत्तर दिये जाने पर आपत्ति

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी प्रश्नों के सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज कई प्रश्नों के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इससे पूर्व के सेशन में भी कई माननीय मन्त्री महोदयों ने यह उत्तर दिया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और उनके अभी तक उत्तर माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुंचे हैं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि जब सूचना एकत्रित हो जावे उसी समय वह प्रश्न उत्तर के लिये आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह तो आता है लेकिन अगर सूचना एकत्र न हो पायी हो तो तब तक नहीं आयेगा और दूसरे ऐश्योरेंस कमेटी भी सदन की मौजूद है। सरकार के जो वायदे यहां पर हो जाते हैं उनकी जांच करने वाली वह कमेटी है। वह इनको देखती है, गौर करती है और सरकार से कहती है कि जल्दी वायदा पूरा करो।

प्रश्नों की संख्या में कमी करने का सुझाव

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक सुझाव देना था कि आज कल प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अगर कुछ कम कर दिये जायं तो उनके जवाब भी आ जायं और उन पर सप्लीमेंटरी भी हो सके। वर्ना फिर सप्लीमेंट्री-देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—आपका सुझाव सबने सुन लिया। मैं समझता हूं कि सब लोग उसका खयाल रखेंगे।

(श्री टीकाराम पुजारी के खड़े होकर कुछ कहते जाने पर)

श्री अध्यक्ष—देखिये, यह तरीका नहीं है। आप कृपा करके बैठिये।

(श्री टीकाराम पुजारी के बोलना जारी रखने पर)

मैं समझता हूं कि यहां पर कोई डाक्टर भी रखना पड़ेगा फिर।

श्रममंत्री के सभा सचिव द्वारा एक कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विवाद के समय तथ्यों को छिपाने के संबन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय राजनारायण जी का एक विशेषाधिकार का प्रश्न है जो उन्होंने कल भी दिया था। लेकिन कल वह नहीं थे तो मैंने कहा था कि यह लिया नहीं जा सकता और फिर से उनको नोटिस देना पड़ेगा। आज उन्होंने पुनः नोटिस दिया है जो इस प्रकार है:—

"मूंघड़ा संबंधी मेरे कामरोको प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा जी ने कहा था कि कानपुर के काटन मिल के फंड को इधर-उधर कर देने

[श्री अध्यक्ष]

के संबंध में मजदूरों के प्रतिनिधियों ने सरकार को कोई निश्चित बात नहीं बतायी थी, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को फंड इधर-उधर होने का पता नहीं है।

मेरे पास मजदूरों के प्रतिनिधियों ने जो पत्र भेजा है उससे स्पष्ट है कि बहुगुणा जी तथा श्रम मंत्री दोनों को मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मूंधड़ा द्वारा फंड इधर-उधर करने की बात बता दी थी और सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार सब जानती है।

मजदूर प्रतिनिधियों से एक बात करना फिर सदन में उसके विपरीत बोलना और सत्य को छिपाना सदन का अपमान है। आदरणीय सदन में जान-बूझकर सत्य को छिपाना विशेषाधिकार की अवहेलना है, अतः मैं श्री बहुगुणा जी पर विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार अवहेलना संबंधित समिति में भेज दिया जाय।"

उस दिन बहुगुणा जी ने इस प्रकार कहा था " मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। परन्तु मैं आपका ध्यान कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में जो सदन की नियमावली का नियम है उसकी ओर दिलाऊंगा। उसके अनुसार एक प्रस्ताव में एक विषय की ही चर्चा होनी चाहिये परन्तु इसमें शेयर खरीदने की, मालिक बनने की, पूंजी को दूसरे कारखानों में लगाने की, इत्यादि।" उन्होंने यह बात कही। फिर उसके बाद उन्होंने यह कहा "तो यह जो मूंधड़ा द्वारा खरीददारी की बात है यह साल भर पुरानी बात है। उनके कारखानों के बन्द होने की भी महीनों पुरानी बात है। इसलिये जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है उसमें भी नहीं आता।" यह उन्होंने काम रोको प्रस्ताव के बारे में एतराज किया। इसके बाद मैंने प्रश्न पूछा—

"आपको कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है,।"यानी उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई संबंध नहीं है शेयर्स खरीदने या न खरीदने से !" उन्होंने उत्तर दिया "कोई जानकारी नहीं है।"। मैंने फिर पूछा "यही तो मैं जानना चाहता हूं" इस पर श्री राजनारायण जी ने कहा "मैं जरा सफाई कर दूं। अभी चार दिन की बात है जब कि श्रम मंत्री महोदय से कानपुर के हमारे मित्र श्री विमल मेहरोत्रा और दूसरे लोग मिले थे और श्रम मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि हां, मैं जानता हूं"। यह उन्होंने कहा। इसके बाद माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी ने कहा, "मैंने उनसे पूछा कि वह यह कहते हैं कि यहां कोई डेपुटेशन आया था। तो माननीय बहुगुणा जी ने जवाब दिया "उस डेपुटेशन से जो हमारी बातचीत हुई वह कानपुर की तमाम काटन मिलों के ऊपर और उत्तर प्रदेश की जो काटन मिलें हैं, उस पर विचार करने के लिये बात उसमें हुई और हमने उस पर विचार किया। सूती मिल मजदूर सभा, और आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि हमसे मिले थे। जैसा मैंने निवेदन किया कानपुर काटन मिल भी दो महीने से बन्द है। दिसम्बर की १७ तारीख को इस पर चर्चा भी हुई। उसके संबंध में सारी बातों पर प्रकाश भी डाल दिया गया। माननीय राजनारायण जी ने जो प्रवचन किया उसके लिये मैं मुबारकबाद देता हूं। परन्तु मैं कोई प्रवचन फैशन के लिये अपनी तरफ से ..... ।" इस पर माननीय राजनारायण जी ने कहा "कायदे से बात कीजिये।" उसके बाद बहुगुणा जी ने कहा "कोई बात ऐसी श्रीमन्, नहीं है जो उस रोज बहस में नहीं आयी थी और आज सरकार के सामने आयी हो।" मैंने यह पूछा "मैं सिर्फ यह जानना चाहता था, काम रोको प्रस्ताव में उनका मूल कहना यह है कि इस में मूंधड़ा साहब ने सब शेयर्स खरीदकर वहां की मिलों की सांस को रोक दिया और इसकी वजह से इतने आदमी बेकार

हो गये। क्या यह नई चीज उसके बाद मालूम हुई है उस दिन की बहस में अगर यह बात कही गयी थी कि मूंधड़ा साहब ने शेयर्स खरीद लिये और उसका परिणाम यह हुआ तब तो नई बात नहीं है। लेकिन अगर यह नई बात है और केन्द्रीय सरकार में भी केस चल रहा है और उसके बाद लोगों के दिल में शंका पैदा हुई और मालूम हुआ कि सब शेयर्स खरीदने से मिलें बन्द हुई भी तो यह नई घटना अवश्य हो जाती है और उसके ऊपर बहस करने के लिये यह एक नया विषय हो जाता है। यह बात सरकार बताये कि सरकार को यह बात मालूम हुई कि नहीं जिस नयी बात का वह जिक्र कर रहे हैं?"

इसके ऊपर उन्होंने कहा:

"मान्यवर, तीन बातें निवेदन कर दूं। पहली बात तो यह है कि १७ दिसम्बर को जो विचार विमर्श हुआ था कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह का इशारा किया था कि मूंधड़ा साहब की कुछ अपनी खरीदारी की वजह से इन कारखानों में कुछ गड़बड़ी आयी है, जो बी० आई० सी० की मिल्स हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इस तरह का जुबानी इशारा हुआ था। लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है उसके सामने किसी तरफ से कोई इस तरह की निश्चित बात न तो आयी है और न इस प्रादेशिक सरकार के सामने उस बात के आने का आज मौका ही है क्योंकि मूंधड़ा साहब ने साल, डेढ़ साल पहले यह काम कर लिया था और मिलों के बन्द होने के संबंध में, जो हमारी जानकारी थी वह जानकारी हमने भारत सरकार को भेज दी है।"

फिर मैंने उनसे पूछा, "तो आपको यह निश्चित, जानकारी नहीं है, कि मूंधड़ा साहब के शेयर खरीदने की वजह से यह मिलें बन्द हो गईं।"

उस पर उन्होंने कहा, "जी नहीं।"

इस पर "श्रीमन्, मौका दे दिया जाय अब जानकारी करने के लिये" यह राजनारायण जी ने कहा। फिर मैंने कहा कि "आप कृपा कर बैठ जायं।"

अब यह बातें जो उस रोज हुईं उससे स्पष्ट है कि मूंधड़ा साहब ने कोई शेयर्स खरीदे। इसकी जानकारी के बारे में उन्होंने कहा कि साल डेढ़ साल पहले यह चीज हुई। उन्होंने इसकी जानकारी से केवल इंकार किया कि चूंकि सब शेयर्स खरीद लिये गये। इस वास्ते सब मिलें बन्द कर दी गईं। यह बात उनको निश्चित मालूम नहीं है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। यह कहना, समझता हूं कि इससे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है और मैं इस कथन को प्रागदर्शन में नहीं कह सकता हूं कि इस बात के कहने से विशेषाधिकार की अवहेलना हुई। उन्हें जो मालूमात हैं, केंद्रीय सरकार को उन्होंने लिख कर भेज दी हैं। यदि कोई ऐसी चर्चा डेपुटेशन में आ भी गई हो या किसी ने कह दिया कि मूंधड़ा की खरीदारी की वजह से मिलें बन्द हुईं तो उसे निश्चित बात मालूम होना नहीं कहा जा सकता। मैं इसलिये इस विशेषाधिकार के प्रश्न को यह समझते हुये कि प्राइमा-फेसी केस नहीं है, इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, जो मजदूर प्रतिनिधि का पत्र है उनका बयान पढ़ देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने काफी समय दे दिया है। वैसे मैं पढ़ता भी नहीं, लेकिन मैंने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है।

सर्वश्री गौरीशंकर राय व मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब श्री गौरीशंकर राय जी का काम रोको प्रस्ताव है और श्री मदन पांडेय का है और इसी तरह के काम रोको प्रस्ताव हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने कल जिक्र किया था कि मैं

[श्री अध्यक्ष]

पढ़ूंगा नहीं क्योंकि जो आज बजट के सिलसिले में आम बहस चल रही है उसमें यह सब प्रश्न माननीय सदस्य उठा सकते हैं। जो घटनायें प्रति दिन प्रदेश में होती जा रही हैं उनका वह जिक्र कर सकते हैं। इसलिये मैं किसी काम रोको प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं समझता हूं जो बहस में न आ सकते हों और उनमें विशेषता न होने के कारण, उनको पढ़ता नहीं हूं।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय मुझे, निवेदन करना है कि.....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

हाउस आफ कामन्स की स्थायी समितियों के सभापति के निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—मैं एक चीज को हाउस में रखना चाहता हूं। श्री त्रिलोकी सिंह, नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न किया था मेरे सामने एक रोज कि "मुझे नहीं मालूम है कि इसके बाद किस प्रश्न पर विचार करेंगे। कल माननीय उपाध्यक्ष ने यहां इस सदन में यह बयान दिया था कि हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा है कि सदन प्रवर समितियों की अध्यक्षता चेयरमैन, वेज ऐंड मीन्स, जो उपाध्यक्ष होते हैं, वही करते हैं। मेरी जानकारी में वहां यह परम्परा नहीं है। जहां तक सेलेक्ट कमेटीज का सवाल है, सेलेक्ट कमेटीज स्वयं अपने चेयरमैन को एलेक्ट कर लेती हैं। जब पूरा हाउस कनवर्ट होता है वेज ऐंड मीन्स या कमेटी आफ सप्लाई में तो इन दोनों में चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होते हैं। वहां स्टैंडिंग आर्डर भी और प्रथा भी हाउस आफ कामन्स की यही है। हो सकता है चेयरमैन कमेटियों का चुनाव स्वयं करते हों। इस संबंध में मेरी जानकारी में कोई त्रुटि हो तो मैं आपका आभार मानूंगा कि मैं सही कर दिया जाऊं।" इस पर मैंने यह कहा था कि "जो प्रश्न आपने उठाया उसके विषय में विस्तार से देखकर कल मैं फिर बतलाऊंगा कि वहां की प्रथा क्या है?" एक रोज मैं बताने को भी तैयार था लेकिन उस रोज माननीय नेता विरोधी दल मौजूद नहीं थे और फिर दो तीन रोज मुझे विचार में लग भी गये।

इसमें पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर के शब्द यह थे कि "हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा है कि सदन की प्रवर समितियों की अध्यक्षता चेयरमैन वेज ऐंड मीन्स जो सदन के उपाध्यक्ष होते हैं, करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, जिससे वे ऐसा करने की प्रार्थना करें, लोक सभा में एक शाध अपवादों को छोड़कर ऐसी समितियों के अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष होते हैं या अन्य कोई गैर सरकारी सदस्य। यही सही और स्वस्थ परम्परा है। इस सदन में यह परम्परा लागू की जाय या नहीं, यह विषय विचारणीय है।"

मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक हाउस आफ कामन्स के बारे में मुझसे पूछा गया कि वहां क्या परम्परा है, तो एक बात तो यह है कि कुछ शब्द जो हम लोग उपयोग में लाते हैं उनकी यहां और वहां की व्यवस्था में अन्तर है। हम सेलेक्ट कमेटी किसी बिल के ऊपर कायम करते हैं अपने नियमों के अनुसार। उसको हम हमेशा अंग्रेजी में सेलेक्ट कमेटी और हिन्दी में प्रवर समिति कहते हैं। हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी भी है, लेकिन वे केवल मंत्रीगणों को सलाह देने वाली समितियां होती हैं, उनके सामने कोई विधेयक नहीं जाता। हमारे यहां पूरे सदन की कोई कमेटी नहीं होती। हम लोग सदन की हैसियत से बैठते हैं और जब अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उपाध्यक्ष बैठते हैं और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होते हैं तो अधिष्ठाता मंडल का कोई सदस्य बैठता है।

इंगलैण्ड की परिपाटी में, बिल्कुल ऐतिहासिक दृष्टि से अलग-अलग समय में अलग-अलग ढंग से उनके यहां नियम बने। उनके यहां एक तो पूरे सदन की समिति बनायी जाती

है। अगर वेज़ ऐंड मीन्स का या सप्लाई का प्रश्न हो तो उस वक्त पूरा सदन एक कमेटी के रूप में बैठता है और वेज़ ऐंड मीन्स के चेयरमैन उसके अध्यक्ष होते हैं। वे न हों तो डिप्टी चेयरमैन और अगर वे भी न हों तो जो पैनेल आफ चेयरमैन वहां बनता है उसमें से कोई अध्यक्षता करता है। एक तो ये कमेटियां वहां पर होती हैं।

इसके अलावा जब कोई विशेष कमेटी बनायी जाती है उसको आप सेलेक्ट कमेटी कह सकते हैं। लेकिन वहां पर यह नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी सिर्फ किसी बिल ही के लिये बनायी जाय, यह भी हो सकता है कि किसी विशेष जांच के लिये एक कमेटी बैठायी जाय। उसको भी सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। लेकिन आमतौर पर वहां बिल के लिये स्टैंडिंग कमेटी होती है। सेशन के शुरू में ६-७ के करीब स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती हैं। उनके पास आमतौर पर बिल भेजे जाते हैं। अगर सदन यह चाहता है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई बिल न जाय बल्कि एक विशेष सेलेक्ट कमेटी बैठायी जाय तो वह बैठा सकता है लेकिन ऐसा वहां बहुत कम होता है। अधिकतर स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास ही बिल भेजे जाते हैं। पार्टियों के नाते से २० सदस्य उसके चुने जाते हैं और उनको स्पीकर ही एप्वाइंट करता है। बाकी ३० सदस्य जब कोई बिल किसी स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होता है उस समय चुने जाते हैं और वह इस खयाल से कि कौन किस विषय में दिलचस्पी रखता है लेकिन होता उसमें भी यही है कि मेजारिटी पार्टी का बहुमत उसमें बना रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जायगी। तो यह स्टैंडिंग कमेटी के संबंध की बात है। स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह पैनेल आफ चेयरमैन में से होते हैं। यह बात स्पष्ट है कि प्रवर समिति या स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष वहां साधारणतया मिनिस्टर नहीं होता। विशेष सेलेक्ट कमेटी का वह सभापति चुना जा सकता है यह भी है। क्योंकि अगर विशेष सेलेक्ट कमेटी को कोई विधेयक रेफर किया गया और कोई सेलेक्ट कमेटी बनी और स्टैंडिंग कमेटी को वह रेफर नहीं किया गया तो उसके जो सदस्य होंगे वह खुद अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि जहां सेलेक्ट कमेटी बनी और उसको रेफर विधेयक किया गया तो फिर सेलेक्ट कमेटी को अधिकार हो जाता है कि वह अपने चेयरमैन का चुनाव कर ले लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है वह सिर्फ उनमें से होता है जो कि पैनेल आफ चेयरमैन में होता है। पैनेल आफ चेयरमैन में वेज़ एन्ड मीन्स का चेयरमैन भी शामिल है। डिप्टी चेयरमैन भी शामिल है यानी स्टैंडिंग कमेटी का भी चेयरमैन इन दोनों में से नियुक्त हो सकता है लेकिन यह बात कहना ठीक नहीं है कि हमेशा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप वेज़ एन्ड मीन्स के चेयरमैन ही करेंगे या उपाध्यक्ष करेंगे। तो मैं कहता हूं कि तीन-चौथाई बात तो यह सही है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा क्योंकि असरकारी सदस्य स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन होते हैं और एक अंश में यह भी सत्य है कि सेलेक्ट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वह सेलेक्ट कमेटी के मेंम्बर चुनते हैं। जहां तक विधेयक का संबंध है, विधेयक विशेष सेलेक्ट कमेटी के पास बहुत कम भेजे जाते हैं। इसलिये दोनों प्रकार की कमेटियों के बारे में पढ़ने से पूरी शकल इंगलैन्ड की प्रथा की नजर में आती है। इसलिये मैंने उस रोज कहा था कि एक दो पन्नों को पढ़ने से कुछ गलतफहमी हो सकती है। यह दूसरों के मुल्क का मामला है। अगर कोई स्काटलैन्ड का बिल है तो उसके लिये स्काटलैन्ड के सब सदस्यों की एक कमेटी बनती है कुछ अन्य सदस्यों के साथ और उनमें से उस प्रवर समिति के मेंबर और चेयरमैन होते हैं। ऐसी-ऐसी वहां पर प्रथायें हैं जो हमारे यहां की कमेटीज़ से संबंध नहीं रखती। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अपने यहां की प्रथा, जो उनकी प्रथाओं में से हम उचित समझें उसी आधार पर कायम करें। इसलिये मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि वहां की प्रथा किस प्रकार की है।

श्री रामनारायण (जिला वाराणसी)—यहां की प्रथा के संबंध में अध्यक्ष महोदय की क्या राय है ?

श्री अध्यक्ष—मैं राय वही दे सकता हूं जैसा कि स्पीकर हमेशा कहा करता है कि जो सदन की आंखें हैं वही मेरी आंखें हैं। जो सदन की राय है वही स्पीकर की राय है। जब यहां पर किसी प्रथा को कायम करने के लिये माननीय सदस्य तैयार होंगे तो सदन उस पर विचार करेगा। यही डिप्टी स्पीकर ने भी कहा। मैं इस समय वैयक्तिक राय देना पसन्द नहीं करूंगा।

१९५८-५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि निश्चित समय से ५ मिनट और देने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—आपको ५ मिनट दे दिये जायेंगे, लेकिन आपके नेता के समय में से यह समय कम हो जायगा।

श्री मलिखान सिंह—हमें कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में संकेत किया कि आवश्यकता पड़ेगी तो टैक्स लगाया जायगा। जिस सरकार को आवश्यकता पड़ती है या पड़ने की संभावना होती है तो वह उस संभावना का उसमें संकेत कर सकती है। किन्तु इसके लिये यह देखना होगा कि सरकार को जो पैसे की आवश्यकता पड़ी है तो हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि जितना पैसा सरकार ने पब्लिक से लिया है उसका सरकार के द्वारा सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, यह सरकार किन मानों में सफल हुई और किन मानों में असफल होती चली गई है, यह बतावे। अगर हम इस सरकार के पिछले ११ साल के इतिहास को देखें तो हमें उसमें एक ही बात मिलेगी कि यह अपने सामने कोई एक मूल रास्ता नहीं अख्तियार कर सकी है। जैसी स्थिति आयी उसी के आधार पर इसने अपनी नीति को परिवर्तित कर दिया और वैसी ही घोषणा कर दी। इस सरकार ने इस ११ साल के बीच में जितना पैसा व्यय किया है वह ज्यादातर प्रयोग की दृष्टि से ही व्यय किया है। पहले बजट में अथवा इसमें जहां भी आप देखें, जब कोई आपत्ति आयी, कोई दिक्कत आयी, इन्होंने उसके लिये एक नया विभाग अलग से खोल दिया, उस विभाग ने क्या किया या क्या नहीं, इसका पता कभी इस सरकार ने लगाने की कोशिश नहीं की। आंकड़ों के आधार पर अथवा रिपोर्ट से हम लोगों को बता दिया और कोई निगरानी उस विभाग की नहीं की।

अब हम यह देखें कि इन्होंने पैसे का सदुपयोग किया अथवा दुरुपयोग। इसके लिये मैं आंकड़ों पर नहीं जाता, क्योंकि कल गोविन्द सहाय जी कह चुके हैं कि आंकड़े गलत हो सकते हैं, सरकार यूं ही इनको बना देती है। हमें यह देखना होगा कि हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ रही है और इस के लिये सरकार प्रदेश में सिंचाई के लिये कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर नहरें बढ़ाती जा रही है। आगे नहरें बढ़ाती जा रही है और पीछे कुलाबे खत्म होते जा रहे हैं, सिंचाई कम होती जा रही है, पानी नहीं पहुंच पाता।

हमारे प्रदेश में आज अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और उसके लिये तीन चीजों की बहुत जरूरत है। पहले जमीन अच्छी हो, दूसरे पानी हो और उस के बाद उसके लिये गरमी हो। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी हम अधिक उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहरें बढ़ती चली गईं और उनसे समय पर पानी नहीं दिया गया तो क्या होगा ? इरिगेशन मैनुअल में रबी की फसल का पानी देने का समय २१ नवम्बर दिया हुआ है। यह ५० साल पुरानी मैनुअल आज भी उसी प्रकार प्रयोग में आती है। इस

प्रदेश में जहां इतने जिले हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, जिसमें तरह-तरह की क्लाइमेट है, कहीं पानी की पहले जरूरत होती है कहीं बाद में, लेकिन नियम के हिसाब से २१ नवम्बर के बाद ही पानी जायगा, चाहे खेत में सूखा पड़ जाय या कुछ भी हो जाय। मैं इसके लिये प्रदेश की सरकार को सुझाव दूंगा कि विकास खंडों के प्रस्तावों पर अथवा प्लानिंग कमेटियों के सुझाव पर प्रत्येक जिले की नहरों में पानी दिया जाय। इस तरह प्रत्येक सिंचाई अधिकारी को ध्यान देना चाहिये ताकि फसल का उत्पादन ठीक समय से और ढंग से हो सके और नहरें तभी बढ़ाई जायं कि जब पीछे के हिस्से में पानी पूरी तरह से पहुंच जाय। योजना चली और ट्यूब-वेल बने लेकिन गोरखपुर डिवीजन के तमाम नलकूप बेकार पड़े हुए हैं। मैं देखता हूं कि वह ट्यूब-वेल्स लास पर चल रहे हैं, करोड़ों का घुटाला होता चला जा रहा है, लेकिन सरकार ने फिर वही योजना बनाई और रुपया खर्च करने को तैयार हो गयी। इसी वास्ते हमें यह देखना है कि वास्तव में यह सरकार रुपये का सदुपयोग कर रही है अथवा दुरुपयोग। यह जो पालिसी इन्होंने अख्तियार की है वह टिकाऊ है अथवा थोड़े से समय के लिये ही। इनकी पिछली पालिसी को देख कर ११ साल के तजुर्बे से हम कह सकते हैं कि जो शासन इन्होंने किया है वह प्रयोग का शासन है। इन्होंने इस समय में हर बात में प्रयोग किया। शिक्षा में देखिये, कितनी बातें कहीं और फिर उनको बदल दिया। हमको यह देखना है कि सरकार अपने वायदों और कार्यों के लिये कहां तक सफल कही जा सकती है।

इसके पहले यहां के निर्माण मंत्री ने यह कहा था कि हम निर्माण के लिये सभी सड़कें ठीक कराने जा रहे हैं। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मैनपुरी जिले में जो नया कार्यक्रम है उसमें एक भी सड़क नहीं ली गयी है और न ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी की कोई सड़क ली गयी है। पुलों की क्या कहूं? एक भी नया पुल योजना में नहीं रखा गया है। प्लानिंग कमेटी ने २५,००० रुपया ४ साल पहले परोखवर पुल के लिये मंजूर किया था वह रुपया आज भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बेकार पड़ा हुआ है और पुल नहीं बन रहा है। यह स्थिति बराबर हमारे सामने चली आ रही है और सरकार का काम दिन प्रति दिन ढीला पड़ता चला जा रहा है।

आज एजूकेशन की तरफ आप देखें। बनारस में सम्पूर्णानन्द जी की कांस्टीटुएंसी में बराबर कहीं किसी मद में रुपया दिया जा रहा है और कहीं किसी मद में दिया जा रहा है और हम लोगों की तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। न वहां नीचे की शिक्षा की ओर ध्यान है और न कोई डिग्री कालेज ही वहां पर खोला जा रहा है लेकिन बनारस की तरफ खर्चा बराबर बढ़ता ही चला जा रहा है। यह मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है।

श्रीमन्, यह तो मैं बजट के आधार पर बता रहा हूं। जिले में चल कर अगर देखा जाय तो जिला मैनपुरी में कोई काम नहीं हो रहा है। जनाना मेडिकल अस्पताल, शिकोहाबाद में जरूर बन रहा है, जिला एटा से पानी आने का रास्ता जरूर कनेक्ट कर दिया गया है, बाकी और कोई काम नाम को भी नहीं है।

बाढ़ के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। अनेक प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं कि किस चीज को बोया जाय जिससे बाढ़ से कम नुकसान हो और उत्पादन ठीक हो सके, लेकिन वह रुपया भी अभी तक बेकार ही जा रहा है। पूर्वी जिलों की बाढ़ के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट कल्पना नहीं दी गयी है। कितनी सफलता इन प्रयोगों से हमें हुई है, इसका एक भी आंकड़ा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि के बारे में माननीय त्रिलोकी सिंह जी पर इस तरह के आक्षेप लगाये गये कि हो सकता है, चूंकि वे शहर के रहने वाले हैं, गांवों के बारे में उनको कुछ पता ही न हो या उनके लखनऊ के आसपास कोई नहर न होगी,

[श्री मलिखान सिंह]

इस प्रकार से कहना कोई तथ्य की बात नहीं है। जो जिस क्षेत्र में रहता है, वह वहां की समस्या और वहां के उत्पादन के बारे में किसी और प्रकार से जानकारी कर सकता है।

काटेज इंडस्ट्री के बारे में सदन में बड़ा शोर रहा। बताया गया कि एक-एक जिले को ६-६ हजार रुपया दिया गया है। केवल इतना थोड़ा सा रुपया देकर कहा जाता है कि अपने जिले में काटेज इंडस्ट्री कायम करो जबकि बड़ी-बड़ी मिलों को लाखों और करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जाता है वहां, पूरे-पूरे जिलों को यह कह कर कि तुम्हारे यहां लकड़ी या लुहारी का काम होता है २०० या ५०० देकर टाल दिया जाता है। अभी जिला मैनपुरी में ६ हजार रुपया काटेज इंडस्ट्री के लिये भेजा है। जो मजदूर वगैरह ट्यूब-वेल्स की वजह से बेकार हो गये हैं, उनकी बेकारी को दूर करने के लिये काटेज इंडस्ट्री खोलने के नाम पर यह रुपया भेजा है और वह भी साल के आखिर में भेजा है। रुपया लेते हैं तो ठीक है, वरना खत्म हो जायेगा चाहे व्यापार का समय हो या न हो। इस तरह से गांवों के मजदूर और बे पढ़े-लिखे किसान बेकार होते जा रहे हैं। जो योजनायें जिलों में हैं भी, अगर उनके बारे में इंक्वायरी की जाय तो मालूम होगा कि वे भी फेल हो चुकी हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट १९५८-५९ का सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके पहले कि जो बातें यहां कही गयी हैं, मैं उनका कोई जवाब दूं, या अपनी तरफ से कोई बात कहूं, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब को यह अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये कि हमारी पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा साल शुरू होने वाला है। जब कभी कोई पंचवर्षीय योजना शुरू होती है तब उसके पहले या दूसरे वर्ष के बजट में जरूर ऐसी चीज आ सकती है, जिसमें मूल नीति का कोई सवाल हो, प्रथम वर्ष में ही पांच सालों के लिये सरकार की नीति निश्चित हो जाती है, इसलिये एक दफा ५ साल के लिये सरकार की नीति निर्धारित हो जाय, उसके बाद यह आशा करना कि हर साल बजट में कोई नई चीज आयेगी, मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा। हमको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा और इसीलिये यह वजह है कि इस साल का बजट बिलकुल एक बिजनेस लाइक बजट हमारे सामने पेश हुआ है।

माननीय नेता विरोधी दल ने अपने लम्बे नीरस भाषण में बहुत सी बातें कहीं और इस बात को साबित करने की कोशिश की कि सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया और जो कुछ किया भी है उसको पूरा करने में नाकामयाब रही है। मैं इस बात का जवाब बाद में दूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां उन्होंने इतनी बातें कहीं, वहां सरकार की जो बुनियादी नीति है उसके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को सरकार की बुनियादी नीतियों से इत्तफाक है और इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

माननीय नेता विरोधी दल ने शुरूआत इस बात से की और इस बात को साबित करने की कोशिश की कि चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे स्टेट में कम होता जाता है, यही इस बात का सबूत है कि हमारे प्रदेश की खुशहाली कम होती जा रही है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैंने यह नहीं कहा।

श्री नवलकिशोर---क्या कहा था ?

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाया जाता है, लेकिन नेशनल इनकम को बढ़ाने का कम प्रयत्न किया गया है जिससे पर-कैपिटा इनकम कम होती जा रही है।

श्री नवल किशोर––मान्यवर, उन्होंने जो सफाई दी उसके लिये मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं कि नेशनल इनकम बढ़ाने की कोशिश हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता जायगा। नेशनल इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही स्टेट का खर्चा कम होगा। मगर मेरा कहना है कि यह बात सही नहीं है। यह सच है कि पिछले दो साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर का जितना एस्टिमेट था उनका खर्च नहीं हो सका और इस साल के बजट में उससे कम है लेकिन उसका कारण भी माननीय वित्त मंत्री जी न बतलाया है कि उन स्कीमों के शुरू करने में इतना ज्यादा समय लग गया, जिसकी वजह से इतना कम खर्च हो सका, कोई नीयत इस बात की नहीं थी कि खर्च कम किया जाय या स्कीमें अधूरी छोड़ दी जाएं।

दूसरी बात मैं और कहता हूं कि जो हमारे सामने दूसरी पंचवर्षीय योजना है, उसका टारगेट निर्धारित है। तो हमको देखना यह है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिससे जो हमारा टारगेट है, उसमें कमी रह जाय। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी कि खर्चा कम हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित है, वह अपनी जगह पर कायम है और उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है।

नेता विरोधी दल ने कुछ आंकड़े देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि हमारे प्रदेश के अन्दर पर-कैपिटा इनकम घट रहा है, खेती का पर केपिटा जो उत्पादन है, वह भी कम हुआ, इस तरह की उन्होंने बहुत सी बातें बतलायीं। यह भी उन्होंने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि एक ही विभाग के आंकड़े भिन्न-भिन्न पुस्तकों में भिन्न-भिन्न होते हैं तथा विभिन्न विभागों के आंकड़े एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, इस सम्बन्ध में जो उनकी शिकायत है, वह सही है और मैं उनसे इस मामले में सहमत हूं। पिछले साल भी ऐसा हुआ और हम सबके लिये यह बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के गलत आंकड़े स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिये जाते हैं जो उसकी इनएफिशिएंसी का प्रमाण है। पिछले साल भी एक किताब छपी थी, "एवोल्यूशन आफ स्टेटिस्टिक्स" जिसमें सेक्रेटरी महोदयों के उम्दा उम्दा और खूबसूरत फोटोज थे। इतनी बड़ी पुस्तक गवर्नमेंट कास्ट पर विभाग की तारीफ में छपी, लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि उस विभाग से जो आंकड़े छपते हैं उनको हम एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी पाते हैं. मैं चाहता हूं कि सरकार विभाग के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कदम उठाए।

फिर भी यह बात जरूर है कि प्रदेश के अन्दर खेती का उत्पादन बढ़ा है। जहां तक खेती के उत्पादन के बढ़ने की बात है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। इस समय उसका लम्बा ब्योरा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, यह भी हम जानते हैं कि चाहे जिस क्षेत्र को भी उठा कर देख लें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अन्दर इस प्रदेश में तरक्की न हुई हो। चाहे खेती की बात हो, चाहे बीज बांटने की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे इर्रीगेशन की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे एजूकेशन की बात हो, मान्यवर, जिस क्षेत्र को भी चाहें उठा कर देख लें। आंकड़े हमारे पास हैं, मैं उनमें इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं, पर इस बात का सही सबूत हमारे सामने है कि इस प्रदेश की तरक्की हुई है और यह आगे बढ़ा है। हां, दो बातें वे कह सकते थे, एक तो यह कह सकते थे कि जितनी तरक्की होनी चाहिये थी उतनी तरक्की नहीं हुई, या यह कह सकते थे कि जितने खर्च में आपने इतना काम किया उससे कम खर्च करके ये काम हो सकते थे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस तरह की कोई दलील उनकी तरफ से नहीं आयी।

उन्होंने इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि पर-कैपिटा इनकम घटी है। मैं मानता हूं कि यह सही है कि कुछ हिस्से में पर-कैपिटा इनकम घटी है, हालांकि नेशनल इनकम में काफी वृद्धि हुई है। इसका एक कारण तो आबादी का बढ़ना है और दूसरा कारण यह है कि पिछले दो तीन साल से हमारे प्रदेश में नेचुरल केलेमिटीज बहुत हुई; बाढ़ आई, अधिक वर्षा हुई, कहीं

[श्री नवलकिशोर]

सूखा हुआ, जिनके कारण उत्पादन घटा और परकेपिटा आय भी घटी । उन्होंने इस बात को भी साबित करने की कोशिश की कि जितने एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि लोगों का मारल उत्थान भी हो, मगर उन्होंने बताया कि प्रदेश में आम तौर से क्राइम्स बढ़ रहे हैं । बात सही है कि क्राइम्स की तादाद में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन इस ट्रान्जीशन पीरियड में ऐसा होना स्वाभाविक है । जो अन्य देश धनाढ्य हैं वहां भी क्राइम्स की संख्या बढ़ी हैं । इसलिए क्राइम्स की संख्या को इससे जोड़ने से कोई आर्गूमेंट नहीं बनता ।

उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट की पालिसी कामर्शियल है, वेलफेयर की नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी जिलों में ट्यूबवेल्स के रेट्स इतने ज्यादा हैं कि लोग इतने पैसे में पानी लेने को तैयार नहीं होते । मुझे मालूम है कि ४-६ पश्चिमी जिलों को छोड़ कर गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स आम तौर पर अनप्रोडक्टिव रहे हैं, अगर सरकार इन स्कीम को चाहती तो छोड़ सकती थी लेकिन अनप्रोडक्टिव स्कीम होते हुये भी हमने हजारों की तादाद में ट्यूबवेल्स बनाये और पूर्वी जिलों में खास तौर से बहुत बड़ी संख्या कुओं की बनी । इसलिये हम यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी वेलफेयर की नहीं है और केवल कामर्शियल ही है । उन्होंने कहा कि ३६,००० कुएं कम हो गये । यह तो समझ में आ सकता है कि नये नहीं बनाये गये, लेकिन जो बने हुये थे वह कम हो गये यह समझ में नहीं आया क्या उनको पाट दिया गया।

श्री त्रिलोकी सिंह---आप सेन्सस रिपोर्ट पढ़ लें पता चल जायगा ।

श्री नवल किशोर---जो मैं कहता हूं वह सुन लीजिये ।

उन्होंने प्रदेश के दो खास उद्योगों की तरफ भी ध्यान दिलाया कि यहां के दो बड़े उद्योग हैं, एक टेक्सटाइल्स और दूसरा शुगर । उसके बाद उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि वह दोनों उद्योग यहां खतरे में हैं । हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे साबित हो जाता है कि हमारे यहां गन्ने का उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और टेक्सटाइल्स की भी यही स्थिति है । उन्होंने कहा कि कानपुर में कपड़े के कारखाने बन्द होते जाते हैं और कहा कि १,२०० मजदूरों को कम कर दिया गया है । मैं उनसे बड़े अदब के साथ कहूंगा कि हमारे अब तक के जितने कानून हैं उनमें से कोई कानून ऐसा नहीं है कि अगर कोई फैक्टरी काम करना बन्द कर दे तो गवर्नमेंट कहे और मजबूर करे कि नहीं, तुम को काम करना होगा और कारखाना चालू करो । ऐसा नहीं हो सकता है । हां, नेशनलाइजेशन किया जा सकता है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने नहीं कहा कि नेशनेलाइजेशन कर दीजिये. Please don't misquote me for Gods sake.

श्री नवलकिशोर---आपने यह तो कहा कि १,२०० मजदूर कम कर दिये । एक ही आल्टरनेटिव था कि या तो कारखाना बन्द कर दिया जाय और कई हजार मजदूर बेकार हो जायं बल्कि माननीय बहुगुणा जी ने यह भी बताया कि वहां वह कम भी नहीं हुये । अगर कारखाने वाला कहे कि हम बन्द कर देंगे या इतने शिफ्ट काम नहीं करेंगे, या हम इतने आदमियों को कम करके काम करेंगे, अगर दो ईविल्स हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जितने आदमी काम कर सकते हैं उनको काम करने का मौका दिया ही जाय ।

उन्होंने यह भी बताया कि बारह हजार मील पक्की सड़कें हैं और उस सम्बन्ध में कीन कमेटी को भी कोट किया और यह बताया कि यह तमाम सड़कें लोकल बाडीज को दे दी जायं । मुझे इन दुरंगी बातों पर बड़ी परेशानी होती है । जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् अमेंडमेंट बिल के ऊपर बहस चल रही थी, अपोजीशन की तरफ से इस बात कीमांग आयी कि बोर्ड्स निकम्मे हैं । इनका ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल बेकार है । इनको लिक्विडेट किया जाय, सस्पेन्ड किया जाय और आज विरोधी दल का जिम्मेदार नेता यह कहता है कि आपने जो कीन कमेटी की सिपारिशें थीं उनको ऐक्सेप्ट नहीं किया । इस तरह की दलीलें मेरी समझ में नहीं आती हैं ।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। मैं उनकी इस बात को सेंट परसेंट सही मानता हूं और मैं मानता हूं कि जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन है टाप हेवी है और इस बात के ऊपर जो माननीय साथी इस तरफ बैठे हैं उन्होंने आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इस बात की आवाज उठायी है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का बोझ कम किया जाय। मेरा अपना विचार है कि ६० फीसदी से ज्यादा पैसा हमारे बजट का सरकारी अफसरों पर खर्च होता है। उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं। आज भी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी है और हमने कम से कम इस बात को माना है कि यह कम होनी चाहिए। लेकिन सरकार की भी दिक्कत है, यह भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। वह यह है और मुझे ज़ाती तौर पर थोड़ा सा अफसोस भी है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इसकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया और जब तक केन्द्रीय सरकार की कोई पालिसी इस प्वाइंट पर ले डाउन न की जाय इस सरकार को वाकई दिक्कत होती है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने कोई हल नहीं बताया। एक तरफ उन्होंने यह कहा कि टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है और दूसरी तरफ यह कहा कि दो तिहाई कर्मचारी टेम्पोरेरीज हैं उनको परमानेंट कर दीजिये। एक तरफ टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम करने की मांग और दूसरी तरफ टेम्पोरेरीज को परमानेंट करने की मांग, यह दोनों चीजें मेरे विचार से कंट्राडिक्टरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेता विरोधी दल ने सर्विसेज के साथ कुछ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। वह कहते हैं कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का डियरनेस एलाउन्स नहीं बढ़ाया, सेन्ट्रल सेक्टर के लोगों के लिए उन्होंने यह कहा कि उनको अभी तक टेम्पोरेरी रखे हुए हैं लिहाजा ईमानदार कैसे हो सकते हैं? मैं समझता हूं कि ईमानदारी का और टेम्पोरेरी होने का बहुत बड़ा सम्बन्ध नहीं है।

तीसरी बात उन्होंने यह बतायी कि सेक्रेटरीज एक तरह के डिगनीफाइड हेड असिस्टेंट्स हैं। जहां उन्होंने यह बात कही कि वह डिगनीफाइड हेड असिस्टेंट्स है वहां यह भी कहा कि सरकार और सरकार के मंत्री हर काम में दखल देते हैं। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं। मेरा अनुभव इसके बिलकुल उल्टा है। मैं यह देखता हूं कि नौकरशाही दिन पर दिन मजबूत होती चली जा रही है और मजबूत ही नहीं स्वतंत्र होने की चेष्टा करती है। छागला कमीशन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि किस तरह से मिनिस्टर को अंधेरे में रख कर नौकरशाही मनमाने ढंग से काम करती है। और आज नेता विरोधीदल उल्टी बात कहते हैं।

मैं एक बात और कहता हूं, डिफायंस की बात कहता हूं। अभी हमारी सरकार ने एक जी० ओ० निकाला था--विदड्राल आफ मोटर वेहिकिल्स। मेरी इत्तला है कि १,४०० गाड़ियों में से मुश्किल से चार, साढ़े चार सौ गाड़ियां वापस की गयी हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि वह वापस न की जायं बल्कि दोबारा जो गाड़ियां वापस की गयी हैं उनको उन अफसरों को दे दिया जाय। इन सब बातों को देखते हुए यह कहना कि वह डिगनीफाइड हेड असिस्टेंट्स हैं, बिलकुल गलत बात है।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं जरा करेक्ट कर दूं अगर उनकी इजाजत हो। मैंने हेड आफ दि डिपार्टमेंट्स के बारे में कहा, सेक्रेटरीज के बारे में नहीं कहा है। मालूम यह होता है कि या तो मेरी बात ऐसी हुई कि इनकी समझ में नहीं आयी या इनकी समझ में कोई ऐसा फर्क हुआ, यह मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी हर चीज को वह उल्टा समझे।

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, यह बात अगर उन्होंने कही तो मैं समझता हूं कि और भी गलत कहा। मैं आपसे कह रहा था कि आज हमारे सामने एक प्रश्न है। इस जनतंत्र में अगर इस नौकरशाही से हमें काम लेना है तो किस तरीके से इसको तब्दील किया जाय। दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो वह तब्दील हों या वह हमको ही तब्दील कर दें।

[श्री नवलकिशोर]

बहरहाल, मैं यह बात तो अपने सीनियर साथियों पर छोड़ता हूं कि किसको किसके लिए तब्दील करना है। मैं इस बात को जानता हूं कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का एक स्थान होता है, इस बात को मानता हूं। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी आज सुप्रीम हो जाय तो मुझे अन्देशा है कि पता नहीं आगे डेमोक्रेसी चले या अगर चले तो उसकी क्या शक्ल हो, यह बात सोचने की है। जहां तक टाप हेवी ऐंड मिनिस्ट्रेशन की बात है मैंने पहले भी एक मांग की थी और आज भी मांग करता हूं कि जो नयी-नयी जगहें पैदा होती जाती हैं उनके ऊपर चेक होना चाहिए, सरकारी अफसरों की तनख्वाहें कम की जानी चाहिए। मान्यवर, पिछले साल मैंने एक अपील की थी लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। वह यह कि जिनकी तनख्वाह एक हजार से ज्यादा है वह अपनी खुशी से उसमें टेन परसेंट कमी करें। मैं अपनी उस अपील को आज फिर इस सदन के द्वारा उन तक पहुंचाना चाहता हूं।

उन्होंने कुछ बात सोशलिज्म की भी कही। यह बात सही है और इसमें कोई दो ओपिनियन्स नहीं हैं, कि कांग्रेस का यह निर्धारित लक्ष्य है कि वह समाजवादी व्यवस्था को इस प्रदेश और देश में कायम करना चाहती है और यह जितने काम हुए यह भी अपनी जगह सही हैं। उनसे समाजवाद को प्रोत्साहन मिलता है, सहायता मिलती है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी बड़ा आवश्यक है कि हमारे देश के अन्दर एक वातावरण ऐसा पैदा हो, हमारा सबका दृष्टिकोण ऐसा हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, चाहे हम लोग हों, चाहे देश के दूसरे लोग हों, उनका यह अप्रोच हो कि सोशलिज्म को कम से कम पीरियड में हम अपने यहां ला सकें और इसके लिए हमको ड्रास्टिक आइडियोलाजी और इंस्टीट्यूशनल मेथड को अख्तियार करना पड़ेगा जैसा कि हमारे दूसरे साथी श्री गोविन्द सहाय ने कहा था। वह बात बिलकुल सही है।

इसके सिलसिले में मैं एक बात यह भी कहना चाहता था जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी किया है---रिआर्गेनाइजेशन और इकानामी की बात। यह सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इससे पहले अपने यहां कई एक्सपर्ट कमेटी बिठायी और इस बात की कोशिश की कि उन एक्सपर्ट कमेटीज की जो सिफारिश आयी उसकी रोशनी में अपने यहां वह तब्दीली करें। हमारे यहां भी एक बहुत सीनियर आफिसर को यह काम सौंपा गया है। मैं समझता हूं कि वह बहुत योग्य और काबिल आफिसर हैं लेकिन मेरा मत यह है कि अगर उनके साथ-साथ कोई कमेटी की शक्ल में या कमीशन की शक्ल में कोई चीज सरकार बना देती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक व्यक्ति कितना ही योग्य क्यों न हो, उस से गलती हो सकती है। बहरहाल, चूंकि उसकी कोई योजना इस समय हमारे सामने नहीं है इसलिये मैं उस पर कोई टीका-टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसका जरूर ध्यान रखा जाय कि कहीं ऐसा न हो कि सरकारी अफसरान की तादाद बढ़ जाय और कम तनख्वाह पाने वाले हमारे भाई जो हैं वह कम कर दिये जायं। अगर टाप हेवी ऐडमिनिस्ट्रेशन को कम करना है तो सरकारी अफसरान को कम करना होगा। यह बात सही है कि कम तनख्वाह पाने वालों की तादाद अनुपात में ज्यादा है और उनमें कुछ न कुछ कमी तो होगी। उसके लिए कोई आल्टरनेटिव ऐम्प्लाइमेंट सोचना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच न हो कि जिससे छोटे-छोटे कर्मचारी और चपरासी तो कम कर दिये जायं और गजटेड आफिसर्स दिन पर दिन बढ़ते जायं।

एक्सटेंशन तथा रिऐम्प्लाइमेंट के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने रिटायरमेंट की एज तो ५५ से ५८ वर्ष कर दी। वह ठीक है या नहीं ठीक है उसकी बाबत मैं कोई राय देना नहीं चाहता, न यह उस के लिये कोई समय है। एक जी० ओ० गवर्नमेंट ने इश्यू किया। मैं समझता था कि उसके बाद एक्सटेंशन के मामले में सरकार की नीति और अधिक सख्त हो जायगी। लेकिन आज भी एक्सटेंशन की नीति अपनी जगह जैसी की तैसी है। जो लोग रिटायर होते हैं उनको ओ० एस० डी० बना दिया जाता है, ऐडवाइजर टु सो

एन्ड सो डिपार्टमेंट। और मुझे मालूम हुआ कि अब भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जज जिनकी उम्र ५८ वर्ष ही नहीं ६० के आसपास थी या ज्यादा हो गई थी उनमें से ४, ६ आदमियों को ऐक्सटेंशन दे दिया गया है। मैं बड़े अदब से माननीय वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि ऐक्सटेंशन के मामले में वे और भी ज्यादा सख्त हो जायं।

एक और भी मुख्य चीज है वह यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, और खास तौर से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसको जो जनमत है उसके अन्दर जो कानाफूसी होती है उसके प्रति बहुत जागरुक रहना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले इस सदन में कुछ साथियों ने अफसरों के मकान बनाने के सम्बन्ध में आवाज उठायी थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया, और बहुत ही अच्छा और जनतंत्रीय परम्पराओं के अनुसार आश्वासन दिया कि वे स्वयं इसकी जांच करेंगे। मैं समझता हूं उन्होंने इसकी जांच की होगी। और मैं इस बात की दरखास्त करूंगा, उस जांच का जो भी परिणाम हो, यद्यपि इस हाउस में एक दफ़ा यह बात कह दी गई कि वे सब निर्दोष हैं, बहुत खुशी की बात है कि वे निर्दोष पाये गये, मगर कुछ उसके थोड़े मोटे-मोटे फैक्ट्स हमारे सामने आने चाहियें कि उनके ऊपर क्या चार्जेज थे, क्या संदेह थे और किस एवीडेंस के ऊपर हम यह कह सकते हैं कि वे निर्दोष हैं। इससे जनता की सरकारी कर्मचारियों के प्रति आस्था भी बढ़ेगी और सरकार के प्रति भी।

मैंने अखबारों में पढ़ा, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि सिंचाई विभाग ने भी अपने यहां कई इनक्वायरी कमेटीज इस बात की बैठायी हैं कि फलां-फलां काम में इतना ज्यादा क्यों खर्च हुआ, गंगा सेन्टीनरी तथा अर्जुन सपरार व माता टीला बांधों पर इतना ज्यादा क्यों खर्च हुआ। मैं समझता हूं और भी विभागों में यदि ऐसी शिकायतें हों, या जिन विभागों के बारे में शिकायतें आयी हों, तो सरकार को बिना किसी संकोच के उन विभागों के काम को देखने के लिये कमेटी बना देनी चाहिये, और उनकी जांच होनी चाहिये। मिसाल के तौर पर हमने नेशनल हेराल्ड में पढ़ा, उसमें कुछ गड़बड़ी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में दी थी। उससे ऐसा मुझको महसूस हुआ कि हमारे यहां जेनरेशन कम है, कास्ट आफ प्रोडक्शन अधिक है, और भी कई तरह के डिफ़ेक्ट्स हैं, खटीमा के अन्दर काम ठीक नहीं चल रहा है। मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री जी अपनी कोई एक पावरफुल कमेटी बैठा दें जो इस बात की जाँच करे कि वाकई हमारे यहां कोई कमी है या नहीं, अगर कमी है तो उसको कैसे दूर किया जाय। ऐसा करने से तमाम जनता के अन्दर विश्वास पैदा होगा, सरकार में आस्था पैदा होगी, और सरकारी कर्मचारियों की भी मान मर्यादा बढ़ेगी।

मान्यवर, आज आजादी को मिले १० साल हुये, मगर हम देखते हैं कि अभी तक जो जन-प्रतिनिधि हैं उन को जो मान मर्यादा मिलनी चाहिये मुझे उसमें कमी दिखाई पड़ती है। और खास कर मुझे इस पर ताज्जुब होता है, हालांकि मेरे ऊपर ऐसी नहीं बीती, कि जनप्रतिनिधियों को सरकारी फंकशन्स में पीछे फेंक दिया जाता है और सरकारी कर्मचारियों को आगे स्थान दिया जाता है। आज मैं इस हाउस में इस बात की मांग पेश करता हूं कि हमारे इस प्रदेश के लिये वारेन्ट आफ प्रीसीडेंस बनना चाहिये। हम देखते हैं कि सूचना विभाग में फंकशन्स होते हैं, उन फंकशंस में मेरा अपनी जानकारी है कि सातवीं और आठवीं कतार में असेम्बली और काउन्सिल के मेम्बर्स को बैठाया जाता है और मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरीज, पी० एज को पहली या दूसरी लाइन में स्थान दिया जाता है। मुझे इस बात की शिकायत है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द वारेन्ट आफ प्रीसीडेंस बनना चाहिये।

दो बातें और कहूंगा। पहली यह है कि जो इमारतें हम खरीदते हैं, अच्छी बात है अगर हमको सस्ती मिलें, जरूर खरीदें। मगर मैं समझता हूं इमारतें खरीदने से पहला उनका अच्छी तरह से वैल्यूएशन हो और उसके बाद हम खरीदें। क्योंकि आजकल मनी मार्केट इतना टाइट है कि कोई भी आदमी बड़ी-बड़ी इमारतें नहीं खरीदता है इसलिये गवर्नमेंट को उसका फायदा उठाना चाहिये और उन इमारतों को सस्ते दामों पर खरीदना चाहिये बड़ी-बड़ी कीमतों पर इमारतें खरीदना ठीक नहीं।

[श्री नवलकिशोर]

एक शब्द और कहूंगा मान्यवर, प्रायरिटीज जो हमारे यहां फिक्स होती हैं, उनके अन्दर भी देख भाल की आवश्यकता है। कि जिस प्रोजेक्ट को पहिले लें और किसको बाद में, इसमें काफी ऐतिहात की जरूरत है। और अंत में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपील की उसी को मैं दुहराना चाहूंगा। चाहे सरकारी कर्मचारी हों या कोई भी हों, सब में कमियां हैं, हमारी सरकार में भी कमी है और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसमें कमियां न हों और आयन्दा जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी कमियां हो सकती हैं। हम सब इस बात की कोशिश करें, चाहे हमारे कांग्रेसी भाई हों या विरोधी भाई हों सब ऐसी कोशिश करें कि पारस्परिक सहयोग की भावनाएं पैदा हों! जिससे हमारी योजनायें सफल हों और हमारे यहां समाजवाद की स्थापना हो सके।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य का बजट वह दर्पण है जिसमें उस राज्य के आर्थिक ढांचे को, उसके संचालकों की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब को देख सकते हैं। यदि इस कसौटी से हम देखें तो जहां हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस बजट में भी बहुत कुछ और होने की सम्भावना हो सकती है वहां इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जो व्यवस्था इसमें है उससे हमारे प्रदेश का कल्याण अवश्यमेव होगा और उससे हम संतोष ही नहीं वरन् उस पर गर्व भी कर सकते हैं।

श्रीमन्, कल परसों जब मैंने पहली बार इस बजट को देखा तो मेरी प्रतिक्रिया यह हुई कि यह बजट कलरलेस रूटीन बजट है और आज भी मैं इसको ऐसा ही समझता हूं। लेकिन श्रीमन्, अगर हम गौर से देखें कि जिन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उनमें इसका कलरलेस होना स्वाभाविक है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। पंचवर्षीय योजनायें, उनके टारगेट और स्कोप हमको भलीभांति मालूम हैं और स्वाभाविक भी है कि जब तक पंचवर्षीय योजनाओं में से गुजरेंगे तो हर साल हमारा ऐसा ही बजट आयेगा और इस वर्ष का ही नहीं बल्कि आगे भी हमें इसके लिये तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निवेदन करूंगा कि कल जब मैंने सदन में माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुना तो वह मुझे इस बजट से भी कहीं अधिक कलरलेस दिखाई दिया, जिसका कारण मैं नहीं समझ सका।

श्रीमन्, जनतांत्रिक ढांचे का सारा दायित्व शासन का ही नहीं होता, उसका काफी बोझ विरोधी पार्टियों के ऊपर भी होता है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा, समय की परिधि इजाजत नहीं देती कि मैं उसका संकेतमात्र में भी जिक्र कर सकूं लेकिन फिर भी इतना कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि उनका दायित्व केवल इतना कह देने से समाप्त नहीं हो सकता है। दो पुस्तकों के आंकड़े देख कर उनमें विरोधाभास की बात देख कर यह आक्षेप करके समाप्त कर दें कि प्रदेश की उपज घटी है, प्रदेश की पैदावार अन्न की कम हुई है।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि अगर किसी अदालत में एक न्यायाधीश है, उसका सुना हुआ मुकद्दमा है, लेकिन उसकी मजबूरी है और एवीडेंस ऐक्ट मजबूर करता है चाहे न्यायाधीश को कुछ भी मालूमात हों लेकिन फैक्ट्स आन रिकार्ड पर ही वह अपना जजमेंट दे सकता है। अगर इन मजबूरियों में कोई ऐसा फैसला दे जो कागजात पर आश्रित हो तब तो मैं समझ सकता हूं लेकिन नेता विरोधी दल का ऐसा फैसला मेरी समझ में नहीं आया। श्रीमन्, इन आंकड़ों के जाल में पड़ने के बजाय अच्छा होता यदि वह पृथ्वी के चलते इंसानों को देखते, यदि वह निगाह डालते। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि यदि वह इस बात को देखते कि हमारे प्रदेश में कहा जाता है कि अनाज की पैदावार कम हो गई है, करोड़ों रुपये का अनाज बाहर से आता था, उस वक्त भी हमको भर पेट अनाज नहीं मिल रहा था। आज वह अनाज आना बन्द हो गया फिर भी जिस मात्रा में हमको पहले अनाज मिलता था उससे ज्यादा मिलता है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? अगर पैदावार बढ़ी नहीं तो क्या किसी तिलस्म से ऐसी स्थिति पैदा हो गई?

कहा जाता है कि पर-कैपिटा इन्कम बढ़ी नहीं। यह ठीक है कि अरबन एरियाज में किसी मात्रा में वह घटी है, लेकिन भारत की आत्मा तो गांवों में रहती है और गांवों में पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है।

कुछ सदस्य—नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल— आप के गांव में न बढ़ी हो। मैं, श्रीमन्, आपके सामने इस बात की जांच करने की कि वास्तव में आय बढ़ी या नहीं एक कसौटी रखता हूं। आंकड़ों और किताबों को छोड़िये, आप देखिये कि दस वर्ष पहले एक किसान कितना कर्जदार था और आज उसके कर्जे की हालत क्या है। वह पहले से घटा है या बढ़ा है।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)— आप के गांव से महाजन गायब हो गये?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष— अगर आप को कोई बात पसन्द न आती हो और उसके लिये अगर बहुत से सदस्य टोकेंगे तो वे बोल नहीं सकेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल— श्रीमन्, अच्छी बात जरा कड़वी लगती है, लेकिन सुनने की क्षमता अगर न रहे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)— आप की बात गौर से सुनने लायक है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल— मैं यह कहता हूं कि अगर उसकी इंडेटेडनेस को आप आंकना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप यह जांच लें कि दस साल पहले गांव के लोगों पर कितने मुकदमें अदालतों में दायर होते थे कर्जे के विषय में और आज कितने होते हैं, यह एक मोटी सी कसौटी हो सकती है। अगर आप दूसरी तरह से देखना चाहते हैं कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है या घटी है तो देखिये कि दस साल पहले जब शहरों में किसान आता था तो कितनी परचेज कर सकता था और आज कितनी कर सकता है। ये मोटे तरीक़े हैं जिनसे आप उनकी परचेज शक्ति और इंडेटेडनेस को देख सकते हैं। इन चीजों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि गांव के लोगों की इन्कम बढ़ी है।

मुझे तो माननीय विरोधी दल के नेता की स्पीच सुन कर ऐसा लगता था कि जिन व्यक्तियों के हाथ में प्रदेश की ७ करोड़ जनता ने राज्य की व्यवस्था दी है उनकी न तो यह इच्छा है कि देश का कल्याण हो और न उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जिसका कल्याण-कारी परिणाम हुआ हो। जब आज हम एक निर्माण के युग से गुजर रहे हैं ऐसे समय ऐसा वातावरण पैदा करना प्रदेश के लिये हितकर नहीं हो सकता।

श्रीमन्, इसके बाद माननीय लारी जी ने अपने कल के भाषण में एक बात का बड़ा आक्षेप किया। उन्होंने कहा कि सन् १९३७ में १२ करोड़ का व्यय था वह आज सन् १९५७ में ११२ करोड़ का हो गया। मैं तो स्तम्भित रह गया। यह तो वह बात थी जिस पर सरकार को उन्हें मुबारकबाद देना चाहिये था। एकानामिक्स की जो छोटी-छोटी शुरू की किताबें मैंने पढ़ीं उनमें तो यही देखा कि किसी राज्य की उन्नति की द्योतक उस की व्यय करने की क्षमता होती है। यदि व्यय बढ़ता है तो आय तो स्वतः बढ़ती ही है। तो यदि ११२ करोड़ का व्यय हो गया तो आय भी तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ी। यह तो वह विषय था जिस पर कदाचित् उन्हें बधाई देनी चाहिये थी।

श्रीमन्, अब मैं एक बात का और जिक्र कर दूं। इस बजट में एक रिलीविंग फैक्टर जो दिखायी पड़ा वह यह था कि ऐसे काल में जबकि प्लान के लिये ज्यादा रुपये की आवश्यकता थी, जब कि प्रदेश की जनता इस आवश्यकता को अपने सामने रखे हुये थी कि नये

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

टैक्स लगेंगे किन्तु नये टैक्स नहीं लगे। यह इस सदन के लिये मामूली बात नहीं थी। मैं आशा करता था कि माननीय विरोधी दल के नेता अगर और किसी बात के लिये वित्त मंत्री को धन्यवाद नहीं दे सकते थे तो कदाचित् इसके लिये धन्यवाद देते लेकिन यह उनकी इच्छा की बात थी। अब मैं उन बातों को छोड़ते हुये केवल कुछ अपने सुझाव पेश करने का प्रयत्न करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जो हमारे टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें केवल एक बात की ओर खासतौर पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाता हूं। आज हम लोगों को यह देखने की आवश्यकता है कि इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन समाज के किस वर्ग पर ज्यादा पड़ता है। आज यदि हम इस बात के जानने का प्रयत्न करें तो हमें कुछ पता नहीं चलता है। हमारे पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिससे हम यह जान सकें कि किस वर्ग पर क्या और कितना इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन पड़ता है और न यही हमें पता है कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेन्डिचर है उससे किस वर्ग को कितने प्रतिशत फायदा मिलता है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि पहले इस बात की जांच की जाय कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेन्डिचर है उससे कौन सा वर्ग कितना ज्यादा फायदा उठाता है और उस पर इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन का उतना अनुपात है या नहीं। मेरी अपनी धारणा यह है कि हमारी नीति का बेसिक प्रिन्सिपल यह हो कि उस वर्ग पर जिनकी क्षमता कम है और जिनकी आय कम है उन पर इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन कम रखें और उन वर्गों पर जिनकी आय ज्यादा है, इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन अधिक रखें। श्रीमन्, इस विषय में हमारे प्रदेश में १९२४—२५ में पहली बार टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी। उसने थोड़ा सा ध्यान इस पर दिया था लेकिन वह करीब-करीब नहीं के बराबर था। उसके बाद सन् १९४६—४७ में देशपांडे कमेटी बैठी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर फेमिली इन्क्वायरी कमेटी केन्द्रीय सरकार ने बिठाई लेकिन वह कोई भी सक्रिय सुझाव इस विषय में नहीं दे सकी। उसके बाद टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन सन् १९५२—५३ में बैठा लेकिन वह भी अपनी राय नहीं दे सका। श्रीमन्, आज के आंकड़े जो मैंने देखे उसके आधार पर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज पोजिशन यह है कि १०० रुपये महीने तक जिनकी आय है उनके ऊपर इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन का भार ७.८ परसेन्ट पड़ता है जिनकी आमदनी २ हजार रुपये है उन पर इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन का भार ३.९ प्रतिशत पड़ता है। तो यह बड़ी भयंकर स्थिति है एक तरह से। माननीय मन्त्री जी इसको कंसीडर करने की कृपा करें। अगर यह बात सही है तो यह बड़ी चिन्ता की बात होगी। इसके मायने यह हैं कि जिस शख्स को सब से ज्यादा फायदा कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलता है उस पर टैक्स का भार कम है और जिनको सब से कम फायदा मिलता है उन पर इन्सिडेन्स आफ टैक्सेशन का भार बहुत ज्यादा है। अगर मेरे इस बुनियादी उसूल को माननीय वित्त मंत्री जी स्वीकार करें तो जो बहुत सी मांगें जनता की हैं वह सब हल हो जाती हैं। गल्ले पर जो सेल्स-टैक्स मिलता है जिसके लिये प्रान्त में समय-समय पर आवाज उठती रही है, वह एक एसेन्शियल कमोडिटी है जो गरीब से गरीब आदमी खाता है उस पर औसत ज्यादा रहता है। श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दिये जायं...

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो आप अपना भाषण सवा दो बजे जारी रखिएगा। आप को ५ मिनट और मिल जायंगे।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में बुनियादी कमी यह है कि इसका इंसिडेंस उस वर्ग पर अधिक पड़ता है कि जिसकी क्षमता कम है, जिसको राज्य के व्यय का लाभ कम पहुंचता है और

उस वर्ग पर टैक्स का कम इंसिडेंस पड़ता है जिसकी क्षमता अधिक है और जिसे राज्य के व्यय का अधिक फायदा पहुंचता है। तो इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाय तो स्वतः ऐसी मांगें जो समय-समय पर जनता करती रही है, जैसे गल्ले पर सेल्स टैक्स दूर करना, वह खत्म हो जायंगी। गल्ला ऐसी चीज है कि जिसके कारण गरीब से गरीब आदमी पर भी टैक्स का बोझ पड़ता है। माननीय वित्त मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनकी इस घोषणा का कि वे उस दिन का स्वागत करेंगे कि जिस दिन गल्ले पर सेल्स टैक्स छूट सके, मैं केवल यही प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में ऐसा ही यत्न हो कि उस अपार्चुनिटी को जल्दी से जल्दी पाने का यत्न किया जाय।

श्रीमन्, इसके बाद एक दो बातों का मैं संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं। एजूकेशन के क्षेत्र में मैं आज समझता हूं कि वह समय आ चुका कि जब वे क्रान्तिकारी कदम उठाये जायें कि जिनकी समय-समय पर हमारे देश के नेता और देश के प्रवर्तक अपने भाषणों में, अपने कंवोकेशन एड्रेसेज में और दीक्षाओं में घोषणा करते रहे हैं और बातों को छोड़ते हुए मैं केवल एक बात का जिक्र इस समय करना चाहूंगा क्योंकि उसका सीधा सम्बन्ध बजट से है। मैं आशा करता हूं कि जो गत वर्ष घोषणा इस सदन में हुई थी उसी के आधार पर कदाचित् सरकार कक्षा ७ और ८ या कम से कम कक्षा ७ तक की शिक्षा को निःशुल्क घोषित करेगी। मैं यह भी आशा करता था कि जिस प्रकार पिछले वर्ष ९ वें दर्जे में पढ़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा दिलाने का वचन दिया गया था उसकी नेसेसरी कोरोलरी के रूप में, उसके लाजिकल सीक्वेंस के रूप में सरकार कक्षा ७ और ८ के बच्चों के लिये भी उस प्रकार की घोषणा करेगी, जिसका संकेत पिछले वर्ष ही मिला था। किन्तु इन दो घोषणाओं के न होने से कुछ निराशा हुई।

श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता था कि मेरा कितना समय बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—आपके दो मिनट बाकी हैं। १५ मिनट आप पहले बोल चुके थे और ३ मिनट इस समय बोल चुके हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—तो मैं यह कह रहा था कि एजूकेशन को हाइएस्ट प्राइरिटी मिलनी चाहिये।

इसके बाद नेता विरोधी दल ने एक बात काटेज इंडस्ट्री के सम्बन्ध में कही थी। उन्होंने कहा था कि जहां पर काटेज इंडस्ट्री हों वहीं सरकार उनको डेवलप करने का यत्न करे और चूंकि सरकार ने ऐसा नहीं किया लिहाजा सरकार ने जो कुछ किया उन सब पर उन्होंने काले ब्रुश का पेंट कर दिया। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह अप्रोच बिलकुल गलत है। मेरी निश्चित धारणा है अपने अनुभव के आधार पर कि सरकार को यह करना चाहिये कि जो काटेज इंडस्ट्री मौजूद हैं, जो पिछली परम्पराओं से पनपी हैं, पहले उनका सुधार किया जाय, उनको डेवलप किया जाय, उनका विकास किया जाय। उसके बाद नई जगहों पर, जहां इंडस्ट्रीज नहीं हैं, उनको बनाने का प्रयोग किया जाय।

नेशनलाइजेशन की बात अपनी जगह पर ठीक है लेकिन इस समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पहला कदम बिजली कम्पनीज की तरफ से होना चाहिये। मार्टिन की या दूसरी कम्पनीज अपनी पावर्स का काफी दुरुपयोग कर रही हैं जिससे जनता को असुविधा होती है।

एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपेरेशन की बात समय-समय पर सदन में आती रही है और अफसोस होता है कि जो घोषणायें हमने की थीं उन पर हम ध्यान नहीं

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

दे पाते हैं। आज समय आ गया है कि इधर अधिक सक्रिय ध्यान देना चाहिये। जुडिश्यरी प्रजातंत्र की बड़ी भारी देन है और जनता में विश्वास कायम रखने के लिये आवश्यक है कि जुडिश्यरी स्वतंत्र हो और वह हाई कोर्ट के अन्तर्गत हो। उसका एग्जीक्यूटिव से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। इस समय की जुडिश्यरी के नाम के पहले अवश्य विशेषण जुडिश्यरी है मगर उनके एग्जीक्यूटिव के अधीन होने से उनमें स्वतंत्रता की परम्परायें नहीं आ सकती हैं। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने सन् १९५८-५९ का बजट माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है जो करीब ११३ करोड़ रुपया का है। रुपया तो यह मंजूर हो जायगा ही, यदि १ रुपये की कटौती पेश की जायगी तो वह भी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन हमें यह देखना है कि कहीं रुपये का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। रुपया जनता का है, किसी के घर का नहीं है, सरकार इसे जनता के हित में खर्च करने के लिये हमसे लेती है। हमारी सरकारी बेंचों के बैठने वाले लोग टीका-टिप्पणी करते हैं। मैं कहता हूं कि विरोधी पक्ष का तो काम केवल आलोचना करना रह गया है। इसलिये आलोचना करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तो अच्छे हैं मगर उनमें बहुत सी खराबियां पैदा हो गई हैं। उसके अमली रूप में जिसे हम सब स्वीकार करते हैं, जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जैसी कि हमारे सामने लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट है, उसमें क़रीब ४१ करोड़ रुपये की तरफ़ उन्होंने ध्यान दिलाया है। कुछ रुपया तो पुरानी अंग्रेज़ी सरकार के जमाने का है और बाक़ी करीब ४० करोड़ के इस सरकार के जमाने का इतने अनुचित तरीके से खर्च किया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप टैक्स लगाने की १ करोड़ या २ करोड़ की बात करते हैं लेकिन इतना अधिक रुपया पानी की तरह बहा दिया गया जिसका कहीं हिसाब-किताब नहीं है। इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि फ़जूलखर्ची को आप रोकिये इससे जनता में आपके प्रति विश्वास पैदा होगा।

सिंचाई विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। भदोही में सिंचाई विभाग की तरफ से एक विद्युतगृह का निर्माण हुआ है जिसमें लाखों रुपये का गबन हुआ है और मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के पास भी इसकी शिकायतें पहुंची होंगी। इसलिये मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इन बातों का वह पता लगावें। वहां मेजरमेंट बुक को गायब कर दिया गया है जिससे लाखों रुपयों की क्षति हुई है। इसी आडिट लेखा रिपोर्ट में काफ़ी गड़बड़ी लिखी है।

हमारे जगदीशशरण जी ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ गई है। इसे सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों की आमदनी घटी है। तो हम किस पर विश्वास करें? सरकारी विभागों की ओर से ही तो यह रिपोर्ट आई है। सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी जाती है कि आबादी बढ़ गई है। हम सभी मानते हैं कि हमारा सूबा कृषि प्रधान है और ८० फ़ीसदी लोग यहां किसान हैं। हमारे प्रधान मंत्री और सहकारी मंत्री कहते हैं कि सहकारी ढंग से खेती हो, माल मंत्री जी तो इसके विरुद्ध हैं, तो हम किस पर विश्वास करें? माल मंत्री जी ने सीरदारी का कानून बनाया और ढिंढोरा पीट दिया कि बिना खूनखराबी के हमने जमीन का बटवारा कर दिया। उन्होंने कहा कि २४ लाख किसानों को मालिक बना दिया, लेकिन उसमें से २२ लाख का इस्तीफा हो गया, जिसको माल मंत्री जानते हैं। हम देखते हैं कि जो खेती करते हैं, जिनके जरिये सूबे की पैदावार बढ़ सकती है आज उनके हाथ में खेत नहीं हैं। इस असलियत को सरकार स्वीकार करे। हमारे सूबे के लगभग २२ फ़ीसदी लोग ऐसे हैं जिनके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। उनके लिये आपने कौनसा प्रबन्ध किया है? उलटे सीरदारी का कानून

बनाकर सरकार ने उनकी जमीन भी छिनवा दी। इसकी वजह से हमारे समाज के रीढ़ की हालत दिनोंदिन गिरती जा रही है। आबादी तो अपनी जगह पर बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आमदनी घट रही है। आमदनी घटने के मुख्य कारण यह भी हैं कि चीजों के भावों में असमानता है। इसे हल करने के लिये सरकार ने कौनसी अब तक योजना बनाई है? हम तो कहते हैं कि बंटवारा और हदबन्दी कीजिये तो माल मंत्री कहते हैं कि जमीन नहीं है। हम कहते हैं कि जितनी ही जमीन है, ४ लाख, ६ लाख एकड़, उसे जमीन वालों को दे दीजिये। मैं कहता हूं कि जमीन का आधा हिस्सा तो केवल ४,५ फ़ीसदी लोगों के हाथ में है, इसी वजह से हमारा सारा रोजी रोजगार चौपट हो रहा है और प्रदेश की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे किसानों की समस्या को हल करें, जमीन की समस्या को हल करें। जब तक जमीन की समस्या हल न होगी तब तक कोई समस्या हमारे सूबे की हल होने वाली नहीं है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--केरल में क्या हुआ है?

श्री ऊदल--केरल की बात केरल वाले जानें, उसका जवाब वे देंगे। माल मंत्री जी, वहां हदबंदी हो रही है, ७।। लाख एकड़ जमीन का बटवारा हुआ। लगान भी वहां पर कम हुआ है। पहले कांग्रेसी लोग कहते थे और सभी लोग कहते थे कि लगान को कम कर देंगे, लेकिन मैं माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना पैसा लगान किसानों का कम किया है। आपने जो जमीन की हदबंदी और लगान को कम करने का प्रस्ताव पास किया था, उसका क्या हुआ? जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने कहा, केवल नाम लेने से समाजवाद आने वाला नहीं है, केवल समाजवाद का लक्ष्य मान लेने से समाजवाद आने वाला नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि अमीर ज्यादा अमीर हो गया और गरीब ज्यादा गरीब हो गया है फिर आपका यह समाजवाद का लक्ष्य कैसा है? जितना जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि व्यवस्था ठीक चल रही है।

इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि चोरी बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, लूट भी बढ़ी है और कत्ल भी बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का यही समाजवादी लक्ष्य है? गरीबी भी बढ़ी है और जब गरीबी बढ़ती है तो चोरी, डकैती और कत्ल भी बढ़ते हैं।

मेरा बड़ा सौभाग्य है, स्वशासन मंत्री बैठे हुये हैं। बनारस में नगर विकास योजना चलायी गई है। वहां की हालत बड़ी खराब हो गयी है। जिनके पास खेती थी, उनसे खेती ले ली गयी है। न उनके पास खेती है, न उनके पास मकान है और आपकी यह योजना चल रही है, नगर विकास योजना। मैं कहता हूं कि आप योजनायें बनायें, उन योजनाओं में हम आपका साथ देंगे लेकिन जिस तरह से वे लागू होती हैं, उनसे जनता का बहुत ही नुकसान होता है। आज इंसान मजबूर हो गया है, न उसका रहने का कोई ठिकाना है और न उसके पास कोई जमीन ही है। यह हालत सारे राज्य के अन्दर ही है और कहा जाता है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है।

पहले सरकार अपने अफसरों को ठीक करे और जनता के साथ उनकी कितनी हमदर्दी है, यह पूछे और देखें। सरकारें तो आया-जाया करती हैं, लेकिन हर सरकार के सामने यही जनता आयेगी। जिस जनता का पैसा है वह न हाफिज जी के घर का है, न मेरा है और न किसी और का है। जनता ने उसको खर्च करने की जिम्मेदारी आपको दे दी है। आप उस पैसे को इस तरह से खर्च कीजिये कि उसके एक-एक पैसे का सदुपयोग हो सके।

[श्री ऊदल]

सरकार की व्यवस्था का पता तो इससे ही लग जाता है कि हमने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था। वाराणसी के एक किसनदास उर्फ बच्चा बाबू थे उनको मार दिया गया, उसका जवाब मांगा गया था लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया। फिर आप कहते हैं कि हमारी पुलिस का काम अच्छा चल रहा है। आपकी पुलिस का काम इतना अच्छा जरूर है कि उसका सारा काम दफा १०७, ११७, १०९, ११० और १४५ चलाने का ही हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं भी तरक्की नहीं हो रही है।

श्रीमन्, आजकल सूबे में पिछड़े वर्ग वालों की हवा बड़े जोरों पर है। इस राज्य के अन्दर पिछड़े वर्ग वालों की इतनी उपेक्षा की जा रही है कि न तो उनको नौकरियों में जगह है, न कहीं और ही जगह है, न ठीक से पढ़ने-लिखने का इन्तजाम है। यानी यह सरकार उनको हर तरह से उपेक्षा की दृष्टि से ही देख रही है। इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जो वातावरण सूबे के अन्दर पैदा हो रहा है उसकी तरफ वह ध्यान दे।

जहां तक शिक्षा की प्रगति की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, मैं कई स्कूलों में गया हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष---श्री इस्तफ़ा हुसेन जी मौजूद हैं।

श्री ऊदल---ठीक है श्रीमन्, मैंने कई स्कूलों में देखा, मैं नाम भी ले सकता हूं, धौकलगंज स्कूल जो बनारस में परगना पन्द्रह में है, इसके अलावा और भी स्कूल हैं जहां तीन तीन सौ लड़के पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिये टाट भी नहीं हैं। तीन सौ लड़कों के बीच में तीन टाट हैं, ५ मास्टरों के बीच में दो टूटी हुई कुर्सियां हैं, जो मास्टर लोग अपने घर से ही लाये हैं, अंग्रेजों के जमाने में जो मकान बने हुये थे, वे आज खंडहर की हालत में दिखलायी पड़ते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेढ़ी लिपि हिन्दी में चली थी जिसको तीन साल तक बच्चों ने पढ़ा, उसमें फिर कुछ संशोधन किया गया है और अब पहले वाली लिपि ही पढ़ायी जायगी। इस तरह से यह सरकार हिन्दी के मामले में बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आधी टांग और पूरी टांग वाली जो लिपि है यह तो मेरी समझ में भी नहीं आती। अभी माननीय मंत्री जी ने किसी दिन एक माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में बतलाया था कि १५ लाख रुपये की किताबों को रद्द करके फिर से पुरानी लिपि में किताबें छापी जा रही हैं, अब पुरानी लिपि में ही पढ़ाई होगी। तो मैं कहता हूं कि सरकार इस तरह से बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करे और जहां तक हो सके शिक्षा की प्रगति की तरफ ध्यान दे, स्कूलों की बिल्डिंग्स और मास्टरों की तनख्वाह की तरफ ध्यान दे। खासतौर से मैं प्राइमरी स्कूल के मास्टरों की बात कहता हूं। क्योंकि वे ही ज्यादा परेशान हैं। कुछ दिन पहले प्राइमरी के मास्टरों ने यहां प्रदर्शन भी किया था और बिल्ला लगाया था कि भूखा मास्टर। तब सरकार ने उन भूखे मास्टरों को पकड़ पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया था। तो मैं विशेष रूप से प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल के मास्टरों के लिये ही कहता हूं जिनकी तनख्वाह ३५ रुपये और ४० रुपये है, उनकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और श्रीमन्, आपके द्वारा मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से फिर दोबारा अपील करता हूं कि जो अपव्यय हो रहा है उसको आप रोकने की कृपा करें ताकि जनता के एक एक पैसे का सदुपयोग हो सके।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, इसको देखने से मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं कि यह बजट यथास्थितवाद गरीबी और भुखमरी को कायम रखने वाला बजट है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मेरी राय से, जो लोग बजट को पढ़े होंगे, वे सहमत होंगे कि वाकई में इसको आकस्मिक बजट भी कहा जा सकता है। आकस्मिक से मतलब कंटिंजेंसी फंड से है। अगर देखा इस बजट में मूल खर्च के लिये जितना रुपया रखा गया है, किसी किसी आइटम में उस से ज्यादा रुपया आकस्मिक खर्च के लिये रखा गया है। जाय तो अगर इस सारे के सारे बजट को आकस्मिक कहा जाय तो ज्यादा अच्छा है। अब 'आकस्मिक,का मतलब माननीय सदस्य आकाश या पाताल कुछ भी समझें यह तो मैं उन की और माननीय वित्त मंत्री जी की बुद्धि पर छोड़ता हूं। जब हम इस बजट को आकस्मिक कहते हैं तो हम बताना चाहते हैं कि यह किस किस्म का बजट है। यह बजट गरीबी और भुखमरी को कायम रखने वाला है और अब तक जिस तरह से लूट खसोट जारी थी वह इस बजट के द्वारा आगे भी जारी रहेगी और इस से तनिक भी बुनियादी परिवर्तन नहीं हो सकता।

जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरे लिये इस का आधार भी सदन में प्रस्तुत करना कर्त्तव्य हो जाता है। इस बजट को सोशलिस्ट बजट या सोशलिस्ट प्रकार का समाज बनाने वाला बजट कैसे कहा जा सकता है? हमारी दिक्कत यह है कि पहले जब समाजवाद की चर्चा होती थी तो कुछ लोग फ्यूडल समाजवाद की चर्चा करते थे, कुछ लोग मेकेनिकल समाजवाद की चर्चा करते थे, कुछ लोग साइन्टिफिक समाजवाद की चर्चा करते थे, लेकिन अब जब समाजवाद पर चर्चा हो तो होना चाहिये कि कांग्रेस का समाजवाद, सोशलिस्ट पार्टी का समाजवाद, कम्यूनिस्ट पार्टी का समाजवाद? इन सब में अन्तर है। अगर यह बजट कांग्रेस पार्टी के समाजवाद का सच्चा द्योतक है तो कांग्रेस सरकार के समाजवाद का मतलब है कि वह समाजवाद जिस में भ्रष्टाचार बढ़े, वह समाजवाद जिस में बेकारी बढ़े, वह समाजवाद जिसमें कुनबा परस्ती बढ़े, वह समाजवाद जिस में डाके बढ़ें, वह समाजवाद जिसमें कत्ल अधिक हों, वह समाजवाद जिस में गरीबों पर कर का बोझ अधिक पड़े और अमीरों पर कर का भार कम पड़े। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। इसलिये मैं कहूंगा कि वह अपने इस समाजवाद को महज सोशलिस्ट पेटर्न न कहा करें बल्कि कांग्रेस सोशलिस्ट पेटर्न कहा करें तो किसी को बुद्धि विभ्रम न होगा और समाजवाद शब्द के साथ बलात्कार न होगा। उसका प्रयोग ठीक होगा। आप सूरज को चांद कहें, चार आना को रुपया मानें, हठवादिता करें तो उसको हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इस बजट के प्रकार को भी समाजवादी कहना, समाजवाद, शब्द के साथ बलात्कार है।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कल जो अपना भाषण किया था, मुझे अब पता नहीं किस की लायकी से बजट के उनके भाषण को सुनने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उनके भाषणों पर जो आपत्तियां कांग्रेस की ओर से हुई हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह लोग बहुत ही गुमराह हैं,। बहुत सी बातें माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने समय की कमी के कारण कहने से छोड़ दीं, उनके लिये वह जो चाहें कहें। मैं माननीय नवल किशोर जी को और उन रईस बरली को जो अभी अपना भाषण दे चुके हैं माननीय जगदीश शरण जी, उनको मैं कुछ आंकड़े पढ़कर सुना दूंगा कि किस तरह से इस सरकार के द्वारा यू० पी० की जनता की दयनीय दशा की जा रही है। बजट का जो स्मृतिपत्र है उसको सम्मानित सदस्य जरा निकाल लें और उस के पृष्ठ १२६ पर देखें, उसमें विवरण पत्र दिया है जिसमें राज्य की कुल ऋण-ग्रस्तता दिखाई गई है, राज्य पर कितना ऋण है और कितनी असेट्स हैं, आप इन आंकड़ों से देखें कि आर्थिक दशा दिन बदिन गिरती जा रही है या सुदृढ़ होती जा रही है। यह हजार रुपयों में दिया हुआ है, ३,२८,३८,४६,००० रु०। यह ३१-३-५९ के बजट के शेष के लिये रखा गया है और इस को अगर इस तरह से जोड़ा जाय कि कितनी उनके पास असेट्स हैं तो जोड़ कर बता दूं उसमें पूर का पूरा आ जाता है। पृष्ठ १२८ पर नत्थी ३ में है कि २६,९३,८६,००० रुपया लाभार्थ लगाये हुये शेष में है और लाभार्थ न लगाये हुये शेष में है १३,५७,९४,००० रुपया। इसके अलावा अगर १९५८–५९ के तखमीनों को देखा जाय कि सरकारी नलकूपों का फार्म के अनुसार लेखा, उत्पादक और अनुत्पादक नहरों का फार्म के अनुसार लेखा और गंगा जल–विद्युत् योजनाओं

[श्री राजनारायण]

का फार्म के अनुसार लेखा और उसी के साथ कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन का फार्म के अनुसार लेखा, बस सर्विस का फार्म के अनुसार लेखा। इस सबमें सरकार का एसेट जोड़ लिया जाय और उसको जोड़ने के बाद सब घटा दिया जाय तो ११,०९,७०० हजार रुपया कर्ज की अदायगी के लिये कोई पूंजी नहीं है। कितना कर्ज लिया जाय और कितना उसके सामने ऐसेट है अगर इसको माननीय सदस्य देखेंगे अच्छी प्रकार से, तो यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जायगी कि ११,०९,७०० हजार कर्ज की अदायगी के लिए कोई पूंजी की गुंजाइश नहीं है। उसके सामने कोई ऐसेट नहीं है। यह कर्ज कहां से दिया जायगा? मुझे अफसोस है कि ट्रेजरी बेंचेज के जो माननीय सदस्य यहां पर बोले वह बोल कर चले गये। इस सवाल का जवाब उनकी ओर से आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---यहां पर मैं एक बात माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। नियमों की बात तो नहीं है, लेकिन यह पार्लियामेंटरी एह्वीकेट का प्रश्न है और हाउस आफ कामन्स में तो यह परम्परा चालू है कि जो माननीय सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा लें उन को पूरे उस वक्त तक सदन में रहना चाहिये। जब तक संबंधित विषय चलता रहे।

श्री राजनारायण---यह समय जरा हमारा छोड़ लिया जाय। पांच मिनट से ज्यादा आपने ले लिया। (हंसी) वह बोले और हम बैठे और फिर उठे। यों तो हमने पहले निवेदन नहीं किया समय के लिये मगर मैं समझता हूं कि जब जिसको पंदरह मिनट मिलने चाहिये उसको दस मिनट और मिल गये तो अगर हमको आध घंटा अलाटेड है तो आध घंटा और मिल जाना चाहिये।

इसी स्मृति-पत्र का पृष्ठ ३ खोल लें। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। पूंजी व्यय की मदों को देखें। जनस्वास्थ्य सुधार पर पूंजी लागत। यह जन स्वास्थ्य राजस्व में जाना चाहिये या पूंजी में आना चाहिये? फिर नागरिक निर्माण कार्य पर जो राजस्व से पूरे नहीं किये जाते हैं, क्यों नहीं राजस्व से पूरे किये जाते हैं, क्यों कैपिटल एक्सपेंडीचर में रखें? इसका उत्तर कोई समुचित होना चाहिये। कोई उत्तर नहीं है इसके बाद पेंशनों की संराशि का भुगतान। हमारे पास आमदनी न हो, और हम राजाओं और अन्य लोगों को पेंशन देते चले जायं, यह दीवालिये का बहीखाता है। इस तरह से भूलभुलैया करके सरकार की ओर से सारे आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जरा इसको खयाल करें और अगर वह देखेंगे तो मैं जरा और कुछ आंकड़े पढ़ दूं तो उनको मालूम हो जायगा कि जो यह कहे चले जा रहे हैं कि सरकार ने तमाम डेवलपमेन्ट में खर्च किया, यह फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है। इस कमीशन की रिपोर्ट में नान-डेवलपमेन्टल हेड्स के ऊपर उत्तर प्रदेश में कितना खर्च हुआ है और डेवलपमेन्ट हेड्स पर कितना खर्चा हुआ है इसका पूरा पूरा आंकड़ा हर साल का हिसाब लगाया जायगा तो नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर यहां पर ज्यादा होगा और डेवलपमेन्टल पर दिन प्रतिदिन कम होता चलता जायगा। नेता विरोधी दल ने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडीचर खर्च हो रहा है, डेवलपमेन्ट पर रुपया कम खर्च हो रहा है, इस पर किसी साहब को ऐतराज हुआ, तो उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिये।

राजस्व आय का बटवारा भी विकास योजनाओं पर कम और अन्य विभागों पर अत्यधिक उत्तर प्रदेश में रहा है। सन् १९५० से लेकर अब तक देखा जाय तो नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर अधिक खर्च बढ़ता गया है और अनुपाततः आर्थिक विकास योजनाओं परखर्च कम होता गया है। सन् १९५४-५५ तक का वास्तविक खर्चा इन तथ्यों को प्रकट करता है। सन् १९५०-५१ में नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर २७.२२ करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं पर, १३.४४ करोड़ रुपये, आर्थिक विकास पर ११.२८ करोड़ रुपये खर्च हुआ है। १९५१-५२ में नानडेवपमेन्टल हेड्स पर ३० करोड़ रुपया, सामाजिक सेवा पर १४.२२ करोड़ रुपया और विकास पर ११.२८ करोड़ रुपया खर्च हुआ। कितना परसेंटेज पड़ा? १९५२-५३ में ३७.२९ करोड़ रुपया, १५.०९

करोड़ रुपया और १२.४५ करोड़ रुपया उसी प्रकार से है। इसको भी उसी तरह से लेकर के देख लिया जाय। हर साल इसका क्रम उसी प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक कि सन् १९५३-५४ में ४३.८४ करोड़ रुपया तो नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर और १५.९७ करोड़ रुपया सामाजिक सेवा पर और १३.८१ करोड़ रुपया डेवलपमेन्टल हेड्स पर, १९५४-५५ में ४६.७२ करोड़ रुपया नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर, १७.१२ करोड़ रुपया सामाजिक सेवा पर और १७.२२करोड़ रुपया डेवलपमेन्टल हेड्स पर खर्च हुआ है। इस तरह से देखा जाय श्रीमन्, तो नित्य प्रति बराबर डेवलपमेन्टल हेड्स पर आमदनी कम होती चली जा रही है और दूसरे नान-डेवलपमेन्टल हेड्स पर इसका अनुपात दूना, डेढ़ गुना, तिगुना बढ़ता चला गया है।

सरकार की ओर से बहुत उत्तर दिया जाता है शिक्षा के बारे में। हम नहीं जाना चाहते इस समय अमेरिका में, हम नहीं जाना चाहते इस समय कैनाडा में, हम नहीं जाना चाहते इस समय रूस में जहां पर कि अशिक्षा को समाप्त कर दिया गया है। जब अशिक्षा और दवा का सवाल आता है तब यह सरकार रूस की नकल नहीं करना चाहती। मगर जब जबान बन्द करने की बात आती है, डंडा, लाठी, गोली चलाने की बात आती है तब यह सरकार कहती है कि रूस में होते तो जबान न खोल पाते। उसके लिये तो रूस की नकल करती है लेकिन रूस में जो फायदे हैं उसके मुताबिक जब कार्य करने की बात होती है तो शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को बालू में गाड़कर के नाचती है। शिक्षा का प्रतिशत देखा जाय, आन्ध्र में १५ प्रतिशत, आसाम में १८.१, बिहार में १२.२२, बम्बई में २४.६, मद्रास में २१.८, मध्यप्रदेश में १३.५, उड़ीसा में १५.८, पंजाब में १६.१ और उत्तर प्रदेश में १०.८ प्रतिशत। यह शिक्षा है।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवाओं पर सन् १९५०-५१ में प्रति व्यक्ति २.४ रुपया खर्च हुआ था, आसाम में सामाजिक सेवा पर प्रति व्यक्ति ३.१ रुपया खर्च हुआ। आसाम हमसे छोटा सूबा है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सेवा पर २.४ रुपया प्रति व्यक्ति खर्च हो और आसाम में ३.१ रुपया खर्च हो, बम्बई में ६ रुपया खर्च हो, मध्य प्रदेश में ३.३ रुपया, पंजाब में ३.१ रुपया, पश्चिमी बंगाल में ३.६ रुपया खर्च हो, हैदराबाद में ३.२ रुपया खर्च हो, मध्य भारत में ३.९ रुपया, मैसूर में ६.९ रुपया, पेप्सू में ३.५ रुपया, सौराष्ट्र में ५.२ और ट्रावनकोर कोचीन में ४.२ रुपया खर्च हो प्रति व्यक्ति सामाजिक सेवा पर और उत्तर प्रदेश में २.४ रुपया। तो उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्टल हेड्स को लेकर के देखें, सामाजिक सेवाओं को लेकर के देखें, दूसरे जो सूबे पिछड़े हुये हैं जहां की आर्थिक हालत यहां से भी खराब है वहां ज्यादा खर्च हो रहा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहा है नानडेवलपमेन्टल हेड्स पर। उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहा है पुलिस प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहा है सिविल प्रशासन पर। उसी तरह श्रीमन्, सिविल प्रशासकीय नौकरियों के खर्चे का औसत देखा जाय तो अन्य प्रान्तों से उत्तर प्रदेश में वह बहुत ज्यादा है। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिये मैं आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १९५२-५३ में आसाम में १६.७, मध्य प्रदेश में २३.१, बम्बई में २४.२, हैदराबाद में २०, मैसूर में २३ और ट्रावनकोर कोचीन में ११.४ और उत्तर प्रदेश २४.६। सबसे ज्यादा। यह प्रशासकीय नौकरियों के खर्चे का औसत है। तो कैसे मानें कि प्रदेश का विकास हो रहा है, किस माने में प्रदेश का विकास हो रहा है ?

अब मैं दूसरे तथ्यों पर आना चाहता हूं। अगर सही में प्रदेश के विकास को देखा जाय तो यह आंकड़े हमारे घर से नहीं आये, इस रपट में लिखे हैं। क्या यह रिपोर्ट गलत है ? लेखा परीक्षा, आडिट रिपोर्ट मेरे पास है इसमें ५,३९,०८,५२७ रुपया उद्योग, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी विभाग, सामुदायिक परियोजनाओं, कृषि, युद्धोत्तर योजनायें, इन सब में जितनी रकम है मिला करके यह रुपया खर्च हुआ जिसका कोई प्रमाण-पत्र मौजूद नहीं। अगर कोई कहे कि यह सारा रुपया हमारे सम्मानित मंत्रियों ने फफुआ ससुरों में लुटा दिया तो क्या गलत है ? कुछ लोग कहेंगे कि माननीय राजनारायण जी ने गलत

[श्री राजनारायण]

शब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन मैं तथ्यों को छिपाना नहीं चाहता, और अगर ऐसा करता हूं तो अपने कर्त्तव्य से च्युत होता हूं। आडिट रिपोर्ट कहती है ऐसे मामलों की कुल धन-राशि जिसके सम्बन्ध में उपयोग में लाये जाने के प्रमाण-पत्र नहीं हुये हैं नीचे दी जा रही है :

शिक्षा विभाग १,०३,६२,३१८ रु०, चिकित्सा विभाग १,६७,१९,०१८ रु०, जन स्वास्थ्य ५,२५,१३४ रु०, उद्योग का है १७,१३,११७ रु०, ये सारी की सारी फीगर्स हैं। क्या इसको बजट कहा जायगा ? मैं जानना चाहता हूं किसी दूसरे से नहीं माननीय चरणसिंह जी से, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्या इसको वह बजट कहने के लिये तैयार हैं ? यह बजट है ? आप चूंकि बहुत गरम हो कर हर समय उत्तर दे दिया करते हैं, इसलिये मैं उनकी सद्बुद्धि की अपील करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, आडिट रिपोर्ट में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसमें ऐसे तखमीने शामिल हैं जिनके....

श्री उपाध्यक्ष—आप माननीय वित्त मंत्री से क्यों नहीं कह रहे हैं ?

श्री राजनारायण—माननीय वित्त मंत्री जी की जो कैपेसिटी है हमको मालूम है, इसलिये मैं उनसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। उनसे जब निवेदन करना होगा वित्त के बारे में कर दूंगा। वित्त मंत्री से बात करने को आप कहते हैं, अगर आप हमको समय देंगे तो फाइनेंस विभाग के कितने क्रम हैं उस क्रम से कैसे काम चलेगा, समय कम होने की वजह से नहीं कह पाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैंने कुछ कहा नहीं, आधा घंटा होने के बाद विचार करूंगा।

श्री राजनारायण—इसीलिये मैं चाहता था अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में बोलूं। तखमीने का न होना, माननीय माल मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मंत्री जी बैठे हुये हैं, जरा गौर करें। तखमीने का न होना, तखमीने के ऊपर वृद्धि, ब्योरेवार बिल, वाउचर, उपवा-उचर, टिकट रसीद का अभाव इन तमाम की रकम ४१,०१,७३,७९० रुपये है। जहां इतना रुपया इस प्रकार खर्च हो, कोई बिल वाउचर इत्यादि न हो वहां यह कहना कि स्टेट ईमानदारी और एफीशियेंसी के साथ चल रही है, बिलकुल गलत है। गबन किसको माना जाता है ? जिस खर्चे को कायदे से प्रमाणित न किया जा सके वही गबन है। अगर इस सरकार पर यह आरोप लगाया जाय कि ४१ करोड़ से कुछ अधिक की रकम गबन में चली गयी और सरकार ने जानबूझ कर उसको छिपाया तो उसमें क्या गलती है ?

अब मैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पीछे क्या अनुमानित आय है इस पर आता हूं। यह जो सरकार की किताब छपी है इसको देखा जाय। माननीय सदस्य अगर न कहे होते तो मैं न कहता। उन्होंने कह दिया कहां गरीबी है, किसकी आमदनी घटी है। अगर हमारे आंकड़े देखे जायं तो और भंडाफोड़ होगा इस सरकार के काले कारनामों का और कुकर्मों का, मगर सरकारी किताब के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं और यह १९५४–५५ और ५५–५६ के आंकड़े हैं। १९५४–५५ की समस्त आय के आंकड़े १,७७४ करोड़ हैं और १९५५–५६ के १,७६७ करोड़ हैं। अब बताइये कि घटी या बढ़ी ? १,७७४ करोड़ ज्यादा है या १,७६७ करोड़ ज्यादा है, यह माननीय वित्त मंत्री जी देखें। अब प्रत्येक व्यक्ति के पीछे आय, जरा इसको भी देखने की कृपा करें, इसका भी खयाल किया जाय। १९५४–५५ में २६९·२ और १९५५–५६ में २६५·३ और १९५६–५७ में २६४·३ है। अब बताइये कि यह घटी या बढ़ी ? इसको माननीय कमलापति त्रिपाठी जी देखें।

अब ग्रामीणों की समस्त आय को जरा देख लिया जाय और प्रत्येक व्यक्ति पीछे आय और सब के पीछे आय को भी देख लिया जाय। बराबर हमारी आमदनी घटती चली जा रही है। कैसे घटती चली जा रही है ? देखिये, ग्रामीणों की १,१३२ करोड़ कुल

आमदनी है १९५४–५५ में और यही आमदनी १९५५–५६ में १,०८८ करोड़ ही रह गई और औसत जब हम निकालते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पीछे १९५४, ५५, ५६ और, ५७ का तो १९९·० है और ग्रामीणों की आमदनी १९५४–५५ में १८९·३ है और १९५५–५६ में १९४·९ और १९५६–५७ में १९९ से घटकर १९४ ही रह गई है। तो अब आप बताइये कि यह घटी मानी जायगी या बढ़ी मानी जायगी ? हम बड़े आश्चर्य में पड़ गये हैं कि बिना बजट को पढ़े हुये कांग्रेसी पक्ष के भाइयों की इतनी हिम्मत होती है कि वह यहां आकर बोल जाते हैं, क्योंकि यहां जो चाहे वह कह देते हैं और वह प्रिविलेज कमेटी में नहीं बढ़ सकता है ।

श्रीमन्, अब कृषि उत्पादन को भी जरा देखा जाय । यहां हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुये हैं और हमारा शायद यह अरण्य रोदन नहीं होगा । १९५४, ५५, ५६ और ५७ के फिगर्स मिले हैं। जहां पर १९५४–५५ में १२२ था ? वह घटकर अब ११५ ही रह गया है इस तरह से हमारे वहां कृषि घटी है । कृषि खाद्य सामग्री के प्रति भी यही बात है । हम आंकड़े कहां से लगायें ? यह २२ प्रतिशत कहां से लगाया गया ? क्या १९४८–४९ से लगाया ? कृषि उत्पादन कम हुआ और गवर्नमेन्ट हिसाब लगाती है और कहती है कि १९४८–४९ में जहां १०० था वहां बढ़कर १२२ हो गया है । लेकिन हम देखते हैं कि १९५६–५७ में ११५ ही रह गया है । अब हमारी समझ में नहीं आता कि किस ईयर को बेस माना जायगा । क्या बेसिस होना चाहिये, यह बड़ा पेचीदा सवाल है । दुनिया के पूंजीशाही अर्थशास्त्रियों ने इसे गोल कर रखा है और आज आंकड़ों के छिपाने का सतत प्रयत्न हो रहा है और उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनाया है । १९४८–४९ के साल को ही बेसिस मान लें तो जहां १९५४–५५ में बढ़ा वहां १९५६–५७ में घट भी गया और यदि बढ़ती हुई आबादी का हिसाब लगायें तो और भी घटेगा । तो हमारी समझ में नहीं आता है कि किस माने में तरक्की हुई, किस माने में विकास हुआ, विचित्र नारायण जी बतायें । सिंचाई पर किस तरह से पानी की तरह से रुपये को बहाया है और अब भी बहा रहे हैं ।

अब मैं उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास पर आता हूं । गन्ना विकास एरिया में भी बहुत हुआ और उत्पादन में भी । सन् १९५४–५५ में २२,९२,००० एकड़ गन्ने का क्षेत्रफल था और सन् १९५६–५७ में वह बढ़ करके ३०,५०,००० एकड़ हो गया । तो इसमें सरकार की नीति का कोई सवाल नहीं है । किसान गन्ना बोता है, यह किसान से संबंधित है । मगर जहां सरकार का सम्बन्ध आता है वहां क्या होता है ? जहां सन् १९५४–५५ में २,५४४ लाख मन गन्ना मिलों में पेरा गया था वहां सन् १९५६–५७ में ३,०३५ लाख मन गन्ना पेरा गया । यानी गन्ने के एकरेज में तो बहुत काफी बढ़ोत्तरी हुई, ६४·५ प्रतिशत की, लेकिन पेरने में केवल १९.३ प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी हुई । तो आखिर वह गन्ना कहां गया ?

एक सदस्य––कोल्हुओं में ।

श्री राजनारायण––कोल्हुओं को चलाने वाले बैलों की नाद में चला गया यह क्यों नहीं कहते ? श्रीमन्, अब तक सब मिलों के जरिये केवल २५ प्रतिशत गन्ना खपाया जा रहा है । बाकी गन्ना चाहे उस क्षेत्रफल में सूख जाय, चाहे उसका दुरुपयोग हो, चाहे तिकड़म करके, साजिश करके मिल मालिक किसानों को सस्ते दाम पर गन्ना बेचने के लिये मजबूर करें मगर इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है । सरकार कह सकती है कि मिलें कम हैं ।

सरकार दूसरे अन्न के उत्पादन के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ? क्या माननीय चरण सिंह जी इससे इन्कार करेंगे कि हमारे सूबे में १ करोड़ २२ लाख एकड़ जमीन तराई भावर में ऊसर, परती, बंजर, पानी की ढकी हुई नहीं पड़ी है और उसमें आधी से ज्यादा खेती के लायक है ? माननीय ऊदल जी ने सही बात कही कि जब जब जमीन के बंटवारे का प्रश्न उठता है तब तब माननीय मंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे प्रदेश में जमीन के बंटवारे का प्रश्न नहीं है ।

श्री चरण सिंह––कितनी जमीन बतायी आपने ?

श्री राजनारायण---१ करोड़ २२ लाख एकड़ ।

श्री चरण सिंह---आपने पहाड़ का भी इलाका शामिल कर लिया मालूम होता है ।

श्री राजनारायण---मैं कहता हूं कि वहां जो आधी जमीन खेती के लायक है क्यों न उसको बांटा जाय ? क्या इस सरकार ने अपनी इस योजना में कहीं भी जमीन के बंटवारे की गुंजायश की है ? क्या इस सरकार ने इस बजट में कहीं अन्न सेना के भरती करने की गुंजायश की है ? हर आदमी इस बात को मान चुका है कि अन्न सेना की भरती हो । उससे बेकारी का सवाल भी हल होगा, नयी जमीन भी टूटेगी और अन्न के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी । परन्तु आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । उन्होंने बड़ा सही वाक्य कहा । एक वाक्य में कहा जा सकता है कि यह सरकार और उधर के बैठने वाले सदस्य ब्यूरोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं और इधर के लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास करते हैं । बड़ा अच्छा तर्क उन्होंने दिया कि आखिर सरकार कोई होगी, तो उसमें हमारे नौकर होंगे ही। मैं कहता हूं कि उसको समाजवाद नहीं कहा जायगा, उसको पापवाद कहा जायगा । माननीय कमलापति जी समझेंगे ---

"समं अजन्ति जनाः अस्मिन समाजः"

जहां सारे मानवों का समान स्थान हो वह समाज है । और उस व्यवस्था को चलाने वाली समाजवादी व्यवस्था होगी ।

विषमता बढ़ती जाय, भ्रष्टाचार बढ़ता जाय, डाके और कत्ल बढ़ते जायं और समाजवादी व्यवस्था यह होती जाय तो क्या यह समाजवाद की कल्पना के अनुरूप शासन कहा जा सकता है? जहां पर श्रीमन्, इन्सान और पढ़े-लिखे इन्सान के अंगूठे का निशान जबरदस्ती लिया जाय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसको जनतन्त्र के सिद्धान्तों पर चलने वाला देश कहा जा सकता है ? १५० वर्ष अंग्रेजी राज्य की हुकूमत यहां रही और अमेरिकन साम्राज्यवाद में भी क्या कोई उदाहरण इस प्रकार का मिल सकता है कि किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में, जो इन्साफ करने के लिये नियुक्त हो, अंगूठे का जबरदस्ती निशान लिया जाय ? पता नहीं कि एक मन्त्री कहां से इसको पढ़कर आये कि ३९४ में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे तो उसके स्टेटमेंट पर उसके सिगनेचर होने चाहिये । मानता हूं कि जो स्टेटमेंट देगा वह अपने सिगनेचर करेगा लेकिन जो आदमी रिफ्यूज करता है स्टेटमेंट देने से उसके जबरदस्ती अंगूठे का निशान लेना किस कानून की किताब में लिखा है और अगर किसी कानून की किताब में लिखा है तो वह इन्सानों का कानून नहीं है, वह राक्षसी कानून है और उसको जलाकर फेंक देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---आपको आधा घंटा बोलते हो गया है । अब मैं आपको १० मिनट का समय और देता हूं ।

श्री राजनारायण---यहां पर सरकार की ओर से बराबर यह कहा जा रहा है कि सरकार की इच्छा पर अटैक नहीं करना चाहिये । मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की बुद्धि बहुत अच्छी है । सरकार की इच्छा सही है और यह देश का हित करना चाहती है मगर क्या मैं इस कारण को भूल जाऊं कि इस सरकार का १० वर्ष से निरन्तर शासन रहते हुये हमारा प्रदेश क्यों अधःपतन की ओर जा रहा है ? अगर मैं इस कारण को न भूल कर सरकार की इच्छा पर अटैक करता हूं तो कहा जाता है कि मैं अटैक कर रहा हूं । हमारे पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि हम आपके अन्दर की बात जान लें कि आपके हृदय में वास्तव में क्या इच्छा छिपी हुई है । हमारे सामने जो वस्तुस्थिति है उसको देखकर ही हम नतीजा निकालते हैं ।

क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्यों कुनबा परस्ती बढ़ रही है, इस सम्बन्ध में कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं । श्रीमन्, समाज में जब इस तरह के हालात मौजूद हों तो किस तरह से वह उन्नति कर सकता है ? मुझसे एक कर्मचारी की बातचीत हुई । उसने इन शब्दों का प्रयोग किया कि 'ब्लड इज थिकर दैन वाटर' । कहीं स्टेट के मुख्य मन्त्री हों, कहीं स्टेट के आई० जी०

हों, कहीं स्टेट के डेवलपमेंट कमिश्नर हों और कहीं स्टेट के जस्टिस हों और ये सब के सब एक ही खानदान से आते हों तो क्या वहां पर न्याय रहेगा? कुनबा परस्ती का बोलबाला होता जाता है । यही कारण है कि आज हमारे प्रदेश में २ लाख फैमिलीज सारे उत्तर प्रदेश को गुलाम बनाये हुये हैं और उसका रक्त चूस रहे हैं । जहां पर एलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और आई० जी० प्रिजन्स एक दूसरे के नाना फूफा हों तो मैं समझ नहीं सकता कि इस सारे देश में इन्साफ कायम रह पायेगा । अगर नीचे की अदालत से किसी को फांसी हो जाय तो कोई बिरला ही होगा जो ऊपर जाकर इससे बचे, मगर सामान्य तरीके से आज यही हो रहा है कि रिश्तेदारों को कुनबापरस्ती के सिद्धांत को लेकर हर जगह भरती किया जा रहा है और उसके लिये बड़े-बड़े सिद्धांतों को तिलाञ्जलि दे दी जाती है । मैंने सदन में यह इसलिये कहा है कि सदस्यगण इस पर गंभीरता से विचार करें ।

चौधरी चरण सिंह, श्री गिरधारी लाल जी और डाक्टर सीताराम जी मुझे इस बात का जवाब गंभीरतापूर्वक दें । नियम बना हुआ है कि बैकवर्ड क्लास और हरिजनों को नौकरियों में तरजीह दी जायगी । संविधान में इसकी गुन्जायश है, किन्तु आप देखिये कि १९४७ में इस प्रदेश में कुल गजेटेड आफिसर थे ३,२०३ । इनमें ऊंची जाति के थे ३,१५२, पिछड़ी जाति के थे ३४ और हरिजन थे १६ । आगे देखिये कि इसमें बैकवर्ड और हरिजनों की कितनी तरक्की हुई । १९५५ में, ३१ जुलाई, १९५५ के फीगर्स मेरे पास हैं, यहां कुल ५,२८० गजेटेड अफसर थे । इनमें ऊंची जाति के थे ५,१८५, पिछड़े वर्ग के २५ और हरिजन थे ७० । हरिजनों के अफसर ७० जो हुये वह इस सरकार की तारीफ नहीं, वह महात्मा गांधी की तारीफ है । अगर वह बुड्ढा हरिजनों के लिये सुरक्षित सीटें न करवा दिये होता तो निश्चित था कि आज यह सरकार उस से भी पीछे जाती । बराबर कहा जाता है कि १८, १४ और १० फीसदी जगहें उनके लिये सुरक्षित हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो वह अपने मामा, फूफा, भाई की ताईद करते हैं, उनको भरती करते हैं और हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कह दिया जाता है कि ये तो अयोग्य हैं, कम्पिटीशन में नहीं आ सकते । मेरे पास तो जो आता है वह हरिजन आता है, जितनी अर्जियाँ मैंने दीं वह सब वापस आ गयीं, उनमें से एक को भी नौकरी नहीं मिली । ऊपर जो बैठा है उसके दिल में एक तरफ उदारता भी है और एक तरफ अपने कुनबे के लिये स्वार्थपरता भी, तो इसलिये पहले अपने रिश्तेदारों की भरती होगी, दूसरों की नहीं । सवाल बड़ा पेचीदा है और इस से बहुत से लोगों के दिल पर ठेस लगेगी, लेकिन सभा का मतलब मैं यह समझता हूं कि जहां सत्य का प्रकाश हो और इसलिये निर्भीकता से सत्य का प्रकाश करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं ।

एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुख्य मन्त्री का एलेक्शन पिटीशन लड़ने के लिये बराबर इलाहाबाद में रहे और वह स्टेट से तनख्वाह ले ? मैं पूछना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल क्यों मुख्य मंत्री का एलेक्शन पिटीशन करें या वह किसी भी मंत्री का एलेक्शन पिटीशन क्यों करें ? यह क्या इन्साफ है ?

मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि लक्ष्मी रतन इंजीनियरिंग वर्क्स, बंबई को ५० लाख रुपया क्यों दिया गया मार्च, १९५६ में । यह मार्च, १९५८ होने जा रहा है, क्या जिस काम के लिये यह रुपया दिया गया है वह उसमें खर्च हुआ है ? आज तक सरकार के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूं । सरकार उसको बताये । गरीबों का खून चूस कर रुपया लेने वाली यह सरकार करोड़पतियों को कर्ज दे, शर्म की बात है । जे० के० काटन ऐन्ड स्पिनिंग मिल, कानपुर को ९० लाख रुपया दिया गया । अगर वह डेवलपमेंट हेड्स में रुपया लगाना चाहते हैं तो जो गरीबों का खून चूस कर उन्होंने रुपया इकट्ठा किया है उस रकम को लगाने के लिये सरकार क्यों न उसको प्रेरित करे ? बिना सदन से पूछे हुये इन लोगों को कर्जा क्यों दिया गया ? १४५ करोड़ रुपया न्यू सेंट्रल जूट मिल लिमिटेड कलकत्ता को दिया, सोडा ऐश फैक्टरी बनारस में फिट करने के लिये । इतना बड़ा-बड़ा कर्ज उन लोगों को दिया गया और जनता से कहा गया कि यह तुम्हारे विकास के लिये दिया जा रहा है । पता नहीं किसका विकास होगा ।

[श्री राजनारायण]

इसी प्रकार से विभूति ग्लास वर्क्स को ५ लाख रुपया दिया गया है । क्या काशी नरेश के पास पैसा नहीं है ? मेरी जानकारी है कि काशी नरेश के पास पैसा है । तो जिन व्यक्तियों के पास पैसा है, उनको गरीबों के फंड से पैसा देना किसी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है ।

सरदारनगर फैक्ट्री को भी रुपया दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं बोलता हूं तो भी गुनाह है, किसी आवश्यक काम को चला जाऊं तब भी गुनाह है, न बोलूं तब भी गुनाह है । कहा जाता है अगर कोई बात होती तो राजनारायण बोलते न । हर तरह हमारी ही मुसीबत है । मैं माननीय कमलापति जी से कहना चाहता हूं कि उनके अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी है, वह सेंट-पर-सेंट झूठ है, असत्य है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप असत्य कह सकते हैं, झूठ नहीं ।

श्री राजनारायण---अच्छा तो असत्य ही सही । वह असत्य है, सत्य से परे है, भ्रामक है ।

यह १० लाख रुपया किस लिये दिया गया ? लाइन बनाने के लिये । क्या एक भी लाइन बनी ? इसके लिये सदन की एक जांच कमेटी बनायी जाय ।

श्रीमन्, १० मिनट का मौका मुझे और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---१० मिनट आपको मिल चुके हैं । अब आपका केवल एक मिनट और रह गया है ।

श्री राजनारायण---तो क्या श्रीमन्, हमारी कोई प्रार्थना नहीं मानी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं । १० मिनट का समय आपको सदन ने दिया था, अब केवल एक मिनट बाकी रह गया है ।

श्री राजनारायण---मान्यवर, केवल ५ मिनट मांग रहा हूं । मत ले लीजिये, किसी को कोई एतराज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छा तो आपको सदन की अनुमति से ५ मिनट और दिये जाते हैं ।

श्री राजनारायण---हां तो, एक बात माननीय वित्त मंत्री, हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी ने कह दी कि इस सदन ने मुख्य मंत्री महोदय से कहा था हाउस स्कैंडल के मामले की जांच करने के लिये, उन्होंने जांच करली । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह सदन अपने कर्तव्य से च्युत होगा यदि इसके माननीय सदस्य इस हाउस में बैठें और इस हाउस स्कैंडल की जांच न हो । वही जमीन जब सरकार खरीदती है तो डेढ़ रुपया, दो रुपया के हिसाब से खरीदती है और जब ये उच्चाधिकारी खरीदते हैं तो चार छः आने के हिसाब से खरीदते हैं । माननीय वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या इन लोगों ने मकान म्युनिसिपेलिटी से नक्शा पास हो जाने के बाद बनवाया ? मैंने मुख्य मंत्री जी से इसको पूछा कि क्या आपने इस बात की जानकारी की ? उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं की । मैं पूछना चाहता हूं कि उनको क्या सरकारी बिल्डिंगों से ज्यादा प्राथमिकता सीमेंट के मामले में नहीं दी गयी ? सरकार ने एक नियम बनाया कि अगर सरकारी काम के लिये भी सीमेंट दिया जाय तो टिप लगायी जाय, उनको भी पूरा सीमेंट न दिया जाय, लेकिन क्या इन उच्चाधिकारियों के मकानों के लिये सीमेंट की जो मांग हुई उसमें टिप लगायी गयी ? जब कि अच्छे अच्छे सरकारी कामों के लिये सीमेंट आसानी से नहीं मिलता था, कितने बड़े पैमाने पर इनको सीमेंट दिया गया ? जहां कीड़े मकोड़े पनाले में बराबर बहते हों, उनको ठीक करने के लिये तो सीमेंट न मिले, दूसरी तरफ सीमेंट जाकर इन उच्च अधिकारियों के मकानों में लग जाय, जब कि उनको साढ़े ३, ३ हजार और चार-चार हजार रुपया मासिक तनख्वाह मिलती है । ईंटें इनको किस भाव पर मिलीं ? मैं तो कहता हूं कि इनकी दीवारें तोड़ी जांय और देखा जाय कि अव्वल नंबर की ईंटें उन्होंने कितनी लगायी हैं, क्योंकि मुझे शक है कि वे किसी ठेकेदार से बात करके उससे कहला सकते हैं कि हमने दोयम नंबर की ईंटें सप्लाई

की हैं । जहां तक मेरी जानकारी है कई वैगन कोयले लेकर ठेकेदारों को दिया गया है और उनसे कम भाव पर ईंटें ली गयी हैं । जहां इतने बड़े-बड़े अफसर हों, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हों, डेवलपमेंट कमिश्नर हों, आई० जी० जेल्स हों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बरेली हों, चीफ इंजीनियर पी० डब्लू० डी० हों, और रिहन्द डाम के चीफ इंजीनियर भी शामिल हों, तो मैं चाहूंगा कि इस सदन की एक इनक्वायरी कमेटी क्यों न बैठे जो इस बात की जांच करें कि जो आरोप मैं लगा रहा हूं वह कहां तक सही है या कहां तक गलत है । जो आरोप लगाया गया है, अगर वह गलत साबित हो गया तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी होगी, लेकिन जब तक इस सदन की इनक्वायरी कमेटी नहीं बैठेगी और उसमें हाई कोर्ट का कोई जज नहीं रहेगा तब तक हम माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री द्वारा जांच करने की बात को कभी भी प्रमाणित मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्रीमन्, १२६ गांवों की एक लिस्ट मेरे पास है, यदि आप आज्ञा देंगे तो मैं पढ़ दूंगा ताकि सदन के माननीय सदस्यों को उसकी पूरी जानकारी हो जाय । श्रीमन्, गाजीपुर जमानिया के ४० गांवों की जानकारी मुझे है, २६ दिसम्बर को मैंने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि इस लिस्ट में ४० गांवों के नक्शे खींचे गये हैं कि यह गांव ऊंचे किये गये । गांव का पता जमीन पर तो है नहीं, लेकिन वे ऊंचे किये गये, उनके लिये रुपया दे दिया गया । मालूम होता है कि रूस से पहले वे ही लोग उस लोक में जमीन पा लिये, जहां कि गांव बने हुये हैं । तो श्रीमन्, मैं खतम करने के पहले इतना ही कह सकता हूं कि सरकार द्वारा यह बजट जो पेश किया गया है, वह जनता के पैसे के दुरुपयोग का एक नमूना है । इससे भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, डकैती, चोरबाजारी और बढ़ेगी ही । क्या मंत्री जी की इच्छा ही न्याय है? इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को बिलकुल निकम्मा, थोथा और रद्दी की टोकरी में फेंक देने वाला समझता हूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण ने अपने भाषण के बीच में यह कहा कि केन्द्रीय सरकार के ला मिनिस्टर और एलेक्शन कमीशन के चेयरमैन, दोनों रिश्तेदार हैं । तो क्या इस विषय के ऊपर इस प्रदेश की असेम्बली में बहस हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष---असल में वे नीति की चर्चा कर रहे थे । बजट के आम विवाद में नीतियों की चर्चा होती है । उन्होंने एक उदाहरण दिया । अगर वह बात गलत हो तो सरकार उसका प्रतिवाद कर सकती है, और यदि सही हो तो उसे सरकार को स्वीकार करना चाहिये । इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ।

*__श्री देवकीनन्दन विभव__ (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे कुछ थोड़ा समय ज्यादा देने की कृपा करेंगे । श्रीमन्, मैंने कल से इस बजट पर होने वाले विवाद को ध्यान से सुना और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस वाद विवाद को सुन कर मुझे निराशा हुई ।

मैं विरोधी पक्ष से कुछ अधिक आशा करता था । मैं उनसे आशा करता था कि उनकी आलोचना केवल नेगेटिव ही न होगी बल्कि वह कोई तुलनात्मक सुझाव भी पेश करने का प्रयत्न करेंगे और कोई दूसरा नक्शा हमारे सामने रखेंगे, परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में निराशा हुई । मैं अपना अधिक समय उन बातों के जवाब में नहीं देना चाहता और खासतौर से मैं इस माननीय सदन में उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता जिसका अभी हमारे एक माननीय सदस्य प्रयोग कर रहे थे । हम ने और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने एक ही महान व्यक्ति के नेतृत्व में, उस महान व्यक्ति के नेतृत्व में जिस ने इस देश को ही नहीं सारे संसार को उजाला दिया, उस के चरणों में बैठकर हमने एक विशिष्ट धारा की ओर बढ़ने, सोचने और समझने का अभ्यास किया है, लेकिन जब मैं इस तरह का वायुमंडल देखता हूं तो मुझे उस से खेद होता है ।

अभी कल माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने एक अच्छा संजीदगी का भाषण दिया, परन्तु मैं उनकी बहुत सी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता । उन्होंने आंकड़े और प्रकाशनों के सम्बन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

में जो बातें कहीं उन पर गवर्नमेंट ध्यान दे और स्टेटिस्टिक्स के सम्बन्ध में जिन सुधारों की जरूरत है वह करे । लेकिन मुझे माननीय त्रिलोकीसिंह जी की दो तीन बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ । उन्होंने यह कहा कि जब इस प्रदेश में कोआपरेटिव फार्मिंग की चर्चा है और जब कि माननीय मंत्री जी कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कहते हैं तो चकबन्दी की क्या जरूरत है । मैं उन जैसे प्रगतिशील व्यक्ति से ऐसे शब्द सुनने की आशा नहीं करता था । मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चकबन्दी का प्रयत्न आज नहीं सन् १९२१ से भी पुराने समय में हुआ था और उस का परिणाम क्या हुआ? मैं कुछ पंक्तियों में वह जो रिपोर्ट है 'Report of the team for the study of community projects.' उस में उन्होंने यह कहा था मैं अंग्रेजी के शब्द न कहकर उस का आशय बताऊंगा, समय क्यों खर्च करूं; कि कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा चकबन्दी का प्रयत्न पूरे तौर से असफल रहा, इसलिये कि कोआपरेटिव सोसाइटियों से चकबन्दी का कार्य केवल उन व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है जो कोआपरेटिव सोसाइटी में हो । लेकिन उसके बाहर के लोग कैसे करेंगे और उनके द्वारा कैसे चकबन्दी होगी यह मेरी समझ में नहीं आया, न त्रिलोकीसिंह जी ने बताया कि चकबन्दी कोआपरेटिव सोसाइटी के मातहत कैसे हो जायगी ?

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने यह नहीं कहा । मैंने यह कहा कि अगर कोआपरेटिव लक्ष्य है तो चकबन्दी कराना फिजूल है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—मुझे तो एक बात सुन कर ताज्जुब हुआ । उनका खयाल था कि नहरों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुओं से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और उसमें पांच, सात सौ रुपया खर्च होता है । शायद माननीय विरोधी दल के नेता जी यह भूल गये कि कुओं से जो सिंचाई होती है उसमें किसान पर कितना खर्चा पड़ता है । उसको चरस चाहिये, आदमी चाहिये, बैल चाहिये । उसका कितना व्यय होता है, कभी इसका भी उन्होंने अनुमान लगाया ? इस प्रान्त में जो ट्यूबवेल्स काल प्रयत्न किया गया उसमें नहर से ज्यादा खर्चा पड़ता है । नहर में ४ रुपया और ट्यूबवेल में ९ रुपया खर्चा पड़ता है । अगर मैसोनरी वेल्स का खर्चा मालूम किया जाय तो इस भी ज्यादा होगा ।

एक बात उन्होंने और कह दी कि हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट्स के काम में इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिये । मैं मानता हूं कि हमारे बहुत से हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट्स बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन आखिरी जिम्मेदारी मिनिस्टर की होती है । अभी मूंधड़ा कांड में क्या हुआ ? एक तरफ से यह कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत छूट दे दी गई है, दूसरी तरफ से हमारे विरोधी दल के नेता यह कहते हैं कि डिपार्टमेंटल हेड्स के काम में इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिये । आखिर में अगर कोई बात हो जाती है तो उसका खमियाजा मंत्री के ऊपर पड़ता है ।

मैं अगर विरोधी दल की सारी बातों का सारांश कहूं तो तीन बातें आती हैं । एक लम्बी कहानी कहिये, लेकिन तीन बातें आती हैं जिस को देश के लिये और प्रान्त के लिये विडम्बना कहते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश और प्रदेश की समृद्धि बढ़ी है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि व्यक्तिगत पर कैपिटा इन्कम हमारे देश और प्रदेश में घटी है । इसी तरह से इसमें शक नहीं कि हमारे खाद्यों का उत्पादन कुछ बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि पर एकड़ उत्पादन कम हो गया है । इसी तरह से यह भी सच है कि नये-नये साधन इस प्रदेश में खोले गये हैं, लेकिन यह भी सच है कि अनएम्प्लायमेंट बढ़ा है, लेकिन इसका कारण क्या है ? जो भी बातें कही गयी हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है, प्रदेश के शासन में खराबियां हैं वह सिर्फ यह कहने से खत्म नहीं हो जायंगी कि यह सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ नहीं हुई है । यह गलत है । मैं तो आप से कहना चाहता हूं आप इसकी समस्याएं समझें अगर

हम समस्याओं को देखें तो सारा चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जायगा। आखिर इस प्रदेश की आबादी पांच लाख प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उनके लिये आपको साधन चाहिये। उनके जीविका के साधन चाहिये और उसका परिणाम यह होता जा रहा है कि जमीन पर हमारा भार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसके टुकड़े ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं और उस सब का परिणाम यह हो रहा है कि हमारा उत्पादन कम होता जा रहा है। तो हमें सारी समस्याओं को समझना है।

उसका मैं तो एक ही हल समझता हूं जिसको कि मैं आज से नहीं तीन-चार साल पहले से इस सदन में कहता रहा हूं। वह यह कि हमारे प्रदेश का औद्योगीकरण होना चाहिये। प्रदेश में खेती के साधनों का इतना सेचुरेटेड प्वाइंट हो गया है कि अब आप प्रदेश में पर एकड़ उत्पत्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिक आदमियों को उस काम में नहीं लगा सकते हैं। मैं सुनता रहा हूं, कहा जाता है कि हमारे प्रदेश की इकानमी ऐग्रीकल्चरल इकानमी है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और हमें कृषि की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं कहता हूं इससे हमारे प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा। जो लोग यह कहते हैं कि यह प्रदेश इंडस्ट्रीज के लिये उपयुक्त नहीं है, मैं उनकी इस बात को नहीं मानता। मेरा ख्याल यह है कि यह प्रदेश इंडस्ट्रीज के लिये बहुत उपयुक्त है और उसके कारण मैं आपको बताता हूं। इस प्रदेश में सबसे अधिक शहर हैं जिस से यह इंडस्ट्रीज का अधिक से अधिक संगठन उपयुक्त रूप से कर सकता है। इस प्रदेश के पास सबसे अधिक मार्केट हैं। इस प्रदेश के पास देश में सबसे चीपेस्ट लेबर है और इस प्रदेश में म्युनिसिपल टैक्स अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत कम हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री ने औद्योगीकरण के सिलसिले में इधर एक साल से जो आवाज उठायी है उसमें करीब-करीब उन्हीं बातों को उनकी तरफ से बल मिला है जिन को कि मैं बहुत दिनों से कहता था।

मुझे तो वित्त मंत्री से कहना है। हमारे प्रदेश ने प्लानिंग में गलती की, हमारे प्रदेश ने एलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक बड़ी गलती की है, शुरू से प्लानिंगमें गलती की है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की कीमत है और इस प्रदेश में सबसे कम पर हेड एलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं। मेरा खयाल यह है कि किसी भी प्रदेश का अगर औद्योगीकरण करना है तो उसका आधार पावर पर होता है। इंडिया का पर कैपिटा एलेक्ट्रिक कंजम्पशन २५ किलोवाट है, नार्वे का ६,५०० किलोवाट, कैनाडा का ४,८६०, यू० एस० ए० का ३५०, बाम्बे का ६२, वेस्ट बंगाल का ६१ है, मद्रास का २२ है, मध्य प्रदेश का ८.७ है और यू० पी० का कंजम्पशन ८.१ है।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश का जो प्रोडक्शन है एलेक्ट्रिसिटी का मुझे अफसोस है कि हमारे प्रदेश में जो प्रोडक्शन का कास्ट है वह सारे देश के कास्ट से अधिक है। आपको मालूम है कि हाइड्रो एलेक्ट्रिक जो है वह सबसे सस्ती प्रणाली है बिजली पैदा करने की, लेकिन हमारे प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कास्ट १.११३ आना है। जब कि सारे देश में सब प्रकार के साधनों से बिजली उत्पादन का मूल्य १.२२ आना पर यूनिट होता है। मुझे अफ़सोस है कि हमारी बिजली की प्लानिंग में काफ़ी डिफेक्ट्स रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उनकी एन्क्वायरी में यह बात पायी गई कि वह सब डिफ़ेक्टिव हैं। तो बिजली की आपरेशनल एफ़ीशियेंसी निरन्तर डिक्लाइन कर रही है। यू० पी० की इनस्टाल्ड कैपेसिटी १ लाख ४० हजार किलोवाट बढ़ी है लेकिन उत्पादन २ करोड़ ६७ लाख किलोवाट पर आवर बढ़ा है। सारे हिन्दुस्तान में ३,२१४ किलोवाट पर आवर यूनिट इनस्टाल्ड कैपेसिटी का ऐवरेज है, लेकिन यू० पी० की ९१३ किलोवाट पर आवर यूनिट की क्षमता है . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव---मुझे कम से कम १० मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, केवल ५ मिनट ही आपको और दिये जायेंगे ।

श्री देवकीनन्दन विभव---तो लास आफ ट्रांसफ़ारमेशन में एनर्जी काफी लूज होती है जितनी और जगह नहीं होती है । तो मैं कहना चाहता था वित्त मंत्री जी से कि एलेक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक वह रिएग्जामिन करें और सूबे को एक बहुत मजबूत और ठोस आधार पर स्थापित करे ।

अब हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल है । उनका हाल यह है कि हमारे प्रदेश में तीन बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, टैक्सटाइल, शुगर और आयल इंडस्ट्री । मुझे अफसोस है कि इन तीनों इंडस्ट्रीज की हालत अच्छी नहीं है । हमको इनको रिएग्जामिन करना चाहिये और देखना चाहिये कि इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं । शुगर इंडस्ट्री पर हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा अवलम्बित है । मुझे अफ़सोस है कि उसके बारे में बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है । हमें देखना चाहिये कि किस तरह हम उसकी रक्षा करें ।

इसी तरह से आयल इंडस्ट्री है । यहां से तेल काफ़ी संख्या में जाता था, लेकिन बंगाल में, जो हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा तेल का मार्केट था, वहां हमारे प्रदेश के तेल के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है, गवर्नमेंट को चाहिये उसकी व्यवस्था करे और उसकी समस्याओं को देखे ।

अब मैं समय कम होने के कारण इतना और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के आर्थिक ताने बाने को मजबूत करने के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता है । जो लोग यह कहते हैं कि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण नहीं हो सकता उनको मैं रूस की याद दिलाना चाहता हूं । जिस वक्त रूस ने अपना औद्योगीकरण किया था तो सारी दुनिया ने क्या कहा था ? मुझे मालूम है एच० जी० वैल्स जब लेनिन से मिलकर आया तो उसने कहा था कि लेनिन और रशिया, यूटोपिया सुख स्वप्न में फंस गये हैं और वह जो बात ५ साल में कहते हैं करने को उसको ५० साल में भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि रूस ने सफलता प्राप्त की और उसने दुनिया को दिखा दिया कि टैक्नोलोजिकल एडवांसमेंट में हम सबसे आगे बढ़े हुये हैं । जब कृषि प्रधान देश रूस हो सकता है तो हमारा प्रदेश क्यों नहीं हो सकता है ? हमारा प्रदेश क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है ? लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि इस बात की जरूरत है कि आप एक कमीशन बिठायें और फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के सामने मैंने बार-बार कहा था कि इस बात की आवश्यकता है कि आप डिमारकेशन करें कि कहां आप बड़ी इंडस्ट्रीज रखना चाहते हैं, कहां मीडियम साइज की इंडस्ट्रीज रखना चाहते हैं और कहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज तथा काटेज इंडस्ट्रीज रखना चाहते हैं । मेरा खयाल यह है कि जैसे आप एक बकरी को खिलायें और फिर शेर को दिखा दिया जाय तो वह पनप नहीं सकती है । इसी तरह से मेरा खयाल यह है कि काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि इस बात का डिमारकेशन किया जाय । मैं आशा करता था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि . . .

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय खत्म हो गया ।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं दो मिनट में समाप्त किये देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं दो मिनट नहीं । एक आध जुमला कहना हो तो कहें ।

श्री देवकीनन्दन विभव---फिर भी मेरा अनुमान है कि यह जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है यह एक ऐसा बजट है जिससे सरकार की मजबूत आर्थिक

नीति का प्रमाण मिलता है कि उसने बराबर अपने डेफोसिट में कमी की है। मेरा खयाल यह है कि उन्होंने आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ज्यादा गहराई से समझना है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो बजट पेश किया गया है उसकी उधर के पक्ष में बैठने वालों ने प्रशंसा की है। और मुझे भी पिछले कई वर्षों के बजट को देखने का सौभाग्य मिला है। प्रदेश की जनता की बड़ी इच्छा होती है यह जानने की कि इस साल हम पर कौन सा नया टैक्स लगाया जा रहा है। सदन में बजट आने से पहले प्रतिवर्ष लोग पूछते हैं कि इस बार कौनसा नया टैक्स लगाया गया। इस बार भी लोगों ने पूछा और बजट आया तो बताया गया कि नया टैक्स नहीं लगाया गया। हमारी आमदनी जो करोड़ों में चलती थी वह अरबों में पहुंच गई। नये टैक्स न लगाये जायं। यह हमारा मतलब नहीं है कि जनता टैक्स देना नहीं चाहती है, लेकिन जनता यह जरूर चाहती है कि टैक्स की जो प्रणाली है वह गलत है, टैक्स बहुत ज्यादा है और टैक्स का सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। गरीब जनता का पैसा इस बुरी तरह से खर्च किया जाता है कि जितना टैक्स जनता देती है उसका रिटर्न रुपये में आने भर भी नहीं मिल पाता है। मैं अपने जिले का प्रमाण देता हूं कि लगभग एक वर्ष हुआ जब प्लानिंग विभाग में हजारों रुपये खर्च किये गये। यदि हम कहें तब तो विरोधी पक्ष की बात होगी, लेकिन हमारे जिले के कांग्रेसी नेता और एम० एल० एज० ने लिख कर दे दिया था कि यहां हजारों रुपये खर्च किये जा रहे हैं और यह प्लानिंग विभाग और प्लानिंग अफसरों के कारनामे हैं। लगातार साल भर से यह प्लानिंग और प्लानिंग अफसर के खिलाफ यह आवाज उठा रहे हैं। वे सरकार के पक्ष के विधान सभा के सदस्य थे। साल भर उस पैसे का दुरुपयोग देखने के बाद शायद कल-परसों कुछ परिणाम निकला है, लेकिन इतना सब होने दिये गये हैं और बाद भी कोई जांच नहीं हुई सिवाय इसके कि वह प्लानिंग अफसर साहब रिवर्ट कर दिये गये और एस० डी० ओ० बनाकर भेज दिये गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि टैक्स की एक सीमा और तरीका होना चाहिये। उधर के बहुत से लोग इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स देते होंगे और उनको वे परेशानियां भी मालूम होंगी जो टैक्स विभाग के कर्मचारियों द्वारा पैदा की जाती हैं। क्या राज्य है कि मनमाना टैक्स और उसके भी वसूल करने में इतनी परेशानियां।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा, पीठासीन हुए।)

मैं आपके सामने ज्यादा न कहकर केवल यह बतलाना चाहता हूं कि ३० करोड़ रुपया, यानी कुल बजट का १/५ लैंड रेवेन्यू से आमदनी है, लेकिन जिस जनता से यह आमदनी है उसकी क्या हालत है? आंकड़ों में न जाकर जो प्रत्यक्ष है उसको देखिये। अभी हाल में मिर्जापुर का समाचार अखबारों में छपा था कि वहां पर लोग जड़ी-बूटी खा कर जीवित रहते हैं। अभी तक हमने यह समाचार ही देखा था। परन्तु आज लञ्च के समय देखा कि नीचे दरवाजे पर जड़ी-बूटियों से पकी हुई रोटियां मौजूद हैं। एक जमाना था कि जब घी से तरकारी बनती थी और एक जमाना यह है कि सब्जी से घी बनता है। फिर इन जड़ी-बूटियों की क्या हालत बतलायी जाय। हम तो तब जानते जब जनता स्वस्थ होती, वह भूखों न मरती। अभी जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने देखा कि उनके यहां कुछ मिर्जापुर के भाई मौजूद थे और उनके साथ एक गरीब आदमी भी मौजूद था। मेरे साथ और भी सदस्य थे। हम उस गरीब की दुर्बलता को देखकर यह न पहचान सके कि वह आदमी है या औरत। बाद में मालूम हुआ कि वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल वर्मा]

डेपुटेशन में किसी गरीब आदमी को लेकर आये थे। तो आंकड़ों के चक्कर में न पड़कर हमें तो यह देखना है कि हमारे देश में लोगों को भर पेट अन्न मिल जाय और पहनने को वस्त्र मिल जाय।

अभी हमारे नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में कहा गया और अधिकांश लोगों ने कहा कि वे तो शहर के नेता हैं, देहात के नहीं, इसलिये देहात की हालत वे क्या जानें। मैं भी शहर का रहने वाला हूं और मेरा खयाल है कि करीब-करीब सभी माननीय मंत्री भी शहर के रहने वाले हैं और अधिकांश शहरों से चुनकर आये होंगे। वोटर लिस्ट में कोई शहर का नाम लिखा लेता है और कोई गांव का नाम लिखा लेता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो शहर, टाउन एरिया और कस्बे के अन्दर का रहने वाला न हो, इसलिये यह कहना और लान्छन लगाना कि गांवों की बातों को शहर वाले नहीं जानते हैं बिलकुल सही नहीं है। हम लोगों ने अपना जीवन ३० वर्ष से ग्रामीण जनता के साथ बिताया है और आज भी उनके साथ बिताते हैं। जिस वक्त भी यहां सदन से फुरसत मिलती है तो ग्रामीण जनता की गरीबी की हालत को और उनकी क्या वास्तविक हालत है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम सब जीवित हैं और बावजूद आपकी मुखालफत के इस सदन में फिर से आने की हिम्मत करते हैं।

दूसरी बात कही गई कि शहरों की दौलत गांवों में जा रही है। यह बिलकुल बरअक्स बात है। अगर शहरों की दौलत गांवों में जाती है तो देहातों को क्यों यह तक़ावी दी जाती है। हर साल माल मंत्री जी गांवों में २, ३ लाख रुपया तक़ावी के लिये भेजते हैं फिर भी वह तक़ावी नाकाफी होती है। शहरों की दौलत का गांव में जाना तो दूर रहा अगर आप उनको भरपेट खाना और कपड़ा भी दे दें तब भी उनके लिये बहुत काम हो जाय। देहात वालों को दौलत की परवाह नहीं है और न वे इसके हामी हैं। उनको तो खाना और कपड़ा चाहिये। मेरी यह जाती राय है कि यह बात जो हाउस में कही जाती है कि उनकी गरीबी दूर हो गई यह सही नहीं है। यह हो सकता है कि बजट के आंकड़ों को देखते हुये गरीबी दूर हुई हो, लेकिन हम रोज देखते हैं कि वहां पर इतनी गरीबी की हालत है कि उस से वह अभी ऊपर नहीं उठ पाये हैं। यह हो सकता है कि अमीर ऊंचे उठे हों, लेकिन गरीबों के ऊंचे उठने का वक्त अभी हमारे सामने नहीं आया।

सर्विसेज के विषय में कल यहां पर अस्थायी को स्थायी करने का प्रश्न उठाया गया। यह कहा गया कि शायद माननीय नेता विरोधी दल ने सर्विसेज को खुश करने के लिये यह सवाल उठाया है ताकि नौकर पेशा लोग खुश हों। यह उनकी तरफ से मांग की गई कि उनको परमानेन्ट किया जाय। मैं कहता हूं कि यह मांग नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि इसकी जरूरत है। मैं आपको बतलाऊं कि सर्विसेज का यह हाल है कि लगभग ५ वर्ष हुये मुझपर एक मुकदमा चलाया गया। विशेषाधिकार से एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया और वह मुकदमा उस मैजिस्ट्रेट के यहां ट्रान्सफर कराया। मैं श्रीमन्, ५ मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपके दो मिनट और हैं। ५ मिनट का समय और आपको नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहनलालवर्मा—यदि और समय नहीं मिलता है तो मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो १९५८-५९ का बजट सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि किसी प्रदेश का बजट उस प्रदेश का आइना होता है। जैसी हमारी भावना होती है हमें बजट में वही बातें दिखाई

पड़ती हैं। मैंने बजट को देखा। उससे प्रतीत होता है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस में समाजवादी व्यवस्था लाने की कोशिश की है। मैं माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मेरे लायक दोस्त, जो विरोधी बेन्चों पर बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी भावना से सोचें और सरकार में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, खराबियां हैं, उनकी कटु आलोचना करें, लेकिन इसके साथ-साथ अगर सरकार ने कुछ अच्छे कार्य किये हैं जनता के हित के लिये, तो उनकी सराहना भी करें। अगर ऐसा हो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की तरफ बैठनेवाले बहुत से दोस्तों का सहयोग उनको बहुत सी बातों में मिल सकेगा, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे उन दोस्तों की भावना कुछ ऐसी है कि उनको सरकार की बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं, अच्छाइयां नजर नहीं आतीं। वह सरकार को निकम्मी, पूंजीपतियों की और गरीबों का खून चूसनेवाली सरकार की उपाधियां दिया करते हैं। मैं मानता हूं कि हर सरकार से गलतियां होती हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें हमारे दोस्त कहते हैं, उनमें असलियत कितनी है, इसका सार्टिफिकेट जनता ने दे दिया है। सन् १९४६ से १९५१ तक जनता ने इस सरकार के हाथ में सत्ता दी, उसके बाद १९५१ से लेकर १९५६ तक फिर इसी सरकार को जनता ने चुना, उसके बाद १९५७ से ६२ तक के लिये फिर जनता ने इसी सरकार को अपना शासन भार सम्हालने के लिये भेजा। इसको देखते हुये मैं कैसे कह सकता हूं कि हमारे दोस्त जो बात कहते हैं वह सही हैं? जनता के सार्टिफिकेट से यह मालूम होता है कि आपकी बात गलत है।

एक बात की चर्चा सदन में बहुत होती है कि जनता का जीवन-स्तर गिर रहा है। अभी यहां शहर और देहात की बात भी चली। ज्यादातर इस पर डिस्कशन हुआ कि शहर के रहने वाले देहात की बात नहीं जानते। मैं देहाती क्षेत्र का रहने वाला हूं और एक किसान परिवार का सदस्य हूं, मुझे देहात से ही पाला पड़ता है। श्रीमन्, मैं आंकड़ों की भुलभुलैया में नहीं पड़ना चाहता और न मुझे उन पर पूरा विश्वास ही है, लेकिन मैं एक बात दिखाना चाहता हूं। आप आज से २० साल पहले का और आज का नक्शा देहात का मिला कर देखिये, आपका हृदय महसूस करेगा कि जनता का जीवन-स्तर गिर नहीं रहा है। हां, एक बात अवश्य है कि प्रदेश में रहने वाले जिन लोगों का जीवन-स्तर बढ़ा हुआ था वह गिर रहा है और जिनका स्तर गिरा हुआ था उनका बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं अपने जिले की एक मिसाल और देता हूं। आज से बीस साल पहले हमारे जिले में कुल २०,२५ भट्ठे थे ईंट के, आज उनकी तादाद ४०० के ऊपर है और फिर भी ईंट नहीं मिल रही है और जनता उसके लिये परेशान है। आखिर यह जाती कहां है? अगर जनता की क्रय शक्ति कम हुई है तो आखिर यह आसमान पर तो जाती नहीं, देहात में ही जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि आज से २० साल पहले २० या २५ गाड़ियां सीमेंट की जिले में आती थीं और उनको भी कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आज ५०० गाड़ियां प्रतिवर्ष जिले में आजायं तो भी जब देहात में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां की जनता इस बात के लिये परेशान है कि उसको सीमेंट नहीं मिलता। आज से २० वर्ष पहले जिन देहातों में बहुत कम पक्के मकान थे वहां आज ईश्वर की दया से पक्के मकान कुछ बने हुये हैं। मैं यह नहीं कहता कि जनता के स्तर को ऊंचा करने के लिये अब किसी बात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी सही नहीं है कि स्तर गिर रहा है। पूर्वी जिलों की जनता की कमर तो अंग्रेजों के जमाने से ही टूटी हुई है और वह अभी सीधी नहीं हो पायी है। वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वे गरीब रहते हैं। मैं बीच के और पश्चिम के जिलों की बात कहता हूं कि वहां किसानों का जीवन-स्तर बढ़ा है। दोस्तो, हमारा देश कृषि प्रधान है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मेरा वैधानिक प्वाइंट है कि माननीय सदस्य 'दोस्तो' कहकर एड्रेस करते हैं, जो मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---(श्री मिहरबानसिंह से) आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री मिहरबानसिंह---श्रीमन् वित्त मंत्री जी ने ११२ करोड़ के लेखे की अनुमति सदन से चाही है जिसे सदन बड़ी खुशी से देगा, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखें कि यह जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा है इसका दुरुपयोग न हो। दुरुपयोग से दुख होता है। यह पैसा अधिकारियों के जरिये खर्च होता है। बहुत से अधिकारी आज भी अपने को जनता का सेवक न समझ कर अपने को आफ़िसर या हुकूमत करने वाला समझते हैं। उनमें यह जिद होती है कि उनकी बात में कोई दखल न दे। ज्यादातर ऐसे अधिकारी हैं जो देश को खुशहाल देखना चाहते हैं। चाहते हैं कि वे देश का निर्माण करें और कर्तव्य का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे नहीं हैं। मंत्री जी को इधर ध्यान देना चाहिये। जो मंत्रिगण अपने विभागों की ओर से सतर्क रहते हैं उनके अधिकारी थोड़ा-सा दब कर कार्य करते हैं, मनमानी नहीं करते। परन्तु जो मंत्रिगण उनके ऊपर कार्य को छोड़े रहते हैं वे मनमानी करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी शिकायत पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। हमारे जिले में एक पक्की सड़क का निर्माण हो रहा था जो १४ मील की थी। अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिलाया कि अगर उसकी मिट्टी की भराई जनता कर दे तो वह पक्की बन जावेगी। जनता ने ४ और ५ फीट तक मिट्टी की भराई की और प्लानिंग की ओर से ४ मील पर ५०,६० हजार रुपया लगाकर ईंटें वहां बिछाई गईं। मैंने अधिकारियों से कहा कि आप उतनी ही सड़क पक्की बनावें जितनी ठीक से बना सकें, लेकिन वे नहीं माने और आज यह हालत है कि जनता उस सड़क से निकलने के लिये परेशान है और ईंटें टूट कर रोड़ा हो गई हैं।

हमारे यहां प्रदर्शनी लगती है। मुझे तो इस साल पता लगा कि उसकी म्यूजिक कान्फ्रेंस के लिये टिकट जिलाधीश महोदय, तहसीलदार और थाना इनचार्ज के द्वारा देहातों में बटवाते हैं। अगर १०, २० रुपये के टिकट हों तो दूसरी बात है मगर वे तो २५० रुपये तक के होते हैं। म्यूजिक कान्फ्रेन्स को देहात की जनता क्या समझे? लेकिन देहात के लोग थानेदार और तहसीलदार के डर से पैसा देते हैं। मेरे सामने यह बात आई। तहसीलदार का तो कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसने कहा कि मैं क्या करूं, अगर टिकट नहीं बिकते हैं तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस तरह की मनमानी किसी अधिकारी के द्वारा जनता के साथ नहीं होनी चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, जो बजट पेश है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने दोनों पक्ष के लोगों की बातों को गौर से सुना। क़ब्ल इसके कि मैं बजट के बारे में कुछ कहूं, मैं माननीय विभव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ट्रेजरी बैंच पर होते हुये भी ठिकाने से आलोचना की है। मुझे आशा तो सबसे यही थी, चाहे कोई माननीय सदस्य किधर भी बैठें हों। हम लोग यहां जनता से चुनकर इसीलिये आये हैं कि सही बात सरकार के सामने रखें, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि चन्द लोग कुछ मजबूरियों की वजह से उस बात को यहां कह नहीं पाते हैं।

श्री जगदीश नारायण (जिला मुरादाबाद)---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि क्या ऐसा यहां कहा जा सकता है कि मजबूरियों के कारण कुछ सदस्य नहीं कह पाते हैं?

श्री अधिष्ठाता---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। माननीय लारी जी सुन्दर भाषा का प्रयोग करें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---कोशिश तो मैं यही करता हूं। मैं हिन्दी के शब्द बोलना चाहता हूं, नया हूं, इसलिये अगर कोई गल्ती हो तो वापस लेने के लिये तैयार हूं।

माननीय लक्ष्मीनारायण जी ने डिबेट शुरू करते वक्त कहा था कि यह बजट अति सुन्दर है, अति सुन्दर है, लेकिन जब उसकी वह विवेचना करने लगे तो आखिर में आगरे जिले के कत्लों का वह जिक्र करने लगे। तो मालूम हुआ कि नित्य हफ्ते में २,२ और ४, ४ कत्ल और डकैतियां हो रही हैं। तो अगर उनकी सुन्दरता के मानी यही हैं कि राज्य में कत्ल हों, डकैती हों और पुलिस पर बराबर रुपया खर्च होता रहे, गजेटेड आफिसर्स बढ़ाये जायं, अगर वे इसी चीज को सुन्दरता समझते हैं तब तो वाकई बात सही है और अगर उन्होंने किसी मजबूरी से सुन्दर कहा हो और उनके दिल में ये भाव हों कि ज्यादती बहुत ज्यादा है, चोरी डकैती और रहजनी बढ़ रही हैं, पुलिस पर शासन होना चाहिये, पुलिस को दबाना चाहिये, यह इन्तजाम ठीक नहीं है, यह सब होते हुये खर्चा हुआ है तो मेरा खयाल है कि मैंने जो कहा है, वह गलत नहीं है।

हमारे माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने इधर के पक्ष वालों पर एतराज किया और कहा कि १२ करोड़ का बजट ११२ करोड़ का हो गया है, यह बड़ी खुशी की बात है, इस पर धन्यवाद देना चाहिये था। बजट इतना ज्यादा बढ़ गया इसमें तरक्की भी हुई है, जरूर धन्यवाद की चीज थी, लेकिन कब ? जब कि इसके साथ-साथ जो खर्चा बढ़ा है उसमें अच्छाई की चीजें भी बढ़ी हों, लेकिन जब हम सरकारी रिपोर्ट को देखते हैं तो मालूम होता है कि चोरियां बढ़ी हैं, डकैतियां बढ़ी हैं,कत्ल बढ़ गये हैं, फांसी की कोठरियां बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, जेलों में बहुत ज्यादा लोग भरे जा रहे हैं। क्या श्रीमन्, ऐसी हालत में किसी भी प्रान्त को, किसी भी देश को, सुन्दर कहा जा सकता है ?

किसी भी तरक्की का मयार क्या होता है ? मैं कहता हूं कि उसका मयार इन्हीं चीजों से देखा जायगा कि उनका करेक्टर कैसा है। तरक्की का दारोमदार इसी चीज पर है कि इखलाक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, लेकिन जब मैं इस निगाह से यहाँ देखता हूं तो पाता हूं कि हर जगह यहां भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चोरी-बेईमानी बढ़ी है। आज प्लानिंग का युग है। इसी सदन में सदन के माननीय सदस्यों ने इर्रीगेशन मिनिस्टर से सुना होगा कि गोंडा में एक सेंटर बना जिस पर एक लाख छिआसी हजार रुपया खर्च किया गया। वह मकान पारसाल बन कर तैयार हुआ और शायद उसका बिल भी समूचा पेमेंट न हुआ होगा कि २७ हजार रुपया रिपेयर के लिये पास हो गया। शाही जमाने के पुराने मकान अभी पड़े हुये हैं, अगर उनको तुड़वाया जाता है तो मुश्किल होती है, लेकिन आज हमारी मह विकास योजना इस तरह की है कि उनके मकानों के बनाने का और मरम्मत का बिल दोनों साथ-साथ पेमेंट किये जाते हैं। श्रीमन्, बजट की रकम जरूर बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही साथ फिजूलखर्ची भी उसी तरह बढ़ी है।

मिहरबानसिंह जी ने कहा कि इधर के जो भी लोग हैं वे भलाई की बातें नहीं गिनाते हैं। हमें १० मिनट का तो टाइम मिलता है। अगर उनकी तरफ भलाई गिनाते रहें, और भलाइयों से चौगुनी बुराई गिनाते रहें तो क्या हमें उसके लिए समय मिलेगा ? हमें तो देखना यह चाहिये कि जो ११२ करोड़ रुपया खर्च के लिये दिया जाता है उससे जनता का कितना काम होता है। अगर ११२ करोड़ रुपये से चांदी या सोने की सड़क थोड़ी दूर के लिये बना दी जाती तो वह बन तो जाती, लेकिन उससे हासिल क्या होता। हमें इस 'हासिल' को देखना है नहरें बनी हुई हैं, लेकिन पानी गायब है। ट्यूबवैल्स लगे हुये हैं, लेकिन बिजली गायब है। इस तरह उनके बनने से फायदा क्या है ? खुद आखिर में मिहरबानसिंह जी कहते हैं कि प्लानिंग में गड़बड़ी है। मैंने कहा कि उतना बनाइये जितना बन सके, लेकिन वह नहीं माने और बेढंगे तरीके से रुपया लगा दिया गया। इसलिये यह ११२ करोड़ जो बजट का रुपया है वह सोच-समझ कर खर्च करना चाहिये। यह रुपया जनता की बड़ी गाढ़ी कमायी का है, यह गरीबों से टैक्स के रूप में आया है, इसका सदुपयोग होना चाहिये। बहुत दफा ऐसा होता है कि जनता की शिकायतें अधिकारियों को लिख कर भेज दी जाती हैं, लेकिन जब मंत्रियों से उसके बारे में कहा जाता है तो मंत्री मजबूरी जाहिर करते हुये कहते हैं कि

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

प्रापर चैनल से कागज आने में कुछ देर लग ही जाती है, देर ही हो जाती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी धांधली है और अगर आप यहां नहीं कह सकते, कोई मजबूरी है तो कम से कम अपनी पार्टी के अन्दर तो जोरदार शब्दों में कहें, जिस से ये बुराइयां दूर हो सकें।

बजट के मौके पर बहुत से लोगों ने पिछले साल सुझाव पेश किये थे और मुझे आशा थी कि उनके मुताबिक कुछ सुधार होगा, लेकिन इस बजट को देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मैंने देखा कि ज्यादातर रुपया घुमाफिरा कर अधिकारियों पर खर्च किया गया है और जो इंजीनियर वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी होता है, देश का विकास कर सकता है उसके द्वारा आज ज्यादा खराबी पैदा हो रही है। अगर आप एक-एक काम की जांच करायें तो आपको मालूम होगा कि कितने काम खराब हो रहे हैं। ऐसी दशा में कितना ही खर्चा क्यों न हो देखना यह है कि अच्छाई की मद में कितना रुपया खर्च हुआ है।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आजकल प्रयोग जनता पर किये जाते हैं और जब प्रयोग विफल हो जाते हैं, जनता काफी बरबाद हो जाती है तब वह चीज हटाई जाती है। पिछली दफा डिबेट में यह जिक्र हुआ था कि बीज वितरण में काफी गड़बड़ी हुई है। लेट पैंडी के बदले में अरली पैंडी का ऐसा बीज दे दिया गया जिससे सारी फस्ल बरबाद हो गई। अधिकारियों ने कह दिया कि गलती से गलत बीज दे दिया गया, लेकिन लगान में कोई रियायत नहीं की गयी। इस तरह से किसानों के ऊपर प्रयोग किये जाते हैं। अधिकारियों का तो यह कहना काफी होता है कि उनसे गलती हो गयी, लेकिन उन किसानों के दिल से तो पूछो जिनके बच्चों का दारोमदार ही उसके ऊपर होता है। उनकी जिन्दगी खत्म हो जाती है।

इसी तरह अबकी साल बलिया बार्ली और ५५१ नंबर का गेहूं कृषि विभाग द्वारा किसानों को दिया गया जो बिलकुल विफल रहा। बलिया बार्ली बिला बाल लगे सूख गया और गेहूं खेत का खेत बिला बालों के काले डन्ठलों के साथ खड़ा है। इसका बोझ-बोझा काट कर किसानों ने माल मंत्री को जब वह उधर गये थे दिखलाया था, लेकिन कोई फिक्र सरकार को उसकी नहीं हुई है। नहर चली। किसानों की जमीन ली गयी, लेकिन कागजात से उनका नाम आज तक खारिज नहीं हुआ। मुआवजा देना तो दूर, अब भी लगान उनसे वसूल किया जाता है। गरीबों पर सरकार का पैसा बाकी नहीं रहना चाहिये लेकिन मिल वालों पर जहां लाखों रुपया सरकार का बकाया है, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कहा जाता है कि मिल बंद हो जायगी, लेकिन किसानों के बैल खोले जाते हैं, रस्सी लगा कर उनको बांध कर बंद कर दिया जाता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों से कोई गलती हो जाती है तो उनको नहीं बांधा जाता है। इस पर कहा जाता है कि समाजवाद लाना चाहते हैं। मेरे एक माननीय मित्र कहते हैं कि हालत बदली है। हां, हालत बदली है और यही बदली है कि अमीर ज्यादा अमीर हुआ है और गरीब ज्यादा गरीब हुआ है। जिनके पास कुछ शक्ति थी जिनके पास बुद्धि थी, जो जरा चतुर थे, पढ़े-लिखे थे, उनकी चार-चार कोठियां बन गयी हैं, उनकी फैक्टरियों की तादाद बढ़ गयी है, उनके पास धन और सम्पत्ति और ज्यादा बढ़ गयी है। मगर जो सीधे-साधे थे, गरीब थे उनकी गरीबी बढ़ी है।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ एक खास बात और है। किसी जमाने में हमारे परदादा रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ते थे और ५० मील गोरखपुर पैदल चले जाते थे, लेकिन आज क्या हालत है? आज अगर मुझको ऐशबाग या चारबाग तक जाना होता है तो बगैर रिक्शा के नहीं चल पाता हूं। परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। लोग मशीनों से आटा पिसवाने लग जाते हैं और तरह-तरह के घरेलू कामों में मशीनों का प्रयोग होने लग जाता है, लेकिन

इसके माने यह नहीं हैं कि हमारा जीवन-स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, हम अमीर हो गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य और माननीय मंत्रिगण स्वयं इन बुराइयों को, जो इस बजट के वक्त उनके सामने पेश की जाती हैं, देखें और जांच करें।

कहा जाता है कि कोई सुझाव नहीं दिये जाते। किस तरह के सुझाव दिये जायं? एक मर्तबा नहीं, सौ-सौ मर्तबे सुझाव दिये जाते हैं लेकिन उन पर क्या कार्यवाही होती है? जब तक देश प्रेम या डर अधिकारियों के अन्दर उत्पन्न नहीं होता तब तक उन सुझावों पर अमल होना सम्भव नहीं है। या तो देश का प्रेम हो या डर हो। न तो आज अभी तक उनके अन्दर देश का प्रेम ही पैदा हुआ है और न डर ही है। डर इसलिये नहीं है कि जो भाई-भतीजावाद और रिश्ता नातावाद आज हमारे यहां चल रहा है उसके कारण वे समझते हैं कि हमें डर किसका है। हमारा तो कोई न कोई आदमी मिनिस्ट्री से लगा हुआ जरूर पड़ा हुआ है। जहां तक देश प्रेम का सम्बन्ध है वह इसलिये नहीं है कि जब वह यह देखता है कि हमारे ही यहां का दूसरा अधिकारी है जो लखनऊ में दो-दो कोठियां बनवाये हुये हैं तो हमीं क्यों पीछे रहें? तो जब तक हमारे मंत्रीगण कमर कसकर तैयार नहीं हो जायेंगे और स्वयं या किसी प्राइवेट आदमी को भेजकर उन तमाम बातों की जांच नहीं करेंगे जो यहां कही जाती हैं तब तक ये बुराइयां कभी दूर नहीं हो सकतीं, अधिकारियों का कलेजा बढ़ता ही जावेगा और ब्यूरोक्रेसी का बोझ हम पर लदता ही चला जावेगा। मंत्रीगण कुर्सी पाने के पहले जैसे कार्य करते थे वैसे कार्य करें कोई शिकायत आवे तो फौरन उसकी सर-प्राइज विजट करें, एम० एल० ए० लोगों की कमेटी बनाकर उसकी जांच करावें तब काम चलेगा।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह विवाद आज दो दिनों से चल रहा है। मैं सोच रहा था कि चाहे इधर के और चाहे उधर के माननीय सदस्य कोई ऐसे ठोस उपायें बतावेंगे जिनसे इन दुर्दशाओं को दूर किया जा सके। किन्तु वही पुरानी परिपाटी है। उसी का पिष्टपेषण होता चला आ रहा है। मैं एक कम बोलनेवाला और पार्लियामेंटरी पद्धति का कम जानने वाला सदस्य हूं। किन्तु मेरी बुद्धि से जो थोड़े से सुझाव इस विषय में हैं उनको रखना चाहता हूं।

मैं सभी से, चाहे इधर के और चाहे उधर के हों, निवेदन कर रहा हूं कि जो बजट केवल भौतिकवाद के आधार पर आयेगा और जो योजनायें वह प्रस्तुत करेगा वह इसी तरह से अधूरी रहेंगी। इस पर न हमारे देश के बड़े-बड़े विचारकों का दृष्टिकोण स्थिर है और न हमारा। यह एक ऐसा देश है जहां पर ६ ऋतुएं मिलती हैं। ६ ऋतुओं वाला देश वही होता है जहां धर्म, न्याय, संस्कृति, श्रद्धा, दया और क्षमा आदि बातें पायी जाती हों। इनका श्रेय अगर किसी को है तो वह भारतवर्ष को है।

भारतवर्ष का हृदय उत्तर प्रदेश है, जहां पर २४ अवतार भी हुये हैं, उस प्रदेश का बजट जिस मंत्री द्वारा पेश किया गया है, उसका एक बहुत बड़ा भाग्य है और होना चाहिये, लेकिन जो उपाय, जो आलोचनाएं उपस्थित की जा रही हैं, वास्तव में विचार करें तो उससे कल्याण होने का नहीं है। उदाहरण स्वरूप यह एक ऐसा देश रहा है जो अपनी प्राचीन परम्पराओं के नाते विश्व का एक नेता रहा है। धीरे-धीरे उन प्राचीन परम्पराओं से विश्वास उन लोगों का हटता जा रहा है। यह हमारी एक बहुत बड़ी कमी है और मेरा दावा है कि अगर आप अपने उन प्राचीन महर्षियों के बताये हुये मार्गों पर नहीं चलते हैं, जब तक आप अपनी प्राचीन पद्धति का पूर्णरूपेण अनुसरण नहीं करते हैं, तो आप इस भौतिक कामों में लोगों को ज्यादा बिजली दिला के, सब लोगों के लिये सड़कें अच्छी तरह बना के, नहरें ज्यादा बना के, अपने देश को उतना सम्पन्न नहीं बना सकते हैं, अपने चरित्र को उतना ऊंचा नहीं उठा सकते हैं।

मैं सोचता यह हूं कि जो कुछ किया जाता है, बाहर के देशों की एक बहुत बड़ी नकल कर ली जाती है। विशेषज्ञ जो आते हैं कि हमारे देश के आधार का नक्शा बनावें, उसमें बाहर के लोगों का विशेष हाथ रहा। उन्होंने जो भी प्लान बनाया, जाहिर है कि वे एक प्रयोग करते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

चले जाते हैं जो भारत के बिलकुल प्रतिकूल होगा । इस नाते कि भारत की एक अपनी प्रकृति है, मालूम होता है कि उन्होंने उसके अनुसार प्लान नहीं बनाया । जहां तक काल और दुष्काल का सम्बन्ध है, यह बराबर आया है और आता रहेगा । राम राज्य में भी यह बात हुई, लेकिन हमको, आपको इस सम्बन्ध में यह देखना है कि हम उन महर्षियों के मार्गों पर कैसे चलें । जो देश के बड़े-बड़े विचारक हैं, वे अपनी प्राचीन पद्धतियों के विषय में, अपने चाल-चलन के विषय में अधिक विश्वास नहीं रखते । तो ऐसी दशा में मेरी प्रार्थना है और मेरा अनुरोध है कि अगर आप आध्यात्मिक तौर से कोई योजना लागू करें तो वह ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छी होगी । उत्तर प्रदेश के अन्दर जो यह विधान सभा है, यहां पर इस राज्य के ७ करोड़ व्यक्तियों के लिये विधान बनाया जाता है । लेकिन जब इसकी कार्यवाही आरम्भ होती है तो कोई प्रार्थना नहीं की जाती । कोई वेद मंत्र भी नहीं पढ़ा जाता है । तो ऐसी दशा में जब आप कोई कार्यवाही समाप्त करते हैं, वह अगर शान्तिपाठ के साथ हो तो जो कुछ त्रुटियां बाद में आती हैं उनका शमन हो जाता है । मेरी यह बात हंसी की होगी और मेरे कहने से बदल भी नहीं सकती, लेकिन मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष के आने के पश्चात् वेदपाठ से कार्यवाही शुरू हो तो ज्यादा मजबूती होगी और यह अच्छा भी होगा ।

बजट के विषय में मैं क्या बतलाऊं ? हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानते हैं और सभी जानते हैं कि वह बन भी चुकी है । मेरी जो कुछ बजट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जब मैंने बजट को पढ़ा तो उसमें मुझे सबसे त्रुटिपूर्ण बजट संस्कृत के विषय में ही पढ़ने को मिला । उसके लिये बहुत अल्प मात्रा में बजट रखा गया है । आपको स्मरण होना चाहिये कि अगर आपने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना लिया है और वह बन चुकी है, तो उसकी माता जो संस्कृत है, उसके भंडार को आपको बढ़ाना होगा । यह संस्कृत कैसे जीवित रही ? संस्कृत पाठशालाओं के उन विद्वानों के त्याग से जिन्होंने अपने गांव की एक छोटी सी कुटिया में इस संस्कृत भाषा की पाठशालाओं को और इस संस्कृत भाषा को नाममात्र रखा । राज्याश्रय उनको प्राप्त नहीं था अगर था भी तो बहुत नाममात्र का, लेकिन किसी तरह से उन्होंने संस्कृत को जीवित रखा । अब दस साल से राज्य अपना है, हिन्दी राष्ट्र भाषा है, उस को आगे बढ़ाना है । संस्कृत पाठशालायें जहां थी वहीं रहीं । हमारे यहां दूसरी मदों की शिक्षा पर कम व्यय हो रहा है यह एक कमी है, लेकिन उसमें भी संस्कृत के लिये बहुत ही कम स्थान है । जबतक आप संस्कृत को उन्नतिशील नहीं बनायेंगे तबतक हिन्दी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते । मेरी इधर के और उधर के सभी लोगों से प्रार्थना है और माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष रूप से प्रार्थना है कि वह इस प्रकार का बजट बनायें जिसमें संस्कृत के लिये रुपया कुछ अधिक रखा जाय । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देश के बड़े विचारकों ने मिलकर जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है, वह मांग अधूरी ही रह जायगी । इसमें केवल ५० हजार रुपया प्रदेश की पूरी संस्कृत पाठशालाओं के भवन निर्माण के लिये रखा गया है, आजकल कहीं से चन्दा भी नहीं मिलता, कोई सहायता नहीं है और एकमात्र राज्याश्रय से ही काम चल सकता है । यह ५० हजार रुपये की रकम इस कार्य के लिये बहुत ही कम है ।

दूसरी बात यह है कि यहां की जितनी भी चीजें हैं उनमें यहां की अपनी पुरानी प्रणाली को नहीं अपनाया जाता है बल्कि हर चीज के लिये पाश्चात्य देशों के या अमेरीका के लोग बुलाये जाते हैं और उनकी राय से काम किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि हमारी योजनायें बहुत खर्चीली हो जाती हैं । अगर अपने ही यहां के लोगों के सहयोग से और सहायता से काम किया जाय तो अच्छा है, अमरीकन विशेषज्ञों की राय से पंचायत आदि बनायी गयीं लेकिन काम अधूरा रह गया ।

पंचायत हमारी एक इकाई है अपने शासन की, लेकिन वहां के सभापतियों के और पंचायतों के पास न कोड़ी है न अधिकार है । ब्लाक्स को, प्लानिंग विभाग से रुपया मिलता है, लेकिन वह पैसा इंस्पेक्टर्स खर्च करते हैं, अगर वह पैसा सीधे गांव सभाओं को दिया जाता और उन

से कहा जाता कि तुम प्रबन्ध करो तो हो सकता है कि शुरू में कुछ गड़बड़ी होती, लेकिन बाद में वह समझ जाते कि अब काम हमको ही करना है तो वह अच्छा काम करने लगते। जो काम अब दस हजार में होता है वह काम दो, ढाई हजार में कर लेते । उन को अब तक कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं । अगर दोनों तरफ के सदस्य राजी हो जाते तो जो इंस्पेक्टर्स वाउचर बनाते हैं वह ग्राम सभाओं के लोग ही बना लेते । हमारे यहां घोसी में एक ब्लाक है और वहां ५०-६० लाख रुपया ब्लाक में खर्च हुआ है, वहां के गांव वालों की जो १००-२०० पंचायतें हैं उन की राय से काम होता तो काम आगे बढ़ सकता था । वहां दो चीजें चलती हैं एक गांव सभा और दूसरा गांव समाज, गांव समाज के लिये लेखपाल होता है और गांव सभा के सेक्रेटरी होते हैं । दोनों को एक में मिला देते क्योंकि लेखपाल काम नहीं करते ।

एक आखिरी बात और है, मेरा सुझाव है कि आप चाहे जितनी स्कीमें चालू करें उनसे कुछ लाभ नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि इधर के और उधर के लोग सुन लें, उचित हो तो माना जाय । जहां आपका लाखों और करोड़ों की तादाद में रुपया खर्च होता है वहां मेरा निवेदन है कि गांवों में प्रार्थना सभायें स्थापित की जायं । जहां पर प्राइमरी स्कूल हैं वहां संस्कृत पाठशालायें उनसे मिला दी जायं और वहां के हर गांव में सायंकाल के समय चरित्र-निर्माण की शिक्षा दी जाय । यह एक ऐसी योजना होगी जो सारे प्रदेश का चरित्र-निर्माण कर देगी । जब तक इस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा नहीं दी जाती तब तक इन योजनाओं में सिवा गड़बड़ी के और कुछ नहीं हो सकता । मेरी यह बात सुझाव के रूप में मान लें कि हर स्कूल में या संस्कृत पाठशाला में जो अध्यापक हों वे गांव में जाकर रात्रि के समय चार-पांच गांवों के आदमियों को बुलाकर कुछ अच्छी बात करे और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करायें तो चरित्र का बड़ा निर्माण होगा । यह सब सोचने की बात है । अगर हमारा चरित्र नहीं उठा, असत्यता हमसे दूर नहीं हुई, शराब को नहीं छोड़ा और अंडा खाना बन्द नहीं किया गया, आज कल ज्यादातर तादाद अब हमारी पिंडज के बजाय अंडज हो रही है इस नाते कि अंडा खाने वालों की तादाद अधिक है इस से अंडज ही संतान उत्पन्न होगी । उनकी बुद्धि भी अंडज की तरह होगी । कल हमारी बहन ने यह प्रार्थना की कि शराब का पीना बन्द कराया जाय । वहां पर मैं कहूंगा कि अंडे का खाना भी बन्द हो । अगर अंडे का खाना बन्द नहीं किया जाता तो अंडज प्रकृति के लोग पैदा होंगे । उनकी विचारधारा और कार्यक्षमता अंडज प्रकृति के मुताबिक होगी, जो भारत के लिये हानिप्रद होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं क्षमा याचना करते हुये माननीय वित्त मंत्री ने जो केवल भौतिक आधार पर बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे दुर्भाग्य से उधर के माननीय सदस्यों ने बजट की आलोचना करते हुये उसको समाजवादी कहा है। उन्होंने कहा है कि यह बजट समाजवादी है और समाजवाद की ओर ले जाने वाला है। मान्यवर, जहां तक वे इस बजट के समर्थन में भाषण देते और बजट की सराहना करते मुझे कोई एतराज न होता, लेकिन जब वे इस बजट को समाजवादी बजट कहते हैं और समाजवाद की स्थापना करने में आगे बढ़ने की ओर प्रान्तीय सरकार का एक कदम बतलाते हैं तो मुझे क्लेश होता है । मैं नहीं समझ सका बावजूद बजट के अध्ययन के और बावजूद अपने उधर के दोस्तों के भाषणों के कि इसमें समाजवाद की कहीं पर भी कोई बू आती है । मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा यह प्रकट करना चाहता हूं कि जब बराबर विरोधी पक्ष की ओर से सरकार की निरन्तर आलोचना होती रहती है कि हमारे प्रदेश में डकैतियां, कत्ल, घूसखोरी आदि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं तब हमारी सरकार को तथा हमारे वित्त मंत्री को बजट बनाते समय, समाजवाद की बात तो दूर है कम से कम कोई ऐसी बातें करनी चाहिये थीं जिनसे इस सदन के माननीय सदस्यों को और बाहर खड़ी छः करोड़ जनता को विश्वास होता कि अब यह निरन्तर बढ़ने वाली बुराइयां रोकी जायंगी । मैं यह समझता कि यह बजट समाजवादी बजट है अगर इसमें कहीं पर यह संकेत होता कि गरीबों की गरीबी दूर होगी और अमीरों की अमीरी दूर होगी, लेकिन इस बजट के अन्दर माननीय

[श्री देवनारायण भारतीय]

वित्त मंत्री ने कोई भी ऐसी बात नहीं बतलायी है कि जिससे यह प्रकट होता कि कोई भी संकेत ऐसा है जिससे कि आमदनी सीमित होती, जिससे यह मालूम होता कि इस आमदनी से कम आमदनी वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जायगा और इससे ज्यादा आमदनी वालों पर टैक्सों की तादाद ड्योढ़ी या दूनी कर दी जायगी, तब मैं समझता कि यह अमीरों की अमीरी को कम करने के लिये और गरीबों की गरीबी को कम करने के लिये है, लेकिन आमदनी की कोई ऐसी सीमा माननीय वित्त मंत्री ने निर्धारित नहीं की। उनको ऐसा विभाजन करना चाहिये था कि इतनी से कम आमदनी वाले गरीब हैं और इससे अधिक आमदनी वाले अमीर हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा विभाजन नहीं किया जिससे हम लोग यह समझ सकते कि यह समाजवाद की ओर ले जाने वाला बजट है तथा यह अमीरों को कम अमीर और गरीबों को कम गरीब बनाने वाला बजट है।

मैं समझता हूं जितनी भी योजनाओं का माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया है उनसे जनता का कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह कह सकता हूं कि अब तक जितनी भी योजनायें थीं वह सब निष्फल हुईं और उनसे कोई ऐसा परिणाम नहीं निकला है जिससे हमारे देश में जो तकलीफें थी वह दूर होतीं। मिसाल के लिये मैं बताना चाहता हूं कि खाद्यान्न की समस्या है। खाद्यान्न की समस्या आज से १२ वर्ष पहले जब कि सन् १९४६ में कांग्रेसी मंत्रिमंडल कायम हुआ था तब से आज तक ज्यों की त्यों मौजूद है। आज भी हम विदेशों से आये हुये अन्न पर अपना जीवन-निर्वाह कर रहे हैं। क्या यह हमारे लिये, हमारी योजनाओं के लिये और हमारे वित्त मंत्री के समाजवादी बजट के लिये कोई प्रतिष्ठा की बात है? अगर इन योजनाओं में यह कोशिश की गई होती कि हमारे अन्न की पैदावार बढ़े और इस हद तक बढ़े कि हमें विदेशों के अधीन अन्न के लिये न होना पड़े अपना पेट भरने के लिये, तो मैं समझता हूं कि यह बजट हमको समाजवाद की ओर ले जाने वाला होता।

मैं इस बारे में कुछ सुझाव भी माननीय वित्त मंत्री के सामने, श्रीमन्, रखना चाहता हूं। जितने भी कृषि विभाग के बड़े-बड़े उच्च अधिकारी हैं जो कि हजारों रुपया मासिक वेतन पाते हैं, हमारी सरकार उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डाले कि उनको प्रान्त के अन्दर इतना अन्न पैदा करना होगा जिससे कि हमारा प्रान्त भुखमरी का शिकार न हो, हमारे प्रान्त को बाहर से अन्न न मंगाना पड़े और हमारा प्रदेश स्वावलम्बी हो, अपनी जरूरत को अपनी पैदावार से पूरा कर सके। कृषि विभाग के उच्च अधिकारी इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें और सरकार उनके ऊपर इस जिम्मेदारी को डालें तो मैं समझता हूं कि इस ओर हमारी सरकार का प्रयत्न सफल योजना होगी। आज कृषि विभाग पर खर्चा बढ़ता जाता है, सरकारी फार्मों पर लाखों और करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं, कालोनीज बसाते हैं, लेकिन आप इस बात की तैयारी नहीं करते कि आप अपने यहां इतना अन्न पैदा कर लें जिससे कि आपको समय-समय पर भुखमरी और अन्न की जरूरत का शिकार न होना पड़े। मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि वह कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाले, वे इसी बात के लिये इतनी तनख्वाह पाते हैं कि वे ऐसी योजनायें स्वयं बनायें और उन्हें सरकार के सामने रखें, सरकार उनका सहयोग ले, उनके कहने के अनुसार जितना भी वह आवश्यक बतलायें उतना पैसा खर्च करे, लेकिन यह जिम्मेदारी कृषि विभाग के उन अधिकारियों के ऊपर ही हो कि वह प्रान्त की जरूरत के अनुसार अन्न पैदा करें। मैं इसी सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारी फार्म हमारे प्रान्त में जगह-जगह पर मौजूद हैं, हमारी सरकार की अधीनता में चल रहे हैं, जिनके खर्चे के लिये इस बजट में प्राविजन किया गया है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उन फार्मों के अधिकारियों के ऊपर एक टार्गेट बना दिया जाय कि इतना खर्च करके कम से कम इतना अन्न वर्ष के अन्दर उन्हें पैदा करना होगा। अगर वह पैदा नहीं करते हैं तो वह अयोग्य साबित होंगे और निकाल दिये जायेंगे। इन शर्तों के साथ उन सरकारी फार्मों को चलाया जाय और उनके लिये जो प्राविजन बजट में किया जाय वह इस बात को ध्यान में रखकर किया

जाय कि वह उस टार्गेट को पूरा कर सकें । मैं समझता हूं कि अगर इन सख्तियों के साथ यह सरकारी फार्म और कालोनाईजेशन स्कीमें चलाई जायं तो इस बजट को माननीय वित्त मंत्री विरोधी दल की तरफ से समाजवादी बजट कहलवाने में समर्थ होंगे ।

हमारे देश में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है, आज भी हमारे नेता माननीय राजनारायण सिंह जी ने जिक्र किया, और हमारी सोशलिस्ट पार्टी का यह सुझाव पहले से था, कि अन्न सेना बनायी जाय अथवा भूमि सेना बनायी जाय और उसमें जो ऐसे किसान हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको उस सेना में भर्ती किया जाय । और उस सेना के द्वारा अन्न की ही पैदावार करायी जाय। उनको अन्न पैदा करने के लिये भूमि दी जाय और उसे जोतने के लिये साधन दिये जायं और फिर उस लाखों एकड़ जमीन से अपने प्रान्त की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रयत्न कराया जाय । तो मैं समझता हूं कि जो अन्न का संकट साल-ब-साल आता है, जिसके लिये अरबों रुपया हमको बाहर से अन्न मंगाने में खर्च करना पड़ता है, वह दूर हो जाय और हमें यह संकट बार-बार न देखना पड़े ।

इस सम्बन्ध में एक और सुझाव सरकार के सामने देना चाहता हूं । अन्न की पैदावार को बढ़ाने के सम्बन्ध में हमारे माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने और उनके और भी अनेक साथियों ने इस बात को कहा है कि सिंचाई की दर बढ़ जाने के कारण लोग सिंचाई नहीं करते। बावजूद इसके कि सिंचाई के साधन देश में बढ़ गये हैं लेकिन वह रकबा कम हो गया है कि जो सींचा जाता है । आखिर इस पर विचार करना था कि इसका कारण क्या है ? आप जबतक आबपाशी की दर को कम नहीं करेंगे तबतक लोग आबपाशी ही नहीं करेंगे और जब आब-पाशी नहीं होगी तो पैदावार उत्तरोत्तर कम होती चली जायगी । आज भी आंकड़े सदन में पेश किये गये जिनसे यह साबित होता है कि प्रदेश की पैदावार कम होती जा रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले १० वर्षों में आबपाशी की दर सरकार ने तिगुनी, चौगुनी कर दी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक वह, जैसी हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग रही है, आबपाशी की दर को उसी पैमाने पर नहीं लायेगी जो सन् १९४७ में अंग्रेजों के जाते समय थी और इसको नहीं मानेगी, तबतक इस प्रान्त की पैदावार बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं होगी । मैं एक और सुझाव सरकार के सामने. . .

श्री अधिष्ठाता—आपके २ मिनट और बाकी हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कम से कम ५ मिनट का समय और दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय—चूंकि समय कम है इसलिये मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। मुझे हाल में ही एक बात मालूम हुई और वह यह कि हमारे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जो बड़ी-बड़ी तनख्वाह पानेवाले हैं, लेकिन उनको २५,३० वर्ष तक टेम्पोरेरी रखा जाता है और टेम्पोरेरी रख कर उनसे बड़े-बड़े काम कराये जाते हैं और उसके बाद उनको जब समझा जाता है कि यह गैर जरूरी हैं तभी उनको १ महीने की नोटिस दे करके अलग कर दिया जाता है जिसका परिणाम वही बातें हैं जो सदन में बराबर हमारे सामने आती रहती हैं। हमने देखा है कि साल पूरा नहीं हो पाया है लाखों रुपये लगाकर सरकारी इमारत बनाई गई और वह एक साल के अंदर ही बरसात में गिर गई । आखिर इसका कारण क्या है ? जब कि उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है और वह जानते हैं कि उनको जब चाहे निकाल कर अलहदा किया जा सकता है तो ओवरसियर्स और इंजीनियर्स की जो १५ प्रतिशत घूस अथवा कमीशन मुकर्रर है, उसे खाना तो ईमानदारी में हासिल है। टेम्पोरेरी होने की हालत में १५ प्रतिशत के बजाय ५० प्रतिशत लेने में भी गुनाह नहीं समझते और लाखों रुपये की जो इमारतें बनती हैं, वह इतनी

[श्री देवनारायण भारतीय]

कमजोर बनती हैं कि साल पूरा नहीं हो पाता है और वह गिर जाया करती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इनके टेम्पोरेरी ग्रेड को समाप्त करके इन्हें परमानेन्ट ग्रेड में रखकर टिकाऊ और मजबूत सरकारी इमारतें बनवाने का प्रयत्न करें।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इस बजट को देखने के बाद मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता चला जाता है कि वर्तमान बजट प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता---अब माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें। अब प्रश्नों के विषय पर विवाद होगा।

बलिया जिले के बिलथरा रोड और किड़हड़ापुर, स्टेशनों के गन्ने की खपत न होने से सम्बन्धित १२ फरवरी, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न १०-१२ के विषय पर विवाद

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विवाद प्रारम्भ करते हुये मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से और खासकर बलिया और आजमगढ़ जिले के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को जिले जिले के प्रभाव में न आने दें। श्रीमन्, हमारे इस सवाल का उत्तर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया था उसके पढ़ने से मालूम हुआ कि दो सोसाइटीज जिनका सम्बन्ध केन विभाग से है, उनके कारनाम क्या हैं?

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सदन के और आजमगढ़ जिले के पुराने सम्मानित नेता स्वामी सत्यानन्द जी ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जो वर्षों से चली आती है और उसके चेयरमैन इसी सदन के पुराने सदस्य श्री व्रज विहारी मिश्र हैं। वह सोसाइटी कई वर्षों से गन्ना विक्रय का काम बिलथरा रोड तथा किड़हड़ापुर स्टेशन पर हर साल विभिन्न चीनी मिलों को करती चली आ रही है और वहीं पर बलिया जिले की केन सेल सोसाइटी भी अपना व्यापार करती रही है और वर्षों से दोनों सोसाइटीज मिलजुल कर काम करती रहीं और दोनों के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी और बड़ी तत्परता के साथ काम करते हैं और गन्ना सप्लाई करते हैं। इसमें अत्युक्ति नहीं होगी यदि मैं आपके हुक्म से तीन साल के फिगर्स सदन के सामने रखना चाहता हूं:---

१---बिलथरा रोड स्टेशन पर कमलसागर सोसाइटी, आजमगढ़	..	१,०४,८७६ मन गन्ना
२---बिलथरा रोड स्टेशन पर केन सेल सोसाइटी, बलिया	..	१,३२,७४९ मन गन्ना
३---किड़हड़ापुर स्टेशन पर कमलसागर सोसाइटी, आजमगढ़	..	१,७७,५०० मन गन्ना
४---किड़हड़ापुर स्टेशन पर केन सेल सोसाइटी, बलिया	..	२,६१,९०४ मन गन्ना

श्रीमन्, इस तरह से जब हम गन्ना बेचने का अंदाजा लगाते हैं तो बिलथरा रोड स्टेशन पर कमलसागर सोसाइटी, आजमगढ़ का ४४.१ प्रतिशत और केन सेल सोसाइटी का ५५.९ प्रतिशत और किड़हड़ापुर स्टेशन पर कमलसागर सोसाइटी का ४०.४ प्रतिशत और केन सैल सोसाइटी का ६० प्रतिशत के करीब है और पुराने समय में इसका इंतजाम मिल मैनेजर करते रहे हैं।

इस वर्ष क्या हुआ कि केन सेल सोसाइटी, बलिया की जगह पर वहां के लोगों ने केन डेवलपमेन्ट कायम कर दिया और केन डेवलपमेन्ट कायम हो जाने के बाद केन अफसर, देवरिया और जो बिलथरा रोड का अफसर मुकर्रर किया गया केन विभाग का उन्होंने एक दूसरा रवैया बरता। जिसका नतीजा यह हुआ—आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और विशेष गन्ना अधिकारी की चिट्ठी मेरे पास मौजूद है—बिना आजमगढ़ के जिलाधीश के हुक्म के और आजमगढ़ की सोसायटी के हुक्म के केन अफसर, देवरिया ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज कर आजमगढ़ के कुछ व्यक्तियों तथा कुछ गांवों की पड़ताल कराई और उसके बाद बिल्थरा रोड की केन डेवलपमेन्ट सोसाइटी ने जो आफर भेजा उसी में मनमाने ढंग से आजमगढ़ सोसाइटी का भी आफर भेजा। उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने केन कमिश्नर को चिट्ठी भेजी। आजमगढ़ सोसाइटी अलग कर दी गयी। केन अफसर देवरिया उसी पर नाराज होते हैं और उनकी नाराजगी का प्रमाण मेरे पास मौजूद है। यह चिट्ठी है २७–१२–५७ की जो प्लानिंग अफसर, आजमगढ़ ने लिखी है। उन्होंने भटनी मिल को लिखा कि ३ लाख मन गन्ना आजमगढ़ में है, इसके आफर को मंजूर करो। केन अफसर, देवरिया ने उल्टा व्यवहार किया। २१ जनवरी की चिट्ठी मेरे पास मौजूद है जो कमलसागर सोसाइटी को देवरिया के मिल मैनेजर ने भेजी कि आपके और बलिया के वेगन इन्डेन्ट में १ और २ का अन्तर रहेगा। २४ से ३० जनवरी तक बिलथरा रोड स्टेशन पर आजमगढ़ की सोसाइटी ने १ और २ के अनुपात के मुताबिक गन्ना दिया लेकिन देवरिया के केन अफसर मिल मालिक पर दबाव देकर के अपनी बात मनवा रहे हैं।

खुद मैं २४ जनवरी को देवरिया गया और वहां के एम० पी० श्री रामजी वर्मा को लेकर केन अफसर से मिला। केन अफसर ने वर्मा जी के सामने मुझसे खुद कहा कि मैं जानता हूं कि आजमगढ़ में गन्ना कम है। मैंने कहा कि यह जानकारी रखने का आपका क्या सोर्स है? वे सोर्स बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ३० तारीख को मैं बिलथरा रोड आऊंगा और दोनों सोसाइटियों में समझौता करा दूंगा लेकिन वहां वे उस तारीख को नहीं आ सकें जब कि आजमगढ़ के अधिकारी मेरे साथ वहां गये हुये थे, और ३१ तारीख को यह तानाशाही आर्डर निकल गया कि १ और ५ का अनुपात रहेगा। इसका कारण यह है कि केन डेवलपमेन्ट कायम हो जाने के बाद उसके जो देवरिया के अफसर हैं वे नहीं चाहते कि केन डेवलपमेन्ट के अलावा और कोई सोसाइटी पनपे। बलिया की केन सेल सोसाइटी ने आफर भेजा उसको भी नामंजूर करा दिया गया। एक निवेदन और करूंगा कि बिलथरा रोड सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के यह सोसाइटी गन्ना बेचती चली जा रही है और केन अफसर, देवरिया उसके समर्थन में लगे हुये हैं।

एक निवेदन और है। यह हमारे पास "आज" अखबार है जो पूर्वी जिलों का मुख्य पत्र है। इसमें लिखा हुआ है। अब इस सवाल को आजमगढ़ और बलिया का सवाल वही अधिकारी बना रहे हैं जो केन डेवलपमेन्ट में हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हाफिज साहब से मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन के द्वारा जानना चाहा था लेकिन संयोग से वह प्रश्न स्थगित कर दिया गया था। उसकी जानकारी सिटिंग शुरू होने से पहले मुझे हो गयी थी। जिस दिन मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया तो माननीय अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न पूछो और उस अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर सरकार को जरूर देना होगा। उस वक्त इस गैलरी में सरकारी अफसर घूम कर देख रहे थे कि किसी तरह से यह शार्ट नोटिस क्वेश्चन मंजूर न हो। उस कामरोको प्रस्ताव के बाद माननीय अध्यक्ष के हुक्म के मुताबिक जब हमने सवाल भेजा ....।

श्री अधिष्ठाता—आप तो कामरोको प्रस्ताव और प्रश्नों के प्रोसीजर में जा रहे हैं। आप अपने विषय पर बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उसी पर कह रहा हूं। श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष के कार्यालय से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न तो स्वीकृत हो गया लेकिन मंत्री जी ने कहा कि मैं अल्पसूचना पर जवाब नहीं दे सकता।

मेरा कहना यह है कि यहां से लेकर वहां तक जो यह केन डेवलपमेन्ट विभाग है ऐसी सोसाइटीज को जो स्वयं काम करना चाहती हैं उनके रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। इन दोनों स्टेशनों पर जो अभी तक रवैया रहा है गन्ना लेने का उसमें कोई अन्तर नहीं आया है। बिलथरा रोड में जो सप्लाई हुई है और इस वर्ष जो वहां सप्लाई हो रही है उसमें महान् अन्तर है। मुझे यह मालूम हुआ है कि बिलथरा रोड के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बयान दिया है कि यहां की नई समिति में पचासों गांव और नये बढ़ाये गये हैं। यह भी कहा गया कि बिलथरा रोड पर पहले इतना गन्ना नहीं आता था। इस वक्त इतने गांव बढ़ गये कि जिसकी वजह से इतना गन्ना आता है। बलिया में गांव बढ़ाये गये हैं और आजमगढ़ में घटाये गये हैं। मेरा इतना ही इस सम्बन्ध में कहना है कि गांव चाहे बढ़े हों या नहीं लेकिन केन डेवलपमेन्ट वाले यह चाहते हैं कि आजमगढ़-बलिया का रिश्ता खत्म हो जाय। परसाल इन स्थानों से कितना गन्ना गया और इस साल कितना गया इसकी मुझे जानकारी है। केवल आजमगढ़ का बिलथरा रोड और किड़हड़ापुर दोनों स्टेशनों से पारसाल इस वक्त तक ४० हजार मन गन्ना जा चुका था लेकिन इस साल दोनों सोसाइटीज को मिलाकर उतना मन गन्ना नहीं गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके पास कौन सा तरीका है कि जिससे आजमगढ़ और बलिया जिले के किसानों का गन्ना मिलों तक पहुंचाया जाय। जहां तक इन दोनों स्टेशनों का सम्बन्ध है वहां से गन्ना भेजने का एक ही आधार है कि उनके लिये वैगन का प्रबंध किया जाय। बिलथरा रोड स्टेशन देवरिया मिल को ९ जनवरी को सुपुर्द किया गया और डिब्बा भेजने को कहा गया लेकिन २३ जनवरी तक देवरिया मिल ने कोई डिब्बा नहीं भेजा। २४ जनवरी से उसने भेजना शुरू किया। कई दिन तक किसान अपना गन्ना लिये वहां पर मरते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार इन दोनों सोसाइटीज को वैगन क्यों नहीं गन्ना के मुताबिक दिया जा रहा है? न देने का नतीजा यह हुआ है कि किसानों का गन्ना सूखने लगा है। अप्रैल के पहिले ही मिल बन्द होने वाली है। धीरे-धीरे गन्ने का वजन जो इस वक्त है वह कम होता चला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि वित्तमंत्री जी इसका समाधान करें। सरकार यह कहेगी कि हमने बहुत इन्तजाम किया और उसके लिये वैगन नहीं मिलते हैं तो हम क्या करें? मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है। किसान तो वैगन नहीं बना सकते हैं। सरकार के पास शक्ति है सरकार मिलमालिकों को मजबूर कर सकती है वैगन उनको मिलने चाहिये। मैं कहूंगा कि इन दोनों स्टेशनों पर ९ लाख मन गन्ना माना जाय कि जो इन सोसाइटियों के पास है। अगर इनको वैगन भरपूर नहीं मिले तो फिर यह गन्ना किस प्रकार से २०,२५ दिन के अन्दर भेजा जा सकेगा। सरकार मालगुजारी तो वसूल करती है और मजबूरी के साथ करती है लेकिन किसानों का गन्ना जो खेतों में पड़ा हुआ है उसको मिलों तक भेजने के लिये सरकार के पास कोई इन्तजाम नहीं है।

श्री रऊफ जाफरी—इस डिस्कशन के पहले माननीय सदस्य ने मुझसे यह कहा था..।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या हम लोगों को बाद में सवाल पूछने का मौका मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—माननीय वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदस्यों को मौका मिलेगा प्रश्न करने का और अपने विचार प्रकट करने का।

श्री रऊफ जाफरी—कल शाम माननीय सदस्य ने मुझसे यह कहा था कि इस मामले को चूंकि वह समझना चाहते हैं तो इस डिस्कशन के पहले उन्होंने वक्त चाहा था। आज १२ बजे वह मेरे कमरे में तशरीफ लाये। वहां पर केन कमिश्नर भी मौजूद थे

उस पर गुफ्तगू हुई। मुझे अफसोस है कि बावजूद उन तमाम बातों के जो कि उनके सामने रखी गईं, यहां भी उन्होंने अपने उन्हीं पुराने शुबहों को जाहिर किया कि जिनके मुताल्लिक बातें हो चुकी थीं और जिन पर एक तरह से यह भी तय हो गया था कि अगर वह और जांच करना चाहते हैं तो उनका वह तरीका मान लिया गया था। लेकिन अगर यहां बात हुई है तो उसके मुताल्लिक मैं थोड़ा-सा अर्ज करूंगा।

वहां की कमलसागर सहकारी समिति के संबंध में उन्होंने कहा कि वह बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। मेरे पास जो इत्तला है उसके लिहाज से उसकी काफी शिकायतें थीं और इतनी शिकायतें थीं कि आजमगढ़ की गांव सभाओं के जो सभापति हैं उन लोगों ने इकट्ठा होकर १२ जनवरी को एक मीटिंग की और जिसमें उन्होंने यह ख्वाहिश की कि यह बिलथरा रोड की केन यूनियन से ऐफिलियेट हो जाय। यह उन्होंने लिख कर दिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और उसकी एक प्रति उन्होंने केन कमिश्नर के पास भी भेजी।

माननीय सदस्य ने जब इस सवाल को उठाया तो मैंने इसको चेक करने और जांच करने की कोशिश की और इस कमलसागर कोआपरटिव सोसाइटी के बारे में चन्द बातें मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब हम लोग वहां गये तो देखा कि उस सोसाइटी के पास कोई सर्वे का रेकार्ड नहीं था, न प्लाटवाइज है, न विलेज वाइज, उनके पास कलेंडर भी नहीं है कि जिसके हिसाब से सप्लाई रेगुलेट होती है। लेजर भी वहां नहीं है, एकाउन्ट्स का कोई हिसाब नहीं है और इस के अलावा उस सोसाइटी के पास कोई फील्ड वर्कर भी नहीं है सिवाय एक कामदार के, एक और शख्स है। यह कामदार भी सीजनल तरीके पर रहता है और पुरजी बांटने का काम एक और आदमी के पास है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन पुरजी का कोई स्टाक वहां मौजूद नहीं पाया गया। यह उसकी हालत है।

फिर जहां तक यह सवाल है कि इन दोनों स्टेशनों से इतना-इतना गन्ना भेजा गया, इसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त केन डेवलपमेंट यूनियन आर्गनाइज्ड नहीं थी और जब यह आर्गनाइज हुई और उन्होंने दिखलाया कि इन-इन गांवों से लेकर वह गन्ना भेजा करते थे तो उन्होंने उसमें आजमगढ़ के गांव भी शामिल कर लिये। लेकिन जब कमलसागर सहकारी समिति ने एतराज किया तो उन गांवों को छोड़ दिया गया और शामिल नहीं रखा गया। उनके यहां न तो गांवों की कोई लिस्ट थी कि जहां से वह गन्ना खरीदा करते थे और न कोई रिजर्व गांवों की लिस्ट ही थी। लेकिन जो सर्वे स्क्वाड गया था उसने ५ गांव बिलथरा रोड के और ६ गांव किड़हड़ापुर के विजिट किये और देखा। गन्ना उस पूरे इलाके में कम था और आजमगढ़ में कुल १४ गांव ऐसे थे कि जिनमें गन्ना था और उन में ११ ऐसे हैं कि जो रिजर्वेशन लिस्ट में थे। इसके अलावा किड़हड़ापुर में घूम कर उन्होंने देखा कि १७ गांवों में गन्ना मौजूद था और उसके ४ गांव रिजर्वेशन लिस्ट में थे। इन ४ और ११ गांवों के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं जिनमें ११ गांवों में ३५,००० मन गन्ना है और ४ गांवों में १३,००० मन गन्ना है। लेकिन अगर यह भी मान लिया जाय, जैसा कि ११ के बजाय १४ गांव वह कहते हैं, तो ४५,००० मन गन्ना बिलथरा रोड में था और किड़हड़ापुर में ३५,००० मन गन्ना होता है, बरखिलाफ इसके जो डेवलपमेंट यूनियन है बिलथरा रोड की उसमें साढ़े तीन लाख मन गन्ना मौजूद है। कुल आफर उनका साढ़े ६ लाख का था।

इस लिहाज से वैगनों का एलाटमेंट किया गया। किसी सेंटर पर २ और ८ के हिसाब से और किसी पर २ और १० के हिसाब से वैगन्स दिये गये।

[श्री रऊफ जाफरी]

एक बात और कमलासागर का जो इलाका है उसमें गुड़ बहुत ज्यादा बनता है और कोल्हू बहुत ज्यादा है। सौ कोल्हू तो बिलथरा रोड सेंटर पर हैं और ९९ के करीब दूसरे सेंटर, किड़हड़ापुर, में चल रहे हैं। बरखिलाफ इनके, जो दूसरी यूनियनें हैं, जहां कोल्हुओं की तादाद कम है, वहां का गन्ना मिलों में ज्यादा पहुंचेगा।

इसके अलावा एक बात और है जिसकी वजह से यह अनुपात रखा गया है कि कमलसागर का जो गन्ना है वह जरा परचेजिंग सेंटर से दूर पड़ता है। वह सेंटर्स पांच-पांच और छः छः मील पर पड़ते हैं और दूसरी यूनियनों का गन्ना सिर्फ चार-चार मील पर पड़ता है, इसलिये उनको गन्ना पहुंचाने में सहूलियत होती है। मैंने जब यह सवाल आये थे उस वक्त भी जवाब में अर्ज किया था और इस वक्त भी इसका इकरार है कि बैगनों की दिक्कत रही है। हम कोशिश करते रहे हैं और माननीय सदस्यों को वह सब कार्यवाहियां बतलायी जा चुकी हैं जो इस सिलसिले में की जा चुकी हैं। हमारे अधिकारियों ने जातीय तौर पर वहां जा करके, मुलाकात करके, टेलीफोन करके, तार देकर के बातें की हैं और फिर कल जा रहे हैं। बैगनों के मुताल्लिक हम कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे कि काफी तादाद में गन्ना मिलों तक सब का सब पहुंच जाय।

एक बात और कही गयी है कि भटनी मिल में इतना गन्ना नहीं पेरा जा सकता। इस सिलसिले में मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि गन्ने का हिसाब बराबर रिवाइज होता रहता है, जहां पता चला कि इस एरिया का गन्ना बच जायगा और दूसरी मिलें उसको पेर सकती हैं तो उसको डाइवर्ट किया जाता है। आज दोपहर में मैंने बतला दिया कि कल दोपहर में गोरखपुर में मीटिंग हो रही है और वहां गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ वगैरह के जो गन्ने के इलाके हैं उनको देखेंगे कि कौन मिलें कम पेर रही हैं और कौन मिलें ज्यादा गन्ना पेर चुकीं। इस सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है कि कहीं का गन्ना खड़ा रह जाय। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सब गन्ना पहुंच जाय। यह जरूर है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, कि यह मौका ऐसा होता है जब उनको पैसे की जरूरत होती है और हर किसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसका सब का सब गन्ना ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी जरा संक्षेप में बोलें।

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, एक-दो मिनट और बोलूंगा। उसके बाद माननीय सदस्यों को पांच मिनट बोलने का समय मिल जायगा।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि किसानों का गन्ना बहुत जल्द पहुंचता है और इस सिलसिले में हमेशा शिकायतें होती रहती हैं। इस सिलसिले में, मिलों की जो कैपेसिटी होती है और ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज हैं उनको देखते हुये कुछ गन्ना बाद में पहुंचता है और कुछ पहले पहुंचता है। न सब एक साथ पहुंचता है और न सब एक साथ पहुंचना जरूरी है, क्योंकि मिलों का सीजन लम्बा होता है और उनको १२० दिन मिलने चाहिये तभी, एकनामिक रनिंग हो सकती है। लेकिन मैं एक बार फिर ऐश्योरेंस देता हूं कि वहां का गन्ना मिलों में पहुंच जायगा और पिर जायगा।

इससे अधिक अब मैं और समय नहीं लेना चाहता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय मंत्री जी ने कमलसागर सोसाइटी का, बिल्थरा रोड और किड़हड़ापुर, का पिछले ३ साल का आंकड़ा बताया है। क्या वे पिछले ६ सालों के आंकड़े बता सकते हैं?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक ६ साल के आंकड़े का ताल्लुक है, वह इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह मंगाया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले किड़हड़ापुर से बिलथरा रोड को गन्ना किस तारीख को एलाट किया गया था और किस तारीख को रिवाइज करके देवरिया को गया ?

श्री रऊफ जाफरी---अधिष्ठाता महोदय, खास साल के सिलसिले में तो मेरे पास मौजूद है लेकिन किस तारीख को शुरू हुआ और कब हुआ, पिछले साल की तो कोई चीज मेरे पास इस समय मौजूद नहीं है।

श्री उग्रसेन---किड़हड़ापुर और बिलथरा रोड....

श्री अधिष्ठाता--- आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन---इस बीच में जो गैप हुआ है उस के लिये सरकार जिम्मेदार है।

श्री अधिष्ठाता---आप भाषण नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कल जो मीटिंग गोरखपुर में होने वाली है उस में मिल मालिकों के और गन्ना उत्पादकों के कौन-कौन प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--- फेहरिस्त तो मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन उसमें कुछ मिलों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे, कुछ ग्रोवर्स भी होंगे और केन डेवलपमेंट के हमारे केन कमिश्नर और दूसरे लोग भी होंगे। फेहरिस्त तो मेरे पास मौजूद नहीं है, वे ही लोग बुलाये जायंगे जो बराबर बुलाये जाते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कोई शुगर फैक्टरी अपने सेंटर का गन्ना नहीं लेती है किन्हीं कारणों से, तो सरकार उस फैक्टरी के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है ? क्योंकि ऐसी शिकायत बराबर मिलती जाती है।

श्री रऊफ जाफरी---अगर गन्ने का बांड हो गया हो, आफर हो चुका हो और वह ऐक्सेप्ट भी हो चुका हो तो ८० फीसदी तक उसको गन्ना कानून के अनुसार लेना पड़ेगा। अगर उससे कम गन्ना वह फैक्टरी लेती है तो उस के ऊपर कानून के अनुसार पेनाल्टी वगैरह की कार्यवाही की जायगी और यह भी हो सकता है कि उसके रिजर्व्ड एरिया को कैंसिल करके किसी दूसरे को दे दिया जाय।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्वे के अनुसार बिलथरारोड और किड़हड़ापुर को गन्ना देने के बाद भी कितना अभी बाक़ी है ?

श्री रऊफ जाफरी--- जैसा मैंने कहा कि अभी बाकी है, १ लाख ६० हजार और १ लाख ८० हजार मन के करीब गन्ना बाकी है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--- क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन क्षेत्रों के सदस्यों को क्यों नहीं सूचना दी गयी मीटिंग के सम्बन्ध में ?

श्री रऊफ जाफरी--- किस क्षेत्र के सदस्यों के बारे में आप पूछ रहे हैं ?

श्री रामायण राय---जहां ऐसी मीटिंग्स हुआ करती हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामरतन प्रसाद (जिला बलिया)-- अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और यह मुनासिब समझता हूं कि वहां के मिलमालिकों या रेलवे कर्मचारियों को वैगन देने के सम्बन्ध में जो कुव्यवस्था है, उसके हिसाब से यह गन्ना उठ नहीं पाता है।

श्री उग्रसेन--- आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता---सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना विचार भी प्रकट कर सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)-- जब श्री उग्रसेन अपना विचार प्रकट करना चाहते थे तो आप ने कहा कि आप विचार नहीं प्रकट कर सकते, आप बैठ जाइये।

श्री अधिष्ठाता---वे भाषण करने जा रहे थे, इसलिये रोक दिया था। संक्षेप में विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन---वही तो मैं करना चाहता हूं।

श्री रामरतन प्रसाद---तो मैं यह कह रहा था कि वहां जो कुव्यवस्था है, उसी से वहां का गन्ना नहीं उठ पाता है।

श्री अधिष्ठाता---बहुत संक्षेप में।

श्री रामरतन प्रसाद-- मैं आप के द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब वहां के किसानों से २ रु० ९ आ० के हिसाब से प्रति किसान काटा जाता है तो क्या वह धन किसी रजिस्टर में दर्ज है? और दूसरी बात यह है कि यही सोसाइटी है जहां से दो-दो आदमियों की आत्महत्यायें हुई हैं जिसके सम्बन्ध में आज तक...

श्री अधिष्ठाता---अब आप प्रश्न पूछें।

श्री रामरतन प्रसाद---यह मोसागर सोसाइटियों के सम्बन्ध में जो दो आत्म-हत्यायें हुई हैं वह क्यों हुई हैं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने बताया कि ९ जनवरी से गन्ना लेने का आदेश था लेकिन २३ जनवरी तक नहीं लिया गया। इसकी जिम्मेदारी मंत्री जी पर है या किस पर है, और अगर उन पर है तो क्यों ऐसा हुआ?

श्री रऊफ जाफरी-- जी हां, नहीं लिया गया और यों तो सरकार सब बातों की जिम्मेदार होती है और उतनी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं लेकिन हमने उसकी पूरी कोशिश की कि वैगन मिल जायं। अब भी कोशिश कर रहे हैं बराबर कोशिश हमारी जारी है, आशा है कि आगे वैगन ज्यादा मिलेंगे और हमें कामयाबी होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन स्टेशनों का गन्ना कब तक मिलों तक पहुंच जायगा?

श्री रऊफ जाफरी-- इसका दिन और तारीख तो बताना मुश्किल है।

श्री उग्रसेन-- यह जो ९ से २३ तक किसानों का गन्ना नहीं लिया गया उससे जो किसानों की क्षति हुई है क्या वह क्षतिपूर्ति माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री रऊफ जाफरी-- जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--- अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा केवल एक बात निवेदन करूंगा कि ....

श्री रऊफ जाफरी---अधिष्ठाता महोदय, अब केवल प्रश्न हो सकते हैं, स्पीच नहीं हो सकती।

श्री उग्रसेन---हम को यह जानकारी है कि सरकार की ओर से जो आदमी गये थे वह केन आफिसर के मातहत भेजे गये थे....

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--- अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अधिष्ठाता---अब साढ़े ५ बज चुके हैं, हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२१ फरवरी, १९५८।

अदर पदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

कोढ़ के उपचार के सम्बन्ध में भारत सरकार की पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम का एक संक्षिप्त विवरण

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने कुष्ठ रोग के उपचार तथा उसके रोकथाम के लिये एक योजना सारे देश में प्रचलित की है। इस योजना का नाम है पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम। इस योजना के अन्तर्गत सल्फोन (Sulphone) नामक औषधि पर जो कि इस रोग का एक आधुनिक उपचार है, अधिक महत्व दिया गया है। अब यह विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि यह समस्या केवल कुष्ठ रोगी को समाज से अलग रखने से हल नहीं हो सकती। इस रोग की आधुनिक चिकित्सा पद्धति यही है कि कोढ़ के क्लीनिक्स तथा सेंटर्स आदि का ज्यादा से ज्यादा संगठन तथा प्रसार हो जिससे इस रोग का उपचार गांवों तथा घरों में ही सुगमता से उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने अपने इस योजना में दो प्रकार के कुष्ठ के उपचार के लिये यूनिट्स तथा सेंटर्स आदि का प्रबन्ध किया है। इसमें से एक को अध्ययन तथा उपचार सेंटर (Study and Treatment Centre) कहते हैं। इसका कार्य यह है कि वह रोग का अध्ययन, अन्वेषण तथा साथ ही उसका उपचार करे। यह सेन्टर बी० सी० जी० के टीके भी लगाती है। दूसरे यूनिट को सब्सीडियरी सेन्टर (Subsidiary Centre) कहते हैं। इस का काम कुष्ठ रोगों का सर्वेक्षण करना तथा लोगों को इस रोग से बचने का उपाय बतलाना और साथ ही उपचार भी करना है।

२—उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत एक अध्ययन तथा उपचार सेन्टर देहरादून में सन् १९५४ में खोला है। इसके अलावा ६ सब्सीडियरी सेन्टर वाराणसी, गोरखपुर, खीरी, बहराइच, मुरादाबाद तथा बस्ती में खोले हैं। ऐसे चार और सेन्टर्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोलने का विचार है।

३—इस योजना की मुख्य बात यह है कि उपरोक्त सेन्टर्स के रखरखाव तथा उनके साज-सज्जा आदि के लिये भारत सरकार राज्य सरकार को उचित आर्थिक सहायता निम्नलिखित दर से देती है :—

अनावर्तक खर्च का शतप्रतिशत।

आवर्तक खर्च का	पहले वर्ष में	.. ८० प्रतिशत
	दूसरे वर्ष में	.. ७० प्रतिशत
	तीसरे वर्ष में	.. ५० प्रतिशत
	चौथे वर्ष में	.. ३० प्रतिशत
तथा	पांचवे वर्ष में	.. २० प्रतिशत।

अब तक भारत सरकार ३,१५,००० रु० इन सेन्टर्स के निमित्त राज्य सरकार को अनुदान दे चुकी है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४७ पर)

अभी हाल में शासन द्वारा नगरपालिकाओं में परिवर्तित नोटीफाइड एरिया कमेटियों के नाम तथा १९५१ की census रिपोर्ट के अनुसार उनकी जन संख्या इस प्रकार है :—

नोटीफाइड एरिया कमेटी के नाम	जन-संख्या
१—खतौली, जिला मुजफ्फरनगर	१५,८१०
२—रामनगर, जिला नैनीताल	९,५४३
३—सांडी, जिला हरदोई	७,८६८
४—मोहम्मदी, जिला खीरी	८,३७८
५—गंगोह, जिला सहारनपुर	१६,१४७
६—पौड़ी, जिला गढ़वाल	५,२४३
७—नीमसार मिसरिख, जिला सीतापुर	४,५४४
८—बिलसी, जिला बदायूं	६,९१८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये १४ फरवरी के स्थगित तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर)

डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की सूची—

१—चेयरमैन श्री शिव प्रसाद गुप्ता, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा
२—सेक्रेटरी आर्गनाइजर, लेबर वेलफेयर सेन्टर, आगरा
३—सदस्य प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आगरा
४— प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपल बोर्ड, आगरा
५— प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपल बोर्ड, फिरोजाबाद, जिला आगरा
६— म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर हेल्थ, आगरा
७— मेडिकल आफिसर हेल्थ, जिला आगरा
८— म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर हेल्थ, फिरोजाबाद, जिला आगरा
९— रीजनल कन्सीलियेशन आफिसर, आगरा

श्रमिकों के दो प्रतिनिधि—

१०— श्री पी० एन० भार्गव, बेलनगंज, आगरा
११— श्री सी० पी० अनामी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय ग्लास वर्क्स मजदूर सभा, फिरोजाबाद, जिला आगरा।

मालिकों के दो प्रतिनिधि—

१२— श्री के० पी० भार्गव, प्रोप्राइटर, जी० जी० इन्डस्ट्रीज, आगरा
१३— श्री रघुवीर सिंह सैनी, डाइरेक्टर ग्लास इन्डस्ट्रीज सिन्डीकेट, फिरोजाबाद, जिला आगरा।

विधान मंडल के सदस्य जो कि ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित हैं जिनमें सरकारी श्रमिक हितकारी केन्द्र स्थित हैं—

१४— श्री देवकी नन्दन विभव, एम० एल० ए०, ६, महात्मा गांधी रोड, आगरा।
१५— श्री आदिराम सिंघल, एम० एल० ए०, ४३३२, विजय नगर कालोनी, आगरा।
१६— श्री छत्रपति अम्बेश, एम० एल० ए०, ५१७२, राजामंडी, आगरा।

उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान

नत्थी 'घ'

(देखिये १४ फरवरी के स्थगित तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर)

इन्डस्ट्रियल क्वार्टर्स एलाटमेंट एडहाक कमेटी, आगरा के सदस्यों की सूची

१—जिलाधीश, आगरा।

२—श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

३—एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल बोर्ड, आगरा।

४—ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्रोविन्शियल डिवीजन, पी० डब्ल्यू० डी०, बी० ऐन्ड आर० ब्रांच, आगरा।

५—श्री के० पी० भार्गव, प्रोप्राइटर, जी० जी० इन्डस्ट्रीज, आगरा मालिकों का प्रतिनिधि।

६—श्री पी० एन० भार्गव, प्रधान, मिल कर्मचारी यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०) आगरा—श्रमिकों का प्रतिनिधि।

७—प्रादेशिक संराधन अधिकारी, ३२, गाईन रोड, आगरा।

८—श्री देवकीनन्दन विभव, एम० एल० ए०, आगरा।

इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स एलाटमेंट एडहाक कमेटी, फिरोजाबाद के सदस्यों की सूची

१—जिलाधीश, आगरा।

२—श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

३—प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपल बोर्ड, फीरोजाबाद।

४—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, प्राविन्शियल डिवीजन, पी० डब्ल्यू० डी०, बी० एन्ड आर० ब्रांच, आगरा।

५—प्रादेशिक संराधन अधिकारी, ३२, गार्डन रोड आगरा

६—श्री रघुबीर सिंह सैनी, डाइरेक्टर ग्लास इन्डस्ट्रीज सिन्डीकेट, फीरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट आगरा—मालिकों के प्रतिनिधि।

७—श्री सी० पी० अनामी जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय ग्लास वर्कर्स मजदूर सभा फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट आगरा—श्रमिकों के प्रतिनिधि।

८—श्री आदिराम सिंघल, एम० एल० ए०, आगरा।

संसद भवन

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६३ पर)

नाम	श्रेणी प्राप्त	अनुभव
	हाई स्कूल / इन्टर साइन्स एन्ड ए० एच० / बी० वी० एस-सी०	
१—श्री आर० सी० पाठक	.. .. ..	सन् १९५१ से मथुरा वेटेरिनरी कालेज में डिमान्स्ट्रेटर और लेक्चरर के पद पर काम करते रहे।
२—श्री जगराज सिंह	.. .. ..	सन् १९५१ से पशु-पालन विभाग में पशु चिकित्सा सहायक सर्जन के पद पर काम करते रहे।
३—श्री एन० एस० तोमर	.. .. ..	सन् १९५२ से फरवरी, १९५६ तक पशु-पालन विभाग में पशु चिकित्सा सहायक सर्जन तदुपरान्त वेटेरिनरी कालेज मथुरा में डिमान्स्ट्रेटर के पद पर कार्य करते रहे।
४—श्री आर० के० श्रीवास्तव	.. .. पास (अनुपूरक)	सन् १९५३ से वेटेरिनरी कालेज, मथुरा में डिमान्स्ट्रेटर के पद पर काम करते रहे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४, ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७० पर)

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला नियोजन अधिकारियों द्वारा भेजे गये निर्मित व्यक्तियों की संख्या					प्रधान कार्यालय में अन्तिम चुनाव जो माह दिसम्बर, १९५७ में हुआ उसमें लिये गए अभ्यर्थियों की संख्या				
		संख्या	पिछड़ी जाति वाले	हरिजन जाति वाले	अन्य जाति वाले	कुल योग	संख्या	पिछड़ी जाति वाले	हरिजन जाति वाले	अन्य जाति वाले	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	आगरा ..	३	..	..	३	३	..	..	..	..	..
२	अलीगढ़ ..	५	..	९	५	५	२	..	१	९	२
३	इलाहाबाद ..	६	..	२	४	६	४	..	१	३	४
४	अल्मोड़ा ..	३	..	..	३	३	१	..	..	१	१
५	आजमगढ़ ..	६	१	..	५	६	३	..	..	३	३
६	बहराइच ..	४	..	१	३	४	१	..	..	१	१
७	बलिया ..	५	..	..	५	५	३	..	..	३	३
८	वाराणसी ..	४	..	१	३	४	१	..	..	१	१
९	बांदा ..	५	२	१	२	४	१	..	..	१	१
१०	बाराबंकी ..	६	..	..	६	६	२	..	..	२	२
११	बरेली ..	५	..	..	४	४	१	..	..	१	१
१२	बस्ती ..	५	..	१	४	५	२	..	१	१	२
१३	बिजनौर ..	५	..	..	५	५	३	..	..	३	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिला नियोजन अधिकारियों द्वारा भेजे गये निर्मित व्यक्तियों की संख्या					प्रधान कार्यालय में अन्तिम चुनाव जो माह दिसम्बर, १९५७ में हुआ उसमें लिए अभ्यार्थियों की संख्या				
		संख्या	पिछड़ी जाति वाले	हरिजन जाति वाले	अन्य जाति	कुल योग	संख्या	पिछड़ी जाति वाले	हरिजन जाति वाले	अन्य जाति वाले	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१४	बदायूं ..	४	..	..	४	४	२	..	..	२	२
१५	बुलन्दशहर ..	५	..	१	४	५	४	..	१	३	४
१६	देहरादून ..	५	..	..	५	५	२	..	..	२	२
१७	देवरिया ..	५	..	१	४	५	३	..	१	२	३
१८	एटा ..	५	..	१	४	५	४	..	२	२	४
१९	इटावा ..	६	१	१	४	६	३	..	१	२	३
२०	फैजाबाद ..	५	..	१	४	५	३	..	१	२	३
२१	फर्रुखाबाद ..	५	..	..	५	५	४	..	..	४	४
२२	फतेहपुर ..	४	१	..	३	४	२	१	..	१	२
२३	गढ़वाल	५	..	१	४	५	१	..	..	१	१
२४	गाजीपुर ..	५	..	१	४	५	३	..	१	२	३
२५	बांदा ..	४	..	..	४	४	१	..	..	१	१
२६	गोरखपुर ..	५	..	१	४	५	..	..	..	..	..
२७	हमीरपुर ..	४	..	१	३	४	४	..	१	३	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२८	हरदोई ..	५	..	१	४	५	२	..	१	१	२
२९	जालौन ..	४	..	२	२	४	१	..	१	..	१
३०	जौनपुर ..	४	..	..	४	४	२	..	..	२	२
३१	झांसी ..	४	१	..	३	४	१	..	..	१	१
३२	कानपुर ..	५	..	१	४	५	२	..	१	१	२
३३	लखीमपुर खीरी	४	..	..	४	४	१	..	..	१	१
३४	लखनऊ ..	५	..	१	४	५	१	..	..	१	१
३५	मैनपुरी ..	५	..	१	४	५	४	..	१	३	४
३६	मथुरा ..	५	..	१	४	५	१	..	..	१	१
३७	मेरठ ..	५	..	१	४	५	३	..	..	३	३
३८	मिर्जापुर ..	४	..	..	४	४	२	..	..	२	२
३९	मुरादाबाद ..	४	..	१	३	४	१	..	..	१	१
४०	मुजफ्फरनगर	७	..	१	६	७	२	..	..	२	२
४१	प्रतापगढ़ ..	५	..	१	५	५	१	..	..	१	१
४२	पीलीभीत ..	४	..	१	३	४	२	..	१	१	२
४३	नैनीताल ..	४	..	१	३	४	..	..	..	..	..
४४	रामपुर ..	४	..	..	४	४	..	..	..	..	..
४५	रायबरेली ..	४	..	१	३	४	३	..	१	२	३
४६	सहारनपुर ..	५	..	१	५	५	१	..	..	१	१
४७	सुल्तानपुर ..	४	१	..	३	४	१	..	..	१	१
४८	शाहजहांपुर ..	४	..	..	४	४	१	..	..	१	१
४९	सीतापुर ..	४	..	१	३	४	२	..	१	१	२
५०	टेहरी गढ़वाल	५	..	१	४	५	४	..	१	३	४
५१	उन्नाव ..	५	..	१	४	५	२	..	..	२	२
	योग ..	२३७	७	३४	१९६	२३७	१००	१	१८	८१	१००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	संराधन समिति विवाद सं०	मांगें	विवरण
१	२	३	४
१	३४–५२	श्री जान मुहम्मद को तरक्की देकर बड़े सरकार की जगह दी जाय।	उप आलम्भाकार ने विवाद वापस ले लिया है।
२	४३–५२	१—श्री बासदेव को पृथक करने के विषय में।	(१) श्री बासदेव का ट्रान्सफर दोल कोलरा कर दिया गया था। वहां कुछ दिन काम करने के बाद वे बिना आज्ञा प्राप्त किये अपने घर चले आये और बीमारी का बहाना करके घर रुके रहे। नियोजकों ने उन पर आज्ञा का पालन न करने का चार्ज लगाया और उनके द्वारा पूर्ण रूप से सफाई न देने के फलस्वरूप कार्य से पृथक कर दिया। चूंकि उन्होंने संराधन समिति के सामने भी कोई सबूत नहीं दिया इसलिए उनका विवाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
		२—श्री सूचित अहीर को पृथक करने के विषय में।	श्री सूचित अहीर को पृथक नहीं किया गया था। इस लिए उनकी शिकायत भी दाखिल दफ्तर कर दी गई।
		३—श्री कुन्जी पासी के ट्रांसफर के विषय में।	(३) श्री कुन्जी पासी की शिकायत वापिस ले ली गई।
३	११९–५२	श्री कुन्जी पासी को पृथक करने के विषय में।	श्री कुन्जी पासी का ट्रान्सफर दूसरे स्थान पर किया गया था। उनके वेतन तथा कार्य की दशाओं में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की गई थी। फिर भी उन्होंने नियोजकों के आदेश का पालन नहीं किया। जिसके फलस्वरूप उनको कार्य से पृथक कर दिया गया। चूंकि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई थी इसलिए उनका विवाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

क्रम-सं०	संराधन समिति विवाद सं०	मांगें	विवरण
१	२	३	४
४	१३५-५२	(१) बैठकी का पैसा देने --१ (२) बाहरी आदमियों से कार्य करानें-- २ (३) श्री शुभवन्त तिवारी व अन्य ५ कर्मचारियों को वेतन न देने के विषय में-- ३	विवाद वापस ले लिया गया।
५	१५९-५२	(१) श्री तीरथ अहीर को पृथक करने के विषय में। (२) श्री नुरई अहीर को पृथक करने के विषय में।	इन दोनों कर्मचारियों ने अपने अफसर को पीटा था। इसी कारण उनको कार्य से पृथक कर के नियोजकों ने उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। उनका विवाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
६	१९-५३	श्री लालधर चौबे को पृथक करने के विषय में।	श्री लालधर चौबे को चोरी का दोष लगा कर कार्य से पृथक कर दिया गया था। उनको अदालत ने निर्दोष पाया। उनका विवाद अभिनिर्णय में भेजा गया था।
७	१०६-५३	(१ व २) एवजीदारों को मुस्तकिल किया जाय। (३) ठेकेदार द्वारा कार्य कराना बन्द किया जाय। (४) प्रोवीडेन्ट फन्ड लोडिंग विभाग के लोगों पर भी लागू किया जाय। (५) तेल मिल की बन्दी अनुचित है।	इस विवाद में समझौता हो गया।
८	१०७-५३	(१) १९५०-५१ का बोनस ४ रुपया की दर से और बांटा जाय।	मांग नं० ३, ५ तथा ६ वापिस ले ली गई।
		(२) मासिक वेतन ३० रु० की दर से दिया जाय।	मांग नं० ७ के विषय में विवाद सं० १०६-५३ में समझौता हो गया था।

क्रम सं०	संराधन समिति विवाद सं०	मांगें	विवरण
१	२	३	४
		(३) महीने में दो बार वेतन बांटा जाय।	मांग नं० १ को अभिनिर्णय हेतु भेजा गया।
		(४) सर्वश्री कृष्ण सिंह, मनोहर सिंह, कपिलदेव ओझा, कुंजी पासी, महताब लाल श्रीवास्तव तथा बासदेव बनिया को पृथक करने के विषय में।	मांग नं० २ को दाखिल दफ्तर कर दिया गया। कारण यह था कि कर्मचारियों को कुल ५५ रु० ५ आना मासिक वेतन दिया जाता है। कारखाने की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वेतन बढ़ाया जाय।
		(५) रामनारायण चौधरी के पृथक करने के विषय में।	मांग नं० ४ में दिये हुए कर्मचारियों को माननीय लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल की आज्ञा लेकर पृथक किया गया था। उनके विवाद में कोई तथ्य नहीं था। उसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
		(६) सर्वश्री जंगी केवट, राम धनी धन्धी, शिवनाथ, हरिजनमातीबर कोहार, देशराज यादव तथा श्याम को धोखा देकर इस्तीफा देने के बाबत।	
		(७) लोडिंग विभाग में बैठकी के विषय में।	
९	१४६-५३	(१) श्री बलभद्र मिश्र को पृथक करने के विषय में।	इस विवाद को अभिनिर्णय में भेजा गया।
१०	२१२-५३	(१) श्री रामलखन मिश्रा के पृथक करने के विषय में।	(१) श्री राम लखन मिश्र ठेकेदार द्वारा रक्खे गये थे। फिर भी उनको कारखाने में चार जगहों पर काम करने को कहा गया। परन्तु वे लिपिक का कार्य चाहते थे। प्रादेशिक संराधन अधिकारी, गोरखपुर से उनको कार्य करने से पृथक करने की आज्ञा ली गई थी और एक महीने का नोटिस का पैसा देकर पृथक किया गया था। चूंकि उनके विवाद में तथ्य नहीं था अतएव उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

क्रम-सं०	संराधन समिति विवाद सं०	मांगें	विवरण
		(२) श्री जयराम को २८-७-५३ को बाहर निकाल देने की बाबत।	(२) यह मांगें वापस ले ली गईं।
		(३) २७ मार्च, १९५३ को श्रमिकों की बैठकी के विषय में।	(३) कारखाने का रिकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि उस दिन बैठकी नहीं हुई थी। अतएव मांग दाखिल दफ्तर कर दी गई।
११	२५४-५३	८७ कर्मचारियों की छटनी के विषय में।	चूंकि ८७ कर्मचारियों की छटनी प्राविन्शियल कन्सीलियेशन बोर्ड (टेक्सटाइल) कानपुर के निर्णय (विवाद संख्या १-१९५७) के अन्तर्गत की की गई थी, इसलिए इस विवाद को दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
१२	२५५-५३	श्री बंगाली खां के कार्य से पृथक किये जाने के विषय में।	श्री बंगाली खां को दुराचरण के कारण पूर्ण जांच करने तथा सफाई का मौका देकर पृथक किया गया था। उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की गई थी। अतएव उनका विवाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया।
१३	२५६-५३	श्री मुनेश्वर बेलदार को पृथक किये जाने के विषय में।	इस विवाद में समझौता हो गया।
१४	२६७-५३	८-९-५२ से २७-४-५४ तक कर्मचारियों की बैठकी के विषय में।	इस विषय में समझौता हो गया है।
१५	१४७-५५	इस विवाद में १७ मांगें प्रेषित की गई थीं।	कोई भी मांग अभिनिर्णय में भेजे जाने के योग्य नहीं थी, इस संबंध में प्रश्न संख्या ६९ में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया है।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

नैनीताल जिले की किच्छा तहसील में पूर्वी बंगाल से आए कुछ अन्य शरणार्थियों को बसाये जाने की योजना की रूप-रेखा

भारत सरकार ने नैनीताल जिले की किच्छा तहसील में स्थित शक्ति फार्म की ३६३४ एकड़ भूमि पर पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये एक योजना की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत इस फार्म पर ७०० परिवारों को ५ एकड़ प्रति परिवार की दर से भूमि देकर बसाया जायगा, शेष भूमि इन परिवारों के सम्मिलित उपयोग में लायी जायगी। इस योजना पर लगभग ३२,०४,६०० रु० का व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त किच्छा तहसील में स्थित ५ अन्य पक्षों ने बंगाली शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में अपनी भूमि राज्य सरकार को बेचने के लिए पत्र-व्यवहार किया है। परन्तु अभी इन अन्य फार्मों पर बंगाली शरणार्थियों को बसाने के लिये राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है क्योंकि जिलाधीश, नैनीताल से इनके विषय में आवश्यक विवरण मांगे गये हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

हुकुमसिंह बिसेन।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७८ पर)

तालिका (१) प्रश्न संख्या ११४ से सम्बन्धित

फसल	औसत पैदावार प्रति एकड़			प्रति मन फसल पैदा करने में खर्च		
	मन	सेर	छ०	रु०	आ०	पा०
गन्ना	६२३	१	२	१	१	३
गेहूं	१८	२७	१३	१४	४	११
धान	२२	७	१	१२	६	९
चना	१२	१	६	९	२	२
मटर	११	३९	७	९	१०	१०

तालिका (२)

मनों में

(क) गन्ना	६२३	१	२	१	१०	१
(ख) गेहूं	१८	२७	१३	१४	४	११
(ग) धान	२२	७	१	१२	६	९
(घ) चना	१२	१	६	९	२	२
(ङ) मटर	११	३९	७	९	१०	१०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७८ पर)

तालिका (२) प्रश्न संख्या ११५ से संबंधित

फसल	आय			व्यय		
१	२			३		
	१९५४-५५					
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—गेहूं	२९१	७	९	२४२	९	७
२—धान	२३४	९	४	२३१	१३	६
३—मटर	११०	७	९	११३	७	१०
४—गन्ना	८३१	५	५	५६७	१०	४
५—चना	१०४	७	४	८७	१०	५
	१९५५-५६					
१—गेहूं	३१९	२	७	२५०	८	७
२—धान	२११	१४	४	१८२	५	६
३—मटर	१५८	४	७	९९	८	५
४—गन्ना	७१३	१२	७	५२७	२	११
५—चना	१०८	१४	११	८९	५	५
	१९५६-५७					
१—गेहूं	३०७	८	११ १/२	२७१	५	६
२—धान	३२५	१५	९	२२४	३	२
३—मटर	२०५	१४	९	११९	४	१
४—गन्ना	७३४	११	९	५५५	१५	९
५—चना	१०८	१४	६	१०४	१	६

विधान सभा सत्यमेव जयते

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८१ पर)

प्रश्न सं० ३ के सम्बन्ध में विवरण

१.—राज्य में होम्योपैथिक कालेजों की संख्या—

इस समय राज्य में ६ होम्योपैथिक कालेज हैं। वे इस प्रकार हैं:

(१) नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ।
(२) इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, इलाहाबाद।
(३) बनारस होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, इलाहाबाद।
(४) प्रिंस होम्योपैथिक कालेज, वाराणसी।
(५) होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़।
(६) नेशनल होम्योपैथिक कालेज, कानपुर

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, लखनऊ

यह कालेज होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, यू० पी० से सम्बद्ध है। यह राज्य की सबसे पुरानी होम्योपैथिक अध्यापन संस्था है और इसकी स्थापना १९२३ में हुई थी। इसका स्तर समुन्नत करने तथा इसमें सुधार करने के लिए सरकार ने इसे राज्य के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है। इस योजना पर कुल १०.०७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

प्रबन्ध—राज्य सरकार ने इसके प्रबन्ध के लिए हाल ही में प्रबन्धक बोर्ड का निर्माण किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति इसके अध्यक्ष हैं। इस बोर्ड में कुल २१ सदस्य हैं जिनमें पांच सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं और इनमें से एक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के अतिरिक्त संचालक भी हैं। इस कालेज तथा अस्पताल पर सम्पूर्ण व्यय सरकार ही पूरा करती है। ४०,००० रु० की धनराशि १९५५-५६ में और इसके उपरान्त १९५६-५७ में ३.३५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। इस अनुदान में साज सज्जा के लिये दी गई २५,००० रु० की धनराशि तथा कालेज और अस्पताल के लिये नये भवनों के निर्माण के लिये २.२४ लाख रु० की धनराशि भी सम्मिलित है।

कर्मचारीगण—अध्यापन सम्बन्धी तथा अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या में जो पहिले अवैतनिक था, वृद्धि की गई है और उसे समय के वेतनक्रम में नियमित कर लिया गया है। पढ़ाने के लिए इस समय एक प्रिन्सिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, तीन लेक्चरर, तीन डिमोन्सट्रेटर, ६ सीनियर टीचर और पांच जूनियर टीचर हैं। इन सबकी नियुक्ति की जा चुकी है। अस्पताल में एक आर० एम० ओ०, दो हाउस फीजिशियन और अन्य कर्मचारी जैसे नर्स, कम्पाउन्डर आदि भी नियुक्त किये गये हैं।

छात्रों की भरती तथा पाठ्यक्रम—इस समय कालेज में १६१ छात्र हैं और कालेज में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल (विज्ञान) और आयु १७ वर्ष रखी गई है। इस कालेज से चार वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रदान किया जाता है। अब आगे से इस कालेज की अन्तिम परीक्षा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा ली जायगी। इस पाठ्यक्रम को अब बढ़ाकर पंच वर्षीय कोर्स जिसमें ६ महीने का इंटर्नशिप भी सम्मिलित है, में परिणित करने के सम्बन्ध में बोर्ड से पत्र व्यवहार चल रहा है।

पैथालाजिकल तथा फिजियालाजिकल लेबोरेटरीज़—पहिले इस कालेज में उपयुक्त पैथालाजिकल तथा फिजियालाजिकल लेबोरेटरीज नहीं थीं। अब इनकी स्थापना की जा चुकी है और धीरे-धीरे इनको विकास तथा उनमें साज-सज्जा का प्रबन्ध किया जा रहा है। २०,००० रु० की साज-सज्जा खरीदी जा चुकी है।

अस्पताल—अब तक इस संस्था में रोगियों की भर्ती की व्यवस्था न होने से बाहर से ही रोगियों की चिकित्सा की जाती थी अब अस्पताल के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाने और औषधियां इत्यादि में वृद्धि हो जाने से बाह्य विभाग लोकप्रिय हो गया है और रोगी दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक संख्या में उपचारार्थ आने लग गये हैं। हाल ही में २० रोगियों को भर्ती करने का भी प्रबन्ध किया गया है। जब नया भवन बन कर तैयार हो जायगा तब ६० रोगियों का एक इन्डोर अस्पताल खोला जायगा।

भवन—कालेज और अस्पताल इस समय किराये के मकान पर हैं जो अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। अतएव योजना में अनुमानतः ४.४७ लाख रुपये की लागत पर नया भवन बनाने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने इस संस्था को २.२४ लाख रुपये की अनुदान दे दी है। इसके लिये समुचित स्थान चुन लिया गया है और राज्य सरकार के टाउन तथा विलेज प्लानर ने आवश्यक खाका तथा तखमीना तैयार कर लिया है। यह आशा की जाती है कि ज्योंहीं भूमि अधिकृत (Acquire) की जायगी निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

(३) इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, इलाहाबाद—यह कालेज भी बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध है। इसकी स्थापना १९५५ में हुई थी। इसके बारे में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। इस संस्था का प्रबन्ध भी बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस संस्था में केवल ३६ छात्र हैं। इस संस्था में भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं तथा आयु वही हैं जो लखनऊ कालेज के लिए हैं, इसमें भी चार वर्ष का डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण होता है जिसका अन्तिम परीक्षा बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा ली जायगी। इस संस्था को सरकार से ११,०००० रु० का अनुदान मिलता है। इसमें साज-सज्जा का उचित प्रबन्ध नहीं है। इस संस्था की अपनी कोई इमारत नहीं है तथापि प्राधिकारियों द्वारा भवन निर्माण के लिए भूमि अधिकृत करने के सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं। इस संस्था के प्राधिकारियों ने कालेज के भवन तथा साज-सज्जा क्रय के लिये पर्याप्त धन देने की प्रार्थना की है। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धनराशि निश्चित किये जाने के कारण इस प्रस्ताव को तृतीय पंचवर्षीय योजना तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

(४) अन्य होम्योपैथिक कालेजों के बारे में कोई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि बोर्ड ने उनको सम्बद्ध करना उचित नहीं समझा क्योंकि बोर्ड की दृष्टि में इन संस्थाओं का शिक्षा स्तर तथा अन्य साधनों में काफी न्यूनता है।

पी० एस० यू० पी० यू० पी० २९८ एल० ए०—१९५८—८१०।